द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक १०

२९ नवम्बर, १९५८ (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

263 (Ai) L.S.D.

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान , मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद , बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज--(क्रमशः)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमश:)

नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमशः)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफज़ुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमश:)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री —श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्य व्यापार निगम

+

†*३२८. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की सन्था के अन्तर्नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर पूर्णरूपेण विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन करने का विचार है और उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : राज्य व्यापार निगम की सन्था के अन्तर्नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम की सन्था के वे अन्तर्नियम, जिनका सम्बन्ध कम्पनी के प्रशासन के प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों से है, १९५६ में तैयार किये गये थे। उनके बाद कई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। इसीलिये अब कई नये उपबन्ध सम्मिलित करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री वि० च० शुक्ल :** परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से विशेष कारण हैं जिनकी वजह से राज्य व्यापार निगम की सन्था के अन्तर्नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हुई है। गत सत्र में यह बताया गया था कि राज्य व्यापार निगम कई अन्य वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य प्रारम्भ करने और अपने कार्यों को बढ़ाने का विचार रखता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी वजह से सन्था के अन्तर्नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य उन उद्देश्यों का उल्लेख कर रहे हैं जो कि सन्था के सीमानियमों में निहित हैं, सन्था के अन्तर्नियमों का नहीं जिनमें कम्पनी के प्रशासन सम्बन्धी मामलों का उल्लेख है। संशोधन करने की प्रस्थापना का एक कारण यह है कि सन्था के मूल अन्तर्नियमों में निदेशक बोर्ड की उधार लेने की शक्ति के बारे में कोई उपबन्ध नहीं था। इसी प्रकार से और भी कई कठिनाइयां हैं। इसीलिये सन्था के अन्तर्नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि उन कमियों को पूरा किया जा सके।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के सन्था के अन्तर्नियमों में न ही केवल इस दृष्टि से संशोधन किया जा रहा है कि निगम सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न वस्तुओं का आयात तथा निर्यात का काम कर सके, अपितु वे इस दृष्टि से भी संशोधित किये जा रहे हैं ताकि वह सम्बन्धित व्यापार में उपलब्ध होने वाले लाभ का कुछ भाग भी प्राप्त करे?

†**श्री सतीश चन्द्र :** राज्य व्यापार निगम भी अन्य कम्पनियों के समान उन सभी सहाय समवायों का प्रवर्तन कर सकता है जिनसे उसका हित निहित होगा। परन्तु ये सभी बातें अभी विचाराधीन हैं। सन्था के अन्तर्नियमों के अन्तिम रूप के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है।

†**श्री वें० प० नायर :** २७ अगस्त को भी माननीय उपमंत्री ने यह बताया था कि मामला विचाराधीन है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन–कौन सी विशेष बातें हैं जिन पर गत पांच छः महीनों से विचार किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सभा के अन्तर्नियमों के सम्पूर्ण विषय पर विचार किया गया है और एक नया प्रारूप तैयार किया गया है। हम इस सम्बन्ध में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श ले रहे हैं। उनके मत प्राप्त हो जाने पर कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

†**श्री रंगा :** क्या इस संशोधक विधेयक को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार इस बात पर विचार करना चाहती है कि राज्य सरकार निगम ने निर्माताओं, निर्यातिकर्ताओं तथा अन्य व्यापारियों से व्यवहार करते हुए अब तक कैसा काम किया है, ताकि संशोधक विधेयक प्रस्तुत होने तक यह निश्चित किया जा सके कि क्या निगम भविष्य में अपना कार्य अच्छी प्रकार से चला सकेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कोई संशोधक विधेयक प्रस्तुत करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। राज्य व्यापार निगम समवाय विधि के अधीन पंजीबद्ध एक समवाय है और वह स्वयं अपनी सन्था के अन्तर्नियमों में संशोधन कर सकता है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री रंगा :** मैं तो वास्तव में यह पूछना चाहता था कि सन्था के अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने से पहले क्या इस बात पर विचार कर लिया जायगा कि निगम ने अब तक कैसा काम किया है ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस मामले पर निरन्तर विचार किया जाता है । निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जाता है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस बारे में चर्चा करने के लिये अलग समय मांग लें।

†**श्री असार हरवानी :** क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि निगम का चेयरमैन आई० सी० एस० अधिकारी न होकर कोई गैर-आई० सी० एस० हो ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच नहीं है कि सन्था के अन्तर्नियमों को संशोधित कर देने के बाद निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र और उसके कार्य ही बदल जायेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** निगम के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है । वास्तव में, सन्था के अन्तर्नियमों में संशोधन करने से वैसा किया भी नहीं जा सकता । वह तो केवल तभी हो सकता है जबकि सन्था के सीमा नियमों में संशोधन किये जायें । यह प्रश्न तो सन्था के उन अन्तर्नियमों के बारे में है जिनका सम्बन्ध कम्पनी के प्रशासनीय प्रक्रिया से है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या प्रस्थापित हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम भी राज्य व्यापार निगम का एक भाग होगा अथवा वह भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन एक राजसहायता प्राप्त निगम होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता; परन्तु फिर भी राज्य सरकार निगम का एक सहायक संगठन स्थापित करने का विचार है जो कि हथकरघा वस्त्र निर्यात के काम को चलायेगा ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या अन्तर्नियमों में ये संशोधन निगम के कार्यों को बढ़ाने के लिये किये जा रहे हैं या कि उन्हें सीमित कर देने के लिये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं अधिक विस्तारपूर्वक तो कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु, मैं देखता हूं कि हम दो विभिन्न बातों को मिला रहे हैं—वे हैं, सन्था के सीमा नियम और सन्था के अन्तर्नियम । सीमा नियम का सम्बन्ध निगम के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्र से है । सन्था के अन्तर्नियमों का सम्बन्ध प्रशासनीय मामलों से है । हम तो निगम के क्षेत्र को व्यापक बनाने की दृष्टि से उसे संशोधित करना चाहते हैं । जहां तक निगम के कार्य का सम्बन्ध है, जैसा कि श्री रंगा ने बताया है, संभव है कि उसमें कई कमियां हों, परन्तु हम उसी मामले पर विचार करने और कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** सरकार सन्था के अन्तर्नियमों और सन्था के सीमा नियमों में संशोधन करने के बाद निगम के किस किस क्षेत्र में विस्तार करने का विचार रखती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तान में 'जिहाद' आन्दोलन

†*३२६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री २२ अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध चलाये जा रहे 'जिहाद' आन्दोलन से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे के सम्बन्ध में पाकिस्तान से जो पत्र व्यवहार हो रहा है, उसका पाकिस्तान से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) 'जिहाद' आन्दोलन के सम्बन्ध में पाकिस्तान को भेजे गये विरोध पत्रों में से पाकिस्तान सरकार ने कुछ पत्रों का उत्तर दिया है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने यह लिखा है कि इस सम्बन्ध में किये गये भारत पाकिस्तानी करारों में काश्मीर के बारे में किया जाने वाला प्रचार सम्मिलित नहीं है । परन्तु उसका यह कथन निराधार है और इस बारे में पाकिस्तान सरकार को बता दिया गया है । 'जिहाद' का प्रचार न ही केवल भारत-पाकिस्तान करा ों के विरुद्ध है, अपितु वह तो १७ जनवरी, १६४८ के सुरक्षा परिषद् के संकल्प और १३ अगस्त, १६४८ के संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान आयोग संकल्प के भाग १ की धारा ५ का भी उलंघन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान की असैनिक प्रति-रक्षा के निदेशक ने हाल ही में पाकिस्तान के मुल्लाओं की एक बैठक बुलायी थी और उनसे देश में 'जिहाद' आन्दोलन का प्रचार करने के लिये कहा गया था; और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्य ने जिस घटना का उलेख किया है, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु फिर मैं समझ नहीं सका कि हम इस प्रकार के प्रचार के प्रति विरोध प्रकट करने के अतिरिक्त और क्या उपाय कर सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या संयुक्त राष्ट्र संघ मे अपने स्थायी प्रतिनिधि के द्वारा हमने सुरक्षा परिषद का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया है ; और यदि हां, तो वहां से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है । सुरक्षा परिषद का ध्यान इसकी ओर बार बार आकृष्ट किया गया है । तरीका यह होता है कि इस प्रकार के विरोध की प्रतियां सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों में परिचालित की जाती हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** वे किस प्रकार का आन्दोलन चला रहे ह? समाचार पत्रों में छोटे से समाचार के अतिरिक्त हमे कुछ पता ही नहीं कि वे क्या करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी किये गये पैम्फलेट को पढ़ सकते हैं । उससे उन्हें इस बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार ने जनरल अयूब खां द्वारा दिए गए 'जिहाद' सम्बन्धी बयानों को सावधानी से नोट किया है जिस में उन्होंने यह कहा है कि 'यह हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम हर प्रकार के बलिदान करने को तयार हैं,' और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ने इस मामले के सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य दिया था । यह बताना बड़ा कठिन है कि पाकिस्तान में क्या होगा और क्या नहीं होगा, परन्तु जनरल अयूब खां ने उस असावधानी से दिए गए वक्तव्य के उपरान्त जो दूसरे वक्तव्य दिये हैं उनमें समझौते की ओर संकेत पहले की अपेक्षा अधिक है ।

†**श्री हेम बरुआ :** परन्तु जनरल अयूब खां का वह वतव्य कि 'हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार हैं', आज के ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है । जनरल अयूब खां तो इस प्रकार की बात कह रहे हैं परन्तु हमारे प्रधान मंत्री का यह कथन है कि उनका वक्तव्य समझौते का भाव लिए हुए है । जनरल अयूब खां के वक्तव्य में तो वास्तव में दूसरी ओर ही—अर्थात् युद्ध की ओर—संकेत मिलता है जिनसे वातावरण दूषित होता जा रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ऐसा नहीं समझता, परन्तु फिर भी यदि जनरल अयूब खां किसी विशेष प्रकार का बयान देना चाहें तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं ।

†**श्री जाधव :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार इस आन्दोलन के संचालकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की रोकथाम नहीं करती, बल्कि उन्हें परोक्ष रूप से सहायता देती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह मैं कैसे बता सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के समाचार पत्रों में कैसा पारस्परिक सम्बन्ध है, पर हां, पाकिस्तान सरकार उन्हें अनुमति अवश्य दे रही है । इस सम्बन्ध में मैं बस इतना ही कह सकता हूं ।

दर्शक यंत्रों के कांच का कारखाना[1]

\+

†*३३०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूसी विशेषज्ञों से एक दर्शन यंत्रों के कांच के कारखाने की स्थापना के सबंध में सविस्तर परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Optical Glass plant.

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आशा है कि सविस्तर परियोजना प्रतिवेदन १९५९ के मध्य तक प्राप्त हो जायगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या यह अनुमान लगा लिया गया है कि इस कारखाने पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : २,३०,००,००० रुपये ।

†**श्री राम कृष्ण**: क्या विशेषज्ञों ने इसके लिये कुछ स्थान चुन लिया है और यदि हां, तो वह कौन सा स्थान है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दुर्गापुर ।

†**श्री तंगामणि** : क्या विशेषज्ञों ने दुर्गापुर के अतिरिक्त सैलम, बंगलौर और अल्वाय इत्यादि स्थानों को भी देखा था और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस प्रकार का कारखाना कितना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है क्या सरकार इस कारखाने के अतिरिक्त और भी कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी

†**श्री मनुभाई शाह** : फिलहाल तो केवल एक ही कारखाना पर्याप्त है क्योंकि अभी तो इस कारखाने से बहुत थोड़ी मात्रा में शीशा तैयार किया जायगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : देहरादून की ग्लास फैक्टरी के विस्तार के लिये क्या क्या ठोस कार्यवाहियां की जा रही हैं ? क्या यह काम प्रतिरक्षा मंत्रालय तक ही छोड़ दिया जायगा अथवा उसका भी विस्तार किया जायेगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस सम्बन्ध में एक मिथ्या भ्रांति सी फैली हुई है । श्री त्यागी ने भी पिछली बार उसका उल्लेख किया था, यह सच है कि देहरादून आयुध कारखाने में 'लेंस' तथा 'प्रिज्म' तैयार किये जा सकते हैं, परन्तु वास्तव में यह कारखाना 'आप्टिकल ग्लास' तैयार नहीं करता । दुर्गापुर का नया कारखाना 'आप्टिकल ग्लास' तथा 'आफथेल्मिक' शीशे तैयार करेगा और वहां से सारे देश में वे शीशे वितरित किये जा सकेंगे । और उन शीशों से विभिन्न प्रकार के प्रिज्म, लेंस तथा अन्य ग्लास तैयार किये जा सकेंगे ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री को जो पहले नैनी में स्थापित करने का विचार किया गया था, उसको अब वहां से हटा कर दुर्गापुर में क्यों ले जाया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जी वैसे तो बारह जगह देखी गई थीं जिन में नैनी भी एक थी । लेकिन बाद में जब एक्सपर्ट लोग उन जगहों को देखने गये तो उन्होंने दुर्गापुर को ज्यादा पसन्द किया और कहा कि वह सब से उपयुक्त जगह है । इसलिये उसको चुना गया ।

†**श्री त्यागी** : दुर्गापुर को किस आधार पर प्राथमिकता दी गयी है ? क्या उसे जलवायु के आधार पर प्राथमिकता दी गयी है ? या कि कच्चे माल की उपलब्धि की सुविधा के आधार पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुये ही उस स्थान को प्राथमिकता दी गयी है ।

†श्री ब्रज राज सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि फिरोजाबाद भारत के कांच उद्योग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है, क्या इस दल ने उस फैकटरी की स्थापना के लिये उस स्थान का भी दौरा किया था, और यदि हां, तो उस दल ने किस कारण इस कारखाने के लिये फिरोजाबाद को न चुन कर दुर्गापुर को चुना है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसका मुख्य कारण यह है कि दुर्गापुर कोयला क्षेत्र में है। इस प्रकार के दर्शन यंत्रों के कांच के निर्माण के लिये बड़ी तेज धातुकर्मिक ईंधन की आवश्यकता होती है और इसलिये उस कारखाने का दुर्गापुर में ही स्थापित करना उचित समझा गया है। और फिर दुर्गापुर कोक ओवन बैटरियों से हमें बढ़िया किस्म की गैस भी मिल सकेगी जो कि इस प्रकार के कांच के निर्माण में बढ़ी लाभदायक सिद्ध होगी।

†श्री वें० प० नायर : दर्शन यंत्रों के कांच के निर्माण के लिये अन्य कौन कौन सा कच्चा सामान आवश्यक है ?

†श्री मनुभाई शाह : बिल्लोर का पत्थर, फैल्सपार धातु तथा रेत ।

†श्री तंगामणि : अब जब कि अन्तिम रूप से दुर्गापुर को चुन लिया गया है, क्या उसके लिये आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गयी है और क्या हमें अग्रिम प्रतिवेदन आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, दुर्गापुर में बहुत सी परियोजनायें चल रही हैं । वहां पर पर्याप्त भूमि है और यह कारखाना कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है ।

†श्री तंगामणि : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कारखाने के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गयी है ?

†अध्यक्ष महोदय : ये तो व्योरों से संबंध रखने वाली बाते हैं । मैं उन बातों की अनुमति नहीं दे सकता । हमें और भी कई प्रश्न पूछने हैं ।

काफी बोर्ड

+

†*३३१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने काफी गवेषणा केन्द्र में एक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह प्रयोगशाला केवल काफी के उत्पादन के लिये गहन भू-परीक्षण के लिये ही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । अगस्त, १९५८ से स्थापित हो चुकी है ।

(ग) जी नहीं । यह तो सभी काश्तकारों के लिये है, जिनमें काफी पैदा करने वाले काश्तकार भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: क्या उस कारखाने की स्थापना के लिये कोई विदेशी सहायता भी मांगी गयी है ; और यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: भारतीय कृषि गवेषणा संस्था सारे देश में इस प्रकार की २४ प्रयोगशालायें स्थापित कर रही है और उनमें से एक काफी बोर्ड के गवेषणा केन्द्र में स्थापित की जा रही है । इन प्रयोगशालाओं की स्थापना में प्रविधिक सहयोग मिशन ने की है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जो कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था काफी गवेषणा केन्द्र में स्थापित कर रही है । अतः ये सभी प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछे जाने चाहियें ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस प्रस्ताव के आने के पहले स्वयं काफी गवेषणा केन्द्र द्वारा भूमि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने में क्या कठिनाई थी ? क्या यह वित्तीय कठिनाइयों के कारण से था या कि काफी बोर्ड स्वयं ही उसे स्थापित नहीं करना चाहता था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा कि मैंने बताया है, यह प्रयोगशाला काफी बोड द्वारा स्थापित नहीं की जा रही है । वह तो काफी उत्पन्न करने वाले एक क्षेत्र में काफी बोर्ड के अहाते में स्थापित किया जा रहा है । वह प्रयोगशाला काफी उत्पादकों के साथ ही साथ अन्य प्रकार के उत्पादकों की भी सहायता करेगी अर्थात् यह निश्चय करने के लिये कि भूमि में किस प्रकार के और कितनी मात्रा में उर्वरक मिलाने चाहियें, उन खेतों की भूमि का विश्लेषण करने में सहायता करेंगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे दिया है । उन्होंने बता दिया है कि यह न ही केवल काफी बोर्ड के लिये है अपितु काश्तकारों के अन्य प्रकार के प्रयोजनों के लिये भी है । कृषि मंत्रालय ने ही इस काम के लिये प्रेरणा दी है । काफी बोर्ड ने स्वेच्छा से यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया है । मैं तो यही समझा हूं ।

†**श्री ० स० चं० सामन्त** : तो क्या भूमि परीक्षण संबंधी प्रबन्ध पहले वहां पर नहीं थे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, परन्तु इस प्रयोगशाला की स्थापना से काफी उत्पादकों और अन्य काश्तकारों दोनों को ही लाभ होगा ।

†**श्री दासप्पा** : क्या इससे पहले मैसूर सरकार के कृषि विभाग में भूमि परीक्षण का काम नहीं होता था ? और क्या अन्य क्षेत्रों में भी भूमि परीक्षण-कार्य नहीं किया जाता था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये सभी प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछे जायें।

†**श्री शिवनंजप्पा** : गवेषणा केन्द्र कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह गवेषणा केन्द्र पालेहोनूट में स्थापित किया जायेगा जहां पर पहले ही काफी बोर्ड का एक गवेषणा केन्द्र है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*३३२. { **श्री बर्मन** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मुरारका :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रावस्थाओं का पुनर्विभाजन पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों में क्या अन्तर आया है ?

†**श्रम रोजगार और योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद ने पांच वर्षों की अवधि में सरकारी क्षेत्र में ४५०० करोड़ रुपये खर्च करने के निर्णय को स्थिर रखने का फैसला किया है। शेष ब्योरे एक दस्तावेज में बताये जायेंगे जोकि इसी सत्र में सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री बर्मन** : ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से योजना के आंतरिक अथवा बाह्य वित्तीय ढांचे में यह कमी करनी पड़ी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : फिलहाल वित्तीय ढांचे में कमी करने का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। राष्ट्रीय विकास परिषद में मई मास में ४५०० क ोड़ रुपये निर्धारित किये थे, फिर भी **हम** उस राशि को स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आंध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों ने द्वितीय योजना काल के लिये निर्धारित अतिरिक्त करों के लक्ष्यों को पूरा भी कर लिया है, और उन्होंने योजना आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त संसाधनों के लक्ष्यों को भी पूरा कर लिया है, क्या योजना आयोग इन राज्यों के लिये योजना की शेष अवधि के लिये परिव्यय को बढ़ा देगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिये योजना उनकी आंतरिक अवस्था के आधार पर बनाई गई थी। और फिर इस प्रकार की मांग भी तो नहीं की गयी है और इस आधार पर ऐसी मांग की भी नहीं जा सकती क्योंकि कार्यान्विति की क्षमता को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** : यह बताया गया है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। क्या ोजना की प्रावस्थाओं को पुनर्विभाजित करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैंने सभा में बताया था कि लघु सिंचाई कार्यों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं और इसके लिये २६ करोड़ रुपयों की एक अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

†**श्री मुरारका** : ऐसी कौन कौन सी परियोजनायें हैं जोकि पहले योजना में सम्मिलित नहीं थीं, परन्तु अब सम्मिलित करने का विचार है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : ये तो मूल प्रश्न से बहुत दूर की बात पूछी जा रही हैं। प्रत्येक परियोजना के संबंध में इसी समय बताना मेरे लिये बड़ा कठिन है।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की उस बैठक का उल्लेख किया है जिसमें यह निर्णय किया गया था कि अधिकांश आंकड़ों को उसी रूप में रहने दिया जाये। क्या परिषद् के सदस्यों ने अपने अपने राज्यों में संसाधनों को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया था ?

†**श्रम रोजगार, और योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : जी हां। उन्होंने इस दिशा में अत्यधिक प्रयत्न करने का प्रस्ताव किया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या योजना की प्रावस्थाओं को फिर से निर्धारित करते समय राज्य सरकारों से उनकी राज्य योजनाओं के संबंध में परामर्श किया गया था ?

†**श्री नन्दा** : यह वार्षिक योजनाओं के द्वारा किया जाता है। किसी भी वर्ष के लिये योजना को निर्धारित करने से पहले राज्य सरकारों का परामर्श ले लिया जाता है।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार ने राष्ट्रीय विपत्ति बीमा रिजर्व के रूप में कोई राशि निर्धारित कर दी है ताकि किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली किसी ऐसी आकस्मिक विपत्ति का सामना किया जा सके, जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में और आंध्र में विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में बाढ़ के कारण उत्पन्न हो गयी थी ?

†**श्री नंदा** : समय समय पर उत्पन्न होने वाली विपत्तियों का मुकाबला किया जाता हैं।

†**श्री हेडा** : क्या कोई ऐसी योजना है जिस से हर तीन मास के बाद योजना पर पुनर्विचार कर लिया जा सके ?

†**श्री नन्दा** : समय समय पर विभिन्न योजना की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन आते रहते हैं।

†**श्री विमल घोष** : पिछले सेशन में जब लोक-सभा के सामने द्वितीय योजना का पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया था तब कुल योग ४५०० करोड़ रुपये था। क्या वर्तमान स्थिति उससे भिन्न है और यदि नहीं तो योजना का यह नवीन रूप लोक-सभा के समक्ष रखने की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : इसका उद्देश्य है अधिक जानकारी प्रदान करना। संसाधनों के निर्धारण में कुछ साधारण परिवर्तन हुआ है। इन तीन वर्षों का कार्य और अगले दो वर्षों के संसाधन में भी कुछ परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन बड़े नहीं हैं किन्तु फिर भी इस विषय में अधिक ब्यौरा आगे दिया जायेगा।

†**श्री नागी रेड्डी** : योजना को नवीन रूप प्रदान करते समय क्या सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये राज्यों के पूरे लक्ष्य की पूर्ति हो और योजना की शेष अवधि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ?

†**श्री नन्दा** : योजना के नवीन रूप में औद्योगिक भाग में कोई कमी नहीं हुई है ; प्रत्युत उद्योग सम्बन्धी विनियोग पर अधिक जोर दिया गया है।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या आंध्र प्रदेश जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये राज्यों को औद्योगिक विकास का पूरा कोटा मिलेगा--जैसा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया है। क्या इसमें कुछ कमी होगी ?

†**श्री नन्दा** : इसमें कोई अधिक कमी नहीं की गई।

†**श्री पाणिग्रही** : योजना आयोग ने अन्तिम लक्ष्य में ४५०० करोड़ रुपये से घटा कर ४२०० करोड़ रुपये का सुझाव दिया था किन्तु प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि इसमें कोई कमी न की जाये। क्या इस अन्तर की पूर्ति के लिये सरकार नवीन करों का आश्रय लेगी ?

†**श्री नन्दा** : मैंने इसका कई बार उत्तर दे दिया है। योजना आयोग ने केवल उपलब्ध संसाधनों का मोटा अनुमान ही प्रस्तुत किया है। कई दिशाओं में अनेक संसाधन एकत्रित किये जायेंगे और इस विषय पर अब और विचार कर लिया है। उस समय राज्यों ने कुछ वायदे किये थे जो योजना आयोग के विवरण में बताये गये निर्धारण से अधिक थे।

†**श्री बर्मन** : यह साधारण भावना व्याप्त हो रही है कि अनेक वस्तुओं पर खर्च बढ़ जाने तथा विदेशों में वस्तुओं की कीमते अधिक हो जाने के परिणामस्वरूप इस योजना में कुछ कमी आ गई है। चूंकि अब हमें बताया गया है कि ४८०० करोड़ रुपये के मूल आंकड़े यथावत बने रहेंगे तो क्या इसका यह अर्थ समझा जाये कि किसी बड़ी परियोजना पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**श्री नन्दा** : अब ४८०० करोड़ रुपये का कोई प्रश्न नहीं; अब यह रकम ४५०० करोड़ रुपये है और स्वाभाविक है कि कुछ मदों पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : माननीय उपमंत्री ने आज एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि योजना के विगत कार्यों पर भी विचार किया जायगा इस उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास जैसे राज्यों को, जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की है, योजना की शेष अवधि में अधिक वित्त प्रदान किया जायेगा।

†**श्री नन्दा** : यदि कोई राज्य अधिक संसाधन उत्पन्न कर सकता है, तो निसन्देह हीं उक्त आधार पर वह योजना को बढ़ा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : मैं उन योजनाओं के लिये आवंटित कुल रकम जानना चाहता हूं जो द्वितीय योजना में सम्मिलित नहीं थी ?

†श्री नन्दा : उपरोक्त दस्तावेज में इस विषय पर जानकारी दे दी गई है।

द्वितीय योजना की क्रियान्विति

+
*३३३. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना की सफल क्रियान्विति के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों का सक्रिय समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिये, जिनमें विरोधी दलों के सदस्य भी सम्मिलित हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् का विस्तार करने के सुझाव पर विचार किया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(क) प्रारम्भ से ही सरकार जनता के सम्पूर्ण वर्गों का विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने के लिये उत्सुक है। सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और विकास संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया गया है। सितम्बर, १९५८ में जन सहयोग की राष्ट्रीय परामर्शदाता समिति की इसलिये रचना की गई थी कि प्रमुख समाज सेवा संग न के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि और विभिन्नि दलों से संबंधित संसद् के सदस्य इसमें सर्मिलित किये जायें। भारत सेवक समाज सदृश स्वेच्छिक संगठनों द्वारा किये जाने वाले रचनात्मक कार्य को सरकार अत्यधिक महत्व देती है।

सरकार विभिन्न दलों के संसत्सदस्यों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के लिये इच्छुक ह। संसद् के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदाता समिति में, जो योजना आयोग से सम्बद्ध है, लोक सभा और राज्य सभा के ६६ सदस्य हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव है कि उपयुक्त अवसर उपस्थित होने पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के समय संसद् के सदस्यों की विशेष समितियां बनाई जायें।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् में, जिसकी स्थापना अगस्त १९५२ में की गई थी, म भारत के प्रधान मंत्री, सम्पूर्ण राज्यों के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के सदस्य हैं। इ की रचना तथा कार्यों के स्वरूप से इस संस्था का इतना विकास नहीं किया जा सकता है कि गैर-सरकारी सदस्य भी इसमें सम्मिलित हो सकें।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : लोक-सभा में इसके पुनर्मूल्यांकन पर चर्चा के पश्चात् क्या मैं यह जान सकता हूं कि .

†श्री नागी रेड्डी : सभा-पटल पर रखे गये उत्तर जब मैं पढ रहा था तो यह विवरण नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह विवरण लोक सभा के पटल पर कुछ देर से रखा गया था और सम्भव है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसे नहीं देखा हो। उत्तर के वृहदाकार स्वरूप पर ध्यान देते हुये हमने यही उचित समझा कि एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने कहा है कि एक व्यापक विवरण तैयार किया जा रहा है जिसमें लोक-सभा के पटल पर कुछ समय बाद रख दिया जायेगा। यह प्रश्न संख्या ३३२ के बारे में कहा गया है। जहां तक प्रश्न संख्या ३३३ का संबंध है कुछ समय पश्चात् सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया था। माननीय सदस्य कृपया इसका अध्ययन करें और अन्य प्रश्न बाद में पूछें।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण की एक प्रति यहां प्रस्तुत है। उससे यह प्रकट होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के समय संसद् के सदस्यों की उपसमितियां उससे सम्बद्ध की जायें। क्या सरकार केन्द्र और राज्यों में सम्पूर्ण राजनीति दलों की समितियां बनाने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके मार्ग में क्या क्या बाधायें हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्री नंगामणि :** विवरण में इनका निर्देश किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो माननीय मंत्री इसका उत्तर दे दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह कोई विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं है, अपितु इसकी पृष्ठ भूमि में निहित मूलभूत प्रश्न का उत्तर है। मैं स्वयं भी निश्चित विषय से अवगत नहीं हूं। एक प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद् के विस्तार से। इस परिषद् का विस्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में राज्यों के मुख्य मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और इन कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ केन्द्रीय मंत्री हैं। अतः जब तक हम राष्ट्रीय विकास परिषद् की रचना में मूलभूत परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। फिर तो यह काफी बड़ी होकर एक कांफ्रेंस का रुप धारण कर लेगी। हम भूतकाल में भी विशेष समूहों की रचना के लिये उत्सुक रहे हैं—विशिष्ट समूह, तालिकाएं आदि। हम पहले से भी अधिक अब इस दिशा में कुछ करन के लिये अधीर हैं। संसद् के सदस्यों से हम निकटतम सम्पर्क स्थापित करने के लिये उत्सुक हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अभी दो वर्ष शेष हैं। किन्तु हम इस पर विचार करना प्रारम्भ कर रहे हैं और परामर्श शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कुछ अस्पष्ट से रूप में यह आरम्भ भी हो गया है। मैं सभा के सदस्यों को यह आश्वासन दे दूं कि हम सदस्यों से शासकीय रूप के अतिरिक्त अन्य रीतियों से भी परामर्श करेंगे। परामर्शदात्री समितियों तथा अन्य विधियों में हमें बार बार उनसे परामर्श करना है। यह कार्य जारी रहेगा। लोकसभा के सदस्य और बड़े बड़े दलों के प्रतिनिधियों से हम सम्पर्क बनायेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना एक संयुक्त प्रयत्न है ; यह एक विशाल आयोजन है जिसकी क्रियान्विति के लिये संगठित और मिले जुले प्रयत्न की आवश्यकता है। और हम परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क के बल पर ही इसे कार्यान्वित करने की आशा रखते है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय प्रधान मंत्री और माननीय योजना मंत्री को यह स्मरण है कि द्वितीय योजना के पुनर्मूल्यांकन पर बहस के दौरान सभा में किस प्रकार के भाषण दिये गये थे। क्या उस घटना के पश्चात् सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य गैर-सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्ति और दलों के नेताओं से किसी प्रकार की चर्चा की गई है और गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई माध्यम ढूंडा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसे "जन समर्थन" शब्द से विभूषित नहीं करूंगा। यह उपर्युक्त शब्द नहीं है। यह किसी ऐसी सरकारी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है जो केन्द्र में की जा रही है और दूसरे व्यक्ति इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हों। मैं तो इतना कहूंगा कि अधिकांश में जनता ही इसका सूत्रपात करे और सरकार इसका समर्थन करे। इसे इस प्रकार कहना अधिक श्रेयस्कर होगा। सरकार समर्थन प्राप्त कर सकती है किन्तु हम सबसे अधिक महत्व उसे ही देते हैं। हम सदैव यह विचार करते हैं कि इसका उत्तम निस्पादन कैसे किया जा सकता है। यह सरल नहीं है। किन्तु हम इसे कर रहे हैं ; कुछ सीमा तक सफलता भी मिली है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सफलता अधिक नहीं है। माननीय सदस्य ने सर्वोदय नेताओं के साथ परामर्श करने के लिये कहा है। श्री जयप्रकाश नारायण ने जनता द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों पर जोर दिया है। जहां तक मुझे स्मरण है, उन्होंने पंचवर्षीय योजना की ओर निर्देश नहीं किया था। वस्तुतः मैं इस विषय में निश्चित नहीं हूं कि वह पंचवर्षीय योजना की मुख्य रूपरेखा से कहां तक सहमत हैं। मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उसके साथ जन सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु हमने इस विषय पर कोई निश्चित और सूक्ष्म रूप से विचार नहीं किया कि जन सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाये। इस पर संकेत मात्र किया गया था जिसका पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति से विशेष सम्बन्ध नहीं था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जन सहयोग के विषय में राष्ट्रीय मंत्रणा समिति से निर्देश किया गया है। यह समिति काफी समय से विद्यमान है। अब यह प्रायः समाप्त सी क्यों हो गई है इसमें क्या कठिनाइयां हैं और क्या कारण हैं ? उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री नन्दा** : समिति की पुनर्रचना की गई है और इसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। शीघ्र ही इसकी एक और मीटिंग होने वाली है। पहले वाली संस्था कुछ समय तक तो सक्रिय रही और फिर इसने कार्य करना बन्द कर दिया क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं और संस्था की तत्कालीन रचना कुछ ऐसी थी कि वह अधिक सहायता नहीं कर सकती थी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इसमें क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

†**श्री नन्दा** : इसमें अब अनेक गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक निकायों के काफी प्रतिनिधि सम्मिलित कर लिये गये हैं और संसद् के कुछ सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है ?

†**श्री दासप्पा** : पिछली बार यह कहा गया था कि यह जन योजना का रूप धारण कर रही है और जिले के स्तर पर जनता से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है। किन्तु आगे चलकर यह पहलू पीछे रह गया। क्या जिला और ताल्लुक स्तर पर जनता से परामर्श कर इसे वस्तुतः जन योजना का रूप क्यों नहीं दे दिया जाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : एक दृष्टि से यह सही है। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जिला और ताल्लुक स्तर पर जनता से परामर्श करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में इसका अपरिमित महत्व है हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि हम योजना में उनका कहां तक समावेश कर सकते हैं। इस दिशा में अत्यधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। किन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना का अभिप्राय यह नहीं है कि आवश्यकताओं की सूची बना ली जाये अथवा संसाधनों की एक तालिका प्रस्तुत कर दी जाये। योजना बनाना एक जटिल कार्य है। इस दृष्टि से हम जिलों के स्तर पर परामर्श नहीं कर सकते हैं जिले अथवा ताल्लुक या ब्लाक की जनता कहेगी : हम यह चाहिये ; हमारी यह आवश्यकता है ; इसकी पूर्ति बहुत आवश्यक है। हम यह कर सकते हैं, और यहां अत्यधिक घनिष्ट परामर्श की आवश्यकता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न का प्रथम भाग योजना की क्रियान्वित और गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा विरोधी दलों के सदस्य का सहयोग प्राप्त करने से सम्बन्धित है। क्या माननीय प्रधान मंत्री इस बात से अवगत हैं कि जब कि कुछ विरोधी दलों का प्रतिनिधित्व उच्च स्तर पर तो है किन्तु कांग्रेस पार्टी के सदस्य लगातार इस बात के विरोधी रहे हैं कि निम्न स्तर पर, और विशेष रूप से ताल्लुक तथा खंड के स्तर पर जहां योजना की यथार्थ क्रियान्विति होती है, सब दलों की समितियां न बनाई जायें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक व्यापक प्रश्न है। भारत जैसे देश में सब प्रकार की घटना होती है। किन्तु हम सभी स्तरों पर सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक हैं और निसन्देह ही हम इसके लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मजूरी बढ़ाने की मांग पूरी न करने के फलस्वरूप हमें श्रमिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है ? माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि तीसरी योजना में सक्रिय रूप से विचार करने की आवश्यकता है। क्या सरकार सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें कांग्रेसी नेतृत्व वाली इंटक संस्था भी सम्मिलित है, कि सिफारिश एवं सुझाव के अनुसार मजूरी में २५ प्रतिशत वृद्धि पर क्या सरकार विचार करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय का प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : लेकिन श्रमिकों के समर्थन से इसका सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह तो और भी अनेक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। किन्तु यह विषय असंगत है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : श्रमिकों का समर्थन प्राप्त किये गये बिना योजना कैसे सफल हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : और मामलों में आपका प्रश्न सुसंगत हो सकता है। किन्तु वर्तमान मामले में ऐसा कदापि नहीं।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या सरकार को मालूम है कि लगभग सभी जिलों में दूसरे राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व विधान सभा के सदस्य और लोक-सभा के सदस्य करते हैं और जिला योजना समिति तथा अन्य निम्न समितियों में कांग्रेस दल के अतिरिक्त अन्य किसी राजनैतिक दल अथवा विरोधी दल का प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वही प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण में बताया गया है कि सरकार भारत सेवक समाज सदृश्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले रचनात्मक कार्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। इस दृष्टि से क्या अन्य संगठनों को भी उतना ही महत्व दिया जायेगा और उन्हें भी योजना से सम्बद्ध किया जायेगा तथा द्वितीय योजना की सफलता के लिये सुविधायें प्रदान की जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : जी हां, उन्हें योजना से सम्बद्ध किया गया है। उसमें उन सब का प्रतिनिधित्व है, इसका उलेख पहले किया जा चुका है।

श्री वि० च० शुक्ल : विवरण में बताया गया है कि जन सहयोग प्राप्त करने के दूसरे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। यह पहलु कौन-कौन से हैं।

श्री नन्दा : इन पर आगे विचार किया जायेगा। प्रधान मंत्री ने उन बातों का निर्देश किया था।

कागज का निर्माण

+

†*३३४. { **श्री बहादुर सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग से भारत में निर्मित कागज के खुर्दा फरोश और थोक बिक्रेताओं द्वारा वसूल की जाने वाली उचित कीमतों के प्रश्न की जांच करने के लिये कहा गया है ;

(ख) क्या प्रशुल्क आयोग द्वारा उस आशय की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी तक नहीं किया गया है।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार को मालूम है कि कागज और विशेष रूप से सफेद प्रिंटिंग चोर बाजारी में जा रहा है ? मेरा अभिप्राय है कि फैक्टरी की कीमतें और थोक एवं खुर्दा फरोश की कीमतों में पर्याप्त विषमता है। यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उपभोक्ता को उचित मल्य पर कागज मिल सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक कागज की कमी का प्रश्न है मैंने यह बात अनेक बार लोक-सभा के समक्ष कह दी है। हम एक ओर तो वृद्धि बढ़ा रहे हैं और सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चालू वर्ष में उत्पादन ४०,००० टन तक बढ़ गया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा २० प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त हमने सब निर्माताओं और वितरकों की एक मीटिंग भी बुलाई थी। जहां तक सफेद प्रिंटिंग का सम्बन्ध है। शिकायतें नगण्य हैं। अधिक शिकायत अभ्यास पुस्तकों के सम्बन्ध में है; हम नेपा मिल्स में उनका उत्पादन बढ़ाने और वितरण का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सच है कि इसमें कमी हो गई है। मैं लोकसभा के सामने यह निवेदन करता हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के परिणामस्वरूप १९५६–५७ में ८ करोड़ रुपये का कागज मंगाया गया था चालू वर्ष में हम ३½ करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सके हैं। यह भी एक कारण है ।

†**सेठ अचल सिंह** : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पेपर में काफी ब्लैक मारकेट हो रहा है। यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसका जवाब तो मैंने दे ही दिया ।

†**श्री आचार** : क्या प्रशुल्क आयोग ने न्यूजप्रिंट के लिये कोई सिफारिश की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रशुल्क आयोग से पहली सितम्बर को कहा गया था और हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहेहैं। वह छपाई तथा रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले कागज के संबंध में है न्यूजप्रिंट से उसका संबंध नहीं है ।

†**श्री पु० रं० पटेल** : क्या सरकार को मालूम है कि नेपा ने एजेंट नियुक्त कर दिये हैं और यह एजेंट ब्लैक मार्केटिंग करते हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार अपने बिक्री डिपो स्थापित करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रत्यक्ष रूप में संबंधित यथार्थ वितरकों से हमें अधिक कीमत वसूल करने की कोई शिकायत नहीं मिली है । शिकायतें खुदरा बिक्री के स्तर पर या उपभोक्ता स्तर पर उत्पन्न होती हैं ।

†**श्री तंगामणि** : ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में यह विषय प्रशुल्क आयोग से निर्देश करने की चर्चा की गई थी। उस समय माननीय मंत्री ने बताया था कि कागज निर्माता एक पौंड की कीमत ८० न० पैसे में ३½ नये पैसे की वृद्धि चाहते हैं । इसकी कीमत पहले ही अधिक है तब क्या प्रशुल्क आयोग ने इसकी कीमत प्रति पौंड ८० नये पैसे से कम करने पर विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न यह था कि चालू औसत कीमत ८० नये पैसे प्रति पौंड है और उद्योग इसमें ३½ नये पैसे बढ़ाना चाहता है। यह कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं है। कीमत में कमी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ गई है। प्रशुल्क आयोग इसकी जांच कर रहा है और १ सितम्बर को इसका निर्देश किया गया है। रिपोर्ट मिलने में एक महीना या इससे अधिक समय लग जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या प्रशुल्क आयोग से उस कागज की उचित कीमत का सुझाव देने के लिये कहा गया है जिसका उपयोग केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें करती हैं ?

†**श्री मनभाई शाह** : इस प्रकार की कोई किस्में नहीं हैं । उनका वर्गीकरण पौण्ड से अथवा सफदी के अनुसार किया जाता है। प्रशुल्क आयोग इन सब किस्मों पर विचार करेगा और यह बतायेगा कि इनकी क्या कीमत होनी चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि मिलों द्वारा सरकार को जो कागज सम्भारित किया जाता है वह विशेष रूप से कम कीमत पर सम्भारित होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दर सम्बन्धी संविदे तो सदा ही रहते हैं । विभिन्न किस्मों के लिये निर्धारित कीमतों से उनका संबंध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांस में घायल भारतीय

+

†*३३५. श्री राम कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री आचार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर के चतुर्थ सप्ताह में पेरिस की एक सड़क पर मोटर दुर्घटना के उपरांत कैप्टेन एम० बी० के० सिंह पर फ्रांसीसियों की भीड़ ने आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि पेरिस स्थित भारत दूतावास ने उस विषय में कोई कार्यवाही की है तो उसका क्या स्वरूप है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). २० सितम्बर को कप्टेन भवानी सिंह पेरिस के निकट मोटर कार चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गये जिसमें एक फ्रांसीसी बालक की मृत्यु हो गई। हम उसकी मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं।

दुर्घटना के समय वहां भीड़ जमा हो गई और उनका रूख कैप्टेन भवानी सिंह के प्रति रोषपूर्ण था। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो कैप्टेन भवानी सिंह को हमारे दूतावास से सम्पर्क स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई। पेरिस लौटने पर कैप्टेन भवानी सिंह ने इस घटना की रिपोर्ट भारतीय दूतावास में की। पेरिस म हमारे राजदूत ने कैप्टेन भवानी सिंह के साथ पुलिस स्टेशन में किये गये दुर्व्यवहार के प्रति फ्रांसीसी विदेश कार्यालय में शिकायत प्रेसित कर दी है।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस दुर्घटना में उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति उ ानी पड़ी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : किसको, श्रीमान् ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भवानी सिंह ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक मोटर दुर्घटना में एक फ्रांसीसी बालक की मृत्यु हो गई। मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा गलत है किन्तु गांव वासियों ने जब एक बालक को मरते देखा तो हम उनके क्रोध की कल्पना कर सकते हैं। अब हमसे कार के ड्राइवर को हुई क्षति के संबंध में पूछा जा रहा है। अजीब बात है।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: श्री भवानी सिंह के साथ पुलिस स्टेशन में किये जाने वाले दुर्व्यवहार के प्रति कुछ शिकायत थी। तो इस दुर्व्यवहार का क्या स्वरूप है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: सबसे महत्वपूर्ण बात है बालक की मृत्यु। हम किसी भी व्यक्ति के सामने इसकी चर्चा का साहस नहीं कर सकते हैं। हमें लज्जित होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान में क्षेप्यास्त्रों के अड्डे

†*३३६. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** २२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान में रेडियो नियंत्रित क्षेप्यास्त्रों के अड्डे तथा सामरिक आधुनिक बमवर्षक विमानों के सैनिक हवाई अड्डे बनाने के संबंध में समाचारों का सत्यापन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्राप्त सूचना किस प्रकार की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). इस प्रकार विषय की जो जानकारी सरकार को है वह बताना लोक-हित में नहीं है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या भारत सरकार को पिछली १४ अप्रैल को सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को दी गई चेतावनी का पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान में रेडियो नियंत्रित क्षेप्यास्त्र तथा बी० ४७ और बी० ५२ प्रकार के भारी बमों के हवाई अड्डे बनाने रूस के लिये उपद्रव उत्पन्न करना होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां, हमने वह देखी है ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या हमने भी इन चीजों का सत्यापन करने का प्रयत्न किया है और क्या इस मामले में अमरीका अथवा पश्चिमी पाकिस्तान से कहा है कि रेडियो नियंत्रित क्षेप्यास्त्रों और भारी बम वर्षक विमानों के अड्डे अथवा अन्य आधुनिक सेना उपकरण रखना हमारे लिये भी उपद्रव का कारण होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने पहले ही इस मामलों का हवाला अमरीका को दे दिया है और उन्होंने इस बात से इन्कार कर दिया है कि वहां इस प्रकार के कोई अड्डे हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या रूस के टिप्पण के उत्तर में पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया है कि वहां भारी बमवर्षक विमानों के कुछ अड्डे हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या हमने भी इस बात का सत्यापन करने के लिये कुछ कार्यवाही की है कि पाकिस्तान में ऐसे अड्डे हैं और क्या पाकिस्तान में उनके उतरने के अड्डे भी हैं तथा क्या पाकिस्तान के पास हमारे यहां से अच्छे किस्म के आधुनिक हथियार हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य हेर-फेर कर वही प्रश्न पूछ रहे हैं । उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर सामरिक प्रतिरक्षा का कोई प्रबन्ध किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है उसकी सूचना तक जनता को नहीं दी जानी चाहिये । जबकि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या प्रभावपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : मैं क्षेप्यास्त्रों के अड्डे की बात उनके ऊपर छोड़ता हूं किन्तु क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान कंकरीट की खाइयां बनवा रहा है, जो मैंने स्वयं पूर्वी-पाकिस्तान की सीमा पर देखी हैं ? इसके अलावा सीमा पर सैनिक टुकड़ियों की बड़ी चहल-पहल रहती है जैसा कि आसाम के मुख्य मंत्री ने भी कहा है । क्या सरकार ने इन समाचारों की सचाई जानने का प्रयत्न किया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रश्न के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है किन्तु हमारी वहां की जानकारी यह है कि सीमा के दूसरी ओर टुकड़ियां अधिक जमा नहीं हैं ।

†श्री नागी रेड्डी : प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में जो कुछ कहा है उससे पता लगता है कि पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार के वहां कुछ अड्डे हैं, यह उन्होंने रूस के टिप्पण के उत्तर में कहा है किन्तु अमरीका ने प्रधान मंत्री के उत्तर में यह कहा है कि जहां तक उन्हें पता है, पाकिस्तान में इस प्रकार के अड्डे नहीं हैं । मैं जानना यह चाहता हूं कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है वह जो पाकिस्तान ने सोवियत रूस को दिया है अथवा जो अमरीका ने हमें दिया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे सामने पाकिस्तान का उत्तर मौजूद नहीं है । इस कारण मैं इस बारे में निर्णय नहीं दे सकता । मेरे पास अमरीकी अधिकारियों का हमारे प्रश्न का जो उत्तर आया है, मैं उसके बारे में बता सकता हूं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जहां तक अमरीका के पाकिस्तान को विरोध टिप्पण का संबंध है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से क्वेटा, गिलगित और पेशावर तथा अन्य विभिन्न हवाई अड्डों का उल्लेख किया है जिनका निर्माण सामरिक महत्व के आधुनिक बमवर्षकों के लिये किया जा रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस मामले के बारे में जनता को ज्ञात हो चुका है, सरकार यह बताने में क्यों हिचकती है कि ये जहां तक हमें जानकारी मिली है, ये आरोप कहां तक सच हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य यह समझने की कोशिश करें कि यदि हमें इस प्रकार की कोई बात पता लगती है, तो जिस प्रकार हमें उसका पता लगता है वह जनता को भी बता दी जाये । इसमें शक नहीं किया जा सकता कि वहां हवाई अड्डे हैं जो पाकिस्तान के भिन्न-भिन्न हिस्सों और सीमा पर तथा और जगहों में स्थित हैं । इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता किन्तु किसी विशेष प्रकार के बमवर्षक विमानों के लिये ही वे बनवाये गये हैं, यह दूसरा प्रश्न है । किसी एक प्रकार के हवाई अड्डे को किसी दूसरे काम के लिये बदल देने में अधिक समय नहीं लगता । यदि आपके पास हवाई अड्डा है तो उसमें कुछ हेर फेर करके उसे किसी और काम में लाया जा सकता है ।

राष्ट्रपति की विदेश यात्रा

+

†*३३७. { श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक देशों ने भारत संघ के राष्ट्रपति से अपने देशों का दौरा करने के लिये आमंत्रण दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) किन देशों के आमंत्रण स्वीकार कर लिये गये हैं ; और

(घ) राष्ट्रपति इन देशों का भ्रमण कब तक करेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) निम्न देशों से औपचारिक एवं अनौपचारिक निमंत्रण प्राप्त हुये हैं :—फिलिप्पाइन्स, वियतनाम का प्रजातांत्रिक गणराज्य, वियतनाम का गणराज्य, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलाया और इन्डोनेशिया ।

(ग) और (घ). राष्ट्रपति मलाया में ६ से ८ दिसम्बर, १९५८ तक और इन्डोनेशिया में ८ से १९ दिसम्बर, १९५८ तक रहेंगे । अन्य देशों की यात्रा के बारे में राष्ट्रपति को सुविधा तथा आमंत्रण देने वाले देशों से परामर्श के पश्चात् प्रबन्ध किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की एक देश की यात्रा में कितना खर्च पड़ता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह तो देश पर है कि कितनी दूर देश है, कितना लम्बा सफर है, कितने लोग जाते हैं। इस की कोई मुकर्ररा रकम तो नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : अब तक जहां जा चुके हैं, उसमें कितना खर्च पड़ा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अगर माननीय सदस्य जापान के बारे में सवाल करें, तो हम दरयाफ्त कर के पेश कर देंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, हमारे राष्ट्रपति अभी पिछले दिनों पहली-पहली बार हमारे देश से बाहर जापान गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति देश से बाहर रहते हैं, तब उनकी अनुपस्थिति में यहां क्या व्यवस्था की जाती है, क्योंकि, जहां तक मुझे याद है, जब कि राष्ट्रपति जापान गए थे, तो उपराष्ट्रपति भी बाहर थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : राष्ट्रपति यहां से बाहर जाते हैं, तो राष्ट्रपति फिर भी वह रहते हैं। मेरा मतलब यह है कि उन की जगह पर और कोई नहीं मुकर्रर हो जाता है। मुमकिन है कि कुछ काम दो चार पांच रोज के लिए अटक जायें, तो दो चार पांच रोज में कोई हर्जा नहीं होता है। हां, अगर ज्यादा दिन के लिए जायें, तो खास इन्तजाम की शायद जरूरत पड़े।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या प्रधान मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जब राष्ट्रपति महोदय विदेश-यात्रा पर जाते हैं तो जिन देशों में वह जाते हैं, वे देश उन की यात्रा का व्यय वहन करते हैं अथवा भारत सरकार वहन करती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जिस देश में राष्ट्रपति जी जाते हैं, वह वहां के महमान हो कर जाते हैं और वहां की हुकूमत उन से महमानों की तरह से—अतिथियों की तरह से बर्ताव करती है। लेकिन जाहिर है कि फिर भी बहुत काफी खर्च हमारी हुकूमत की तरफ से इस मामले में करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिशुओं के लिये दुग्ध खाद्य

+

†*३३८. { श्री पाणिग्रही :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशुओं के लिये दुग्ध खाद्य के आयात में कुछ ढील दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो १६५८ में अब तक कितने दुग्ध खाद्य का आयात किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी—अगस्त, १६५८ में २६८६.७ हंडरवेट। बाद के महीनों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

†श्री पाणिग्रही : इस दुग्ध खाद्य के आयात से देश में शिशुओं के लिये दुग्ध खाद्य की कमी की कहां तक पूर्ति हो पाती है ?

†सतीश चन्द्र : अक्तूबर में उसके मूल्य घट कर अप्रैल के बराबर हो गये थे, जब कि कमी महसूस की गई थी। इससे पता लगता है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है।

†श्री पाणिग्रही : क्या शिशुओं के लिये दुग्ध खाद्य का आयात करने वाले लोगों ने भारत सरकार से निर्धारित लक्ष्य से अधिक मात्रा में दुग्ध आयात करने के लिये निवेदन किया था ?

†श्री सतीश चन्द्र : कितनी मात्रा में ?

†श्री पाणिग्रही : जितनी मात्रा में आपने आयात की अनुमति दी है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या अधिक आयात के लिये मांग गई थी ?

†श्री सतीश चन्द्र : जी हां। अक्तूबर—अप्रैल में घोषित की गई नई लाइसेंस नीति में पिछले लाइसेंस काल की तुलना में अधिक कोटा नियत किया गया है।

स्टैनलैस स्टील के बर्तन

†*३३६. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैनलैस स्टील के बने हुए बर्तनों के विक्रय दामों पर कोई नियन्त्रण है ;

(ख) १६५७–५८ में कुल कितनी कीमत के स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का आयात किया गया था ; और

(ग) उक्त वर्ष में कुल कितनी कीमत के स्टेनलैस स्टील के बर्तन तैयार किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) लगभग २८० लाख रुपयों के जिनमें स्टेनलैस स्टील की हर प्रकार की वस्तुएं जैसे सीकचें, छड़ें, तथा चद्दरें आदि सभी सम्मिलित हैं।

(ग) १९५७–५८ में स्टैनलैस स्टील की तैयार की गयी वस्तुओं की कुल कीमत के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर** : भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इन बर्तनों के निर्माण पर सामान्यतया कितना लाभ प्राप्त किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो वस्तुओं की किस्म पर निर्भर करता है। जब तक कि उस वस्तु की बहुत अधिक कमी न हो तब तक सामान्यतया उचित लाभ ही लिया जाता है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार के पास इस प्रकार की जानकारी है कि खाना पकाने के बर्तनों के फुटकर विक्रय दाम वास्तविक लागत की तुलना में कैसे हैं और निर्माताओं द्वारा खरीदारों से कितना लाभ प्राप्त किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मैं पहले उत्तर दे चुका हूं। यह तो मांग और संभरण की स्थिति पर निर्भर करता है। सैकड़ों और हजारों प्रकार के बर्तन हैं और सरकार सभी बर्तनों के दामों का अपने पास रजिस्टर नहीं रख सकती। परन्तु यह निश्चित है कि बर्तनों के दाम स्टैनलैस स्टील की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं। दुर्भाग्यवश हम गत कुछ महीनों में अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टेनलैस स्टील के आयात की अनुमति नहीं दे सके हैं।

†**श्री हेडा** : औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भी हमें स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता है। क्या स्टैनलैस स्टील की कमी के कारण बर्तन बनाने वाले कारखानों की वजह से हमारे उद्योग कार्यों पर कोई बुरा असर पड़ रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। उद्योगों में स्टेनलैस स्टील का वास्तव में प्रयोग करने वाले सार्थों को अलग से स्टील आयात करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध तो बर्तनों के लिये आवश्यक स्टेनलैस स्टील से है।

श्री भक्त दर्शन : ये जो जंगहीन फौलाद के बर्तन हैं ये काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं और हम लगभग तीन करोड़ रुपये के बर्तनों का आयात भी कर रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि अपने ही देश में इनके निर्माण के लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जी ४०,००० टन की केपेसिटी की व्यवस्था की जाएगी। उसमें से १०,००० टन स्टेनलैस स्टील तीन या चार साल के अन्दर तैयार किया जाएगा। इसको तैयार करने के लिए पब्लिक सैक्टर में जो लोहे की फैक्टरियां हैं उनमें से किसी में व्यवस्था की जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इस समय केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को ही इस्पात आयात करने की अनुमति देने की नीति है या कि आयात कर्त्ताओं को भी उसकी अनुमति दी जाती है ; और यदि हां, तो उनका कितना अनुपात है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान नीति यह है कि कुछ एक मुख्य निर्माताओं को प्रयोक्ताओं के रूप में इस्पात आयात करने की अनुमति दी जाये । परन्तु अधिकांश कोटा पुराने आयात कर्त्ताओं को भी दिया जाता है।

†**श्री वें० प० नायर** : उनका अनुपात कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नीति तो बता दी गयी है । इसका अनुपात गत वर्ष के आयात के आधार पर ३५ से ५० प्रतिशत है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि आयात कर्ता उस पर कितना लाभ प्राप्त करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वही प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सिंगापुर में भारतीय

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३.**

श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सुब्बैया अम्बलम् :
श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर में रहने वाले हजारों भारतीयों को राष्ट्रहीन व्यक्ति घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) क्या भारत सरकार को भारतीय वाणिज्य मंडल, सिंगापुर से कोई अत्यावश्यक अपील प्राप्त हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उस अपील में क्या कहा गया है ;

(ङ) क्या भारतीय नागरिकता अधिनियम सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों की उस प्रकार की कठिनाइयों में कोई सहायता कर सकता है ; और

(च) क्या जब तक राष्ट्र मण्डल नागरिकता अधिनियम के आधार पर उन्हें सिंगापुर नागरिकता प्रदान नहीं की जाती, तब तक भारतीय पारपत्रों का दिया जाना पुनः चालू नहीं कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). भारतीय वाणिज्य परिषद्, सिंगापुर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कई कठिनाइयों का उल्लेख है और कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है । उनकी मुख्य कठिनाई यह प्रतीत होती है कि सिंगापुर सरकार सिंगापुर पारपत्र जारी करने और विदेशों को जाने की इच्छा रखने वालों को अस्थायी पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने में बहुत देर लगा देती है। दूसरी बात, जिस के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, यह है कि क्या वे व्यक्ति पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जो कि पहले ही ब्रिटेन के तथा अन्य उपनिवेशों के नागरिक बन चुके हों।

(ङ) जी नहीं ।

(च) उन व्यक्तियों को भारतीय पारपत्र देना सम्भव नहीं है जो कि भारतीय नागरिक नहीं हैं। जब तक सिंगापुर पारपत्र जारी नहीं होता, तब तक भारतीय उद्भव के सिंगापुर के नागरिक सिंगापुर सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले पहचान के प्रमाण पत्रों के आधार पर यात्रा कर सकते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्वालालामपुर स्थित उच्चायुक्त के परामर्श के परिणामस्वरूप सिंगापुर के भारतीय व्यर्थ में ही ऐसी स्थिति में डाल दिये गये जिससे वे राष्ट्रहीन हो गये । यदि वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो क्या सरकार उन्हें आसान शर्तों पर नागरिकता प्रदान करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : क्वालालामपुर स्थित हमारे उच्चायुक्त ने वहां के भारतीयों को कोई गलत परामर्श नहीं दिया था। उन सभी लोगों को जो सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे, अपनी इच्छा से ऐसा करने की पूरी-पूरी अनुमति थी। उन पर किसी का भी दबाव न था और न ही उन्हें उच्चायुक्त ने कोई ग़लत परामर्श दिया था। उन्होंने अपने लाभ के लिये नागरिकता प्राप्त की थी या तो इस दृष्टि से कि उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें मिल सकेंगी या उस दृष्टि से कि वे अपने आप को निर्वाचक के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : १९५७ के उत्तरार्द्ध में उच्चायुक्त ने वहां पर रहने वाले भारतीयों को यह प्रोत्साहन दिया था कि वे वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिये अपने आपको सिंगापुर के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लें। उसके परिणामस्वरूप वहां के कुछ भारतीयों को केवल आन्तरिक कार्यों के लिये अधिकार मिले हैं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। उन्हें भारत आने की भी सुविधा नहीं दी गयी क्योंकि उन्हें वीसा देने से इन्कार कर दिया गया है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सिंगापुर से भारत आने में किसी भी व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। वे भारत में आज़ादी से प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें भारत में रहने का अधिकार प्राप्त है। कठिनाई तो केवल पारपत्र प्राप्त करने में है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह तो किसी के लिये भी संभव नहीं है कि वह दोनों ओर लाभ उठा सके, अर्थात् सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर सकें और उसी समय भारतीय नागरिकता भी प्राप्त कर सके। इस परिवर्तनशील समय में

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगापुर में रहने वाले कुछ भारतीय नर नारियों ने सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उससे उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गयी है। अत: यह कहना ग़लत है कि उच्चायुक्त ने यह परामर्श देकर गलती की है कि उन्हें सिंगापुर के नागरिक बन जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उस परामर्श में कोई गलती नहीं थी। आज भी मैं यही परामर्श देता हूं के विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेनी चाहिये। परन्तु यदि वे वहां पर रह कर भी भारतीय नागरिक बने रहना चाहते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं।

†श्री तंगामणि : क्या प्रधान मंत्री को ज्ञात है कि इसी अनिश्चित स्थिति के कारण १६ नवम्बर, १६५८ को वहां से एक विशेष चार्टर विमान के द्वारा हज़ारों भारतीय मद्रास वापिस आ गये थे जिनमें बहुत से लोग बूढ़े, बच्चे और औरतें थीं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उसका तो पहिले ही उत्तर दिया जा चुका है कि मलाया से वापिस आने वाले वे ही लोग हैं जो कि उस संविदा के अधीन वापिस आने के योग्य थे जिसके अधीन वे वहां गये थे ? नौपरिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें वहां अधिक समय तक ठहरना पड़ा था वहां से वे अब वापिस आये हैं।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या बर्मा और सिंगापुर के उन भारतीय नागरिकों को जो कि इस समय कष्ट में हैं, वहां सुखपूर्वक रहने में, अथवा उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर करने के काम में सहायता देने के लिये कोई समन्वित योजना है, अन्यथा वे भारत न आ सकेंगे और अपने लिये कोई रोज़गार न ढूंढ सकेंगे ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सिंगापुर से आने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में वाणिज्य मंडल द्वारा जिस कठिनाई की ओर निर्देश किया गया है उसका कारण यह है कि यदि वे सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर लें, तो उस स्थिति में वे अपनी सम्पत्ति को भारत नहीं भेज सकते। और यदि वे भारतीय नागरिक के रूप में रहें, तो उस स्थिति में वे बैसा कर सकते हैं। वाणिज्य मंडल की यही तो शिकायत है।

†श्री सुब्बराव अम्बलम् : क्या नागरिकता के इस प्रश्न का केवल सिंगापुर के भारतीयों पर ही असर पड़ा है या कि मलाया के भारतीयों पर भी असर पड़ा है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल सिंगापुर के भारतीय नागरिकों से है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सिंगापुर में रहने वाले सभी नागरिकों ने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली है, अथवा केवल कुछ एक ने ही की है, और सिंगापुर के नये नागरिकता अधिनियम के अधीन उन लोगों की क्या स्थिति होगी जिन्होंने वहां की नागरिकता स्वीकार नहीं की है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उन में से कुछ एक व्यक्ति ब्रिटिश तथा उपनिवेश नागरिकता अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हैं। वे लोग अपनी नागरिकता को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक वे किसी और देश द्वारा नागरिक के रूप में स्वीकार न कर लिए जाएं। उन में से कुछ एक व्यक्ति सिंगापुर नागरिकता अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हैं और वे सिंगापुर के ही नागरिक रहेंगे। उन के द्वारा सिंगापुर की नागरिकता को छोड़ देने और भारत वापिस आने में कई प्रकार की उलझनें निहित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरुगेश प्रसन्न : क्या हमारी सरकार की ओर से, अर्थात् मलाया स्थित हमारे उच्चायुक्त द्वारा, उन्हें कोई परामर्श दिया गया था जिसके आधार पर वहां के बहुत से भारतीयों ने इस प्रकार की दोहरी नागरिकता प्राप्त कर ली है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने अभी अभी यह बताया है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति द्वारा परामर्श दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमारी यह नीति है कि हम विदेशों में कई वर्षों और कई पीढ़ियों से रहने वाले भारतीयों को केवल यही सूचित करते हैं कि वे स्वयं इस बात का निर्णय करें कि क्या वे भारत के नागरिक बन कर रहना चाहते हैं अथवा उस देश के जहां वे रह रहे हैं। पहले जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी उस समय इस प्रकार का निर्णय करना आवश्यक नहीं था। उस समय तो सभी उपनिवेशों में विधि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता लागू होती थी, परन्तु अब तो स्थिति बदल गई है । अब तो उन्हें इस बात का निर्णय करना है कि वे कौन सी राष्ट्रीयता को अपनाना चाहते हैं उन्हें दोनों ओर के लाभ और हानियों पर अच्छी प्रकार से विचार करना है। यदि वे भारतीय नागरिकों के समान रहना चाहें तो हम इस बात का भी स्वागत करेंगे। परन्तु उस स्थिति में वे उस देश की नागरिकता, मताधिकार तथा अन्य प्रकार की सुविधायें नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अत: हमारा तो उन्हें परामर्श है कि वे अपनी इच्छा से जैसा चाहें, वैसा करें। यदि वे उसी देश में रह कर, वहीं पर अपना काम काज चलाना चाहते हैं तो उनके लिए यही अच्छा है कि वे उस देश के नागरिक बन जावें और वहीं के लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।

†श्री तंगामणि : माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि उन्हें किसी एक ही देश की नागरिकता के सम्बन्ध में निर्णय करना होगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से सम्बन्धी वहां पर हैं और शेष भारत में हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे उच्चायुक्त ने सिंगापुर में रहने वाले उन भारतीयों को क्या परामर्श दिया था जिन में से कुछ एक के पास ब्रिटिश पारपत्र हैं और कुछ के पास भारतीय पार पात्र हैं, क्या उन्होंने उन लोगों को सिंगापुर की नागरिकता स्वीकार करने के लिए कहा था अथवा भारतीय नागरिकता के लिये ?

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य व्यर्थ में ही एक बात पर ज़ोर दे रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि परिवर्तनीय स्थितियों में यदि वे वहीं पर बस जायें तो हम इस बात का स्वागत करेंगे। उन्हें कोई विशेष हिदायत देने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: यदि वे भारतीय नागरिक बनना चाहें तो भी हम उन का स्वागत करेंगे।

†श्री तंगामणि : परन्तु हमारे उच्चायुक्त द्वारा उन्हें क्या परामर्श दिया गया था।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें कोई परामर्श नहीं दिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने दो बार इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कोई विशेष हिदायत नहीं दी गई थी उन्होंने तो केवल यही कहा था कि यह अच्छा है कि वे वहीं पर बस जायें, परन्तु यदि वे भारत आना चाहें तो उस स्थिति में भी हम उनका स्वागत करेंगे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: यहां प्रश्न उनके वापिस आने का नहीं है । वे वापिस आयें या न आयें, यह उनकी अपनी इच्छा है। इस प्रश्न का सम्बन्ध तो उनके भारतीय राष्ट्रजन

†मूल अंग्रेजी में

बने रहने से है। यदि वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे तो वे उस सरकार की दया पर ही निर्भर करेंगे। वे वापिस तो भेजे जा सकते हैं, परन्तु उन्हें अभी वापिस नहीं आना चाहिये। आखिर, भारतीय राष्ट्रजन अन्य देशों में भी तो रहते ही हैं। परन्तु कोई भी देश यह नहीं चाहता कि वहां पर विदेशी अधिक संख्या में रहें। वे एक समस्या बन जाते हैं। अत: यदि वे उस स्थान की राष्ट्रीयता को नहीं अपनाते तो सम्भव है कि उनकी कठिनाइयां समाप्त न हों, और हो सकता है कि उन्हें वह देश छोड़ देने के लिए भी मजबूर किया जाये। उस स्थिति में हम भी संभवत: उस सरकार को वैसा करने से न रोक सकें।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गयी सामान्य नीति का थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या वह नीति श्रीलंका में बसे हुए उन हजारों भारतीयों पर भी लागू होती है जिन्हें लंका की सरकार ने राष्ट्रीयता का अधिकार देने से इन्कार कर दिया है ? वहां के लोगों की क्या स्थिति है ? क्या उन्हें भी हम यही कहेंगे कि वे वापिस आ जायें, हम उनका स्वागत करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है। वे कभी भी भारतीय राष्ट्रीयजन नहीं रहे हैं और आज भी नहीं हैं। वहां पर तो निर्णय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता....

†**श्री जयपाल सिंह** : इस समय वे क्या हैं ? क्या लंका वासी नहीं हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न तो लंका सरकार से पूछा जाना चाहिये। उनकी स्थिति यह है कि वे भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं। परन्तु यदि वे चाहें तो कुछ एक स्थितियों में, यदि वे हमारी शर्तों को पूरा करते हों तो, भारतीय राष्ट्रजन बन सकते हैं। यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। परन्तु यह बात सिंगापुर के लोगों पर लागू नहीं होती। उन लोगों को राष्ट्रीयता विहीन कहना ठीक नहीं है। परन्तु जहां तक लंका वासी भारतीयों का सम्बन्ध है, उनका जन्म भी वहीं पर हुआ था और कुछ एक व्यक्तियों के माता पिता का जन्म भी वहीं पर हुआ था। परन्तु फिर भी उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यह प्रश्न उस समय उत्पन्न हुआ था जबकि वहां पर दो राष्ट्रीयता की विधि नहीं थी। परन्तु अब तो स्थिति बदल गयी है। अब तो वे अलग अलग देश बन गये हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि उनमें से अधिकांश लोगों को लंका की राष्ट्रीयता प्रदान कर दी जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूती वस्त्र औद्योगिक समिति

†*३४०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति पर विचार करने के लिये सूती वस्त्र औद्योगिक समिति की एक बैठक बुलाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां तो वह बैठक कब बुलायी जायेगी; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) श्रमिकों के पारिश्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न पहले ही सूती वस्त्र मजू ी बोर्ड के अधीन हैं। उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले कई अन्य प्रश्नों पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त सूती वस्त्र जांच समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

रेशम हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां

†*३४१. श्री केशव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मं ी यह बताने की कृपा करें े कि :

(क) मैसूर राज्य में कितनी रेशम हथकरघा ुनकर सहकारी समितियां हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य में रेशम हथकरघा ुनक ों की संख्या का कोई स ेक्षण किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार े रेशम हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ३९।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) १९५७–५८ तक रेशम हथकरघा उद्योग के विकास के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को ७५,३६,०९७/७/६ दिये गये हैं।

इस राशि में कार्य सम्बन्धी पूंजी तथा अंश सम्बन्धी पूंजी के रूप में मंजूर की गयी ५७,८३,७३३/१२/- की राशि भी सम्मिलित है। इससे राज्य सरकारें रेशम हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में ला सकती हैं।

काश्मीर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*३४२. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक स्वतन्त्र दल काश्मीर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति का मूल्यांकन करने के लिये काश्मीर जाने का विचार रखता है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : योजना आयोग द्वारा इस प्रकार का कोई भी दल नियुक्त नहीं किया गया है। ोजना आयोग का का ्क्रम प्रशासन का सलाहकार, कार्यान्विति की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करता रहता है।

सीमेंट फैक्टरियां

†*३४३. श्री रा० चं० माझी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेन्ट फैक्टरियों की स्थापना के लिये दी गयी मंजूरी के अनुसार ही नयी सीमेन्ट फैक्टरियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी फैक्टरियां अभी पूरी करनी रहती हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन फैक्टरियों को मंजूरी देते समय उनकी स्थापना के लिये कोई तिथि भी निश्चित कर दी गयी थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। कुछ सीमेन्ट फैक्टरियां पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार स्थापित नहीं हुई हैं।

(ख) २२ नये यूनिट और २६ फैक्टरियों का विस्तार कार्य।

(ग) नयी सीमेन्ट फैक्टरियों की स्थापना अथवा पुरानी फैक्टरियों के विस्तार के लिये लाइसेन्स देते समय उन लाइसेन्सों में ही लिख दिया जाता है कि उनका काम किस तिथि तक पूरा हो जाना चाहिये। परन्तु अन्य कारणों के आधार पर तिथि को बढ़ाया भी जा सकता है।

साइकलों का निर्यात

†*३४४. **श्री अखिल सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को साइकलों के निर्यात की अधिक सम्भावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। यह कहना सच नहीं है कि भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को साइकलें निर्यात करने की अत्यधिक सम्भावनायें हैं। भारतीय साइकलों के देश में आन्तरिक दाम उन साइकलों के दामों से बहुत ज्यादा हैं जिन पर इस समय वे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बिक रही हैं। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा कुछ अन्य भारतीय साइकल निर्माताओं द्वारा प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी हम अपने साइकलों का अत्यधिक निर्यात नहीं कर सके हैं। फिर भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कहने पर अखिल भारतीय साइकल निर्माता सन्था कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे साइकल उद्योग में नियोजित सभी लोगों के संगठित प्रयत्नों से साइकल निर्यात को बढ़ाया जा सके।

भारतीय राजाओं के लिये राजनयिक उन्मुक्तियां

†*३४५. **श्री दामानी :**
श्री रघुनाथ सिंह
श्री अंसार हरवानी ::

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी दौरों पर विदेश जाने वाले भारतीय राजा भी राजनयिक उन्मुक्तियों के पात्र हैं ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में लन्दन में एक भारतीय राजा ने, जिस पर यह आक्षेप लगाया गया था कि वह शराब पीकर मोटर चला रहा था, राजनयिक उन्मुक्ति के लिये दावा किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह राजा इस प्रकार के विशेषाधिकार का अधिकारी था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को दिये गय एक बयान म उसने बताया था कि पुलिस द्वारा की जा रही जांच में उससे यह पूछा गया था कि क्या उसे विशषाधिकार प्राप्त ह जिसका उत्तर उसने 'हां' में दिया था। यह उत्तर देते समय उसका यह खयाल था कि १९४७ से पहले भारतीय राजाओं को जो विशेषाधिकार दिये जाते थे, वे अभी भी लाग हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह कहना है कि उन्होंने राजनयिक विशेषाधिकारों का उल्लेख तक नहीं किया था।

(ग) जी, नहीं।

सीमेन्ट का उत्पादन

†*३४६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये निर्धारित किये ग १६० लाख टन सीमेन्ट उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना सम्भव हो सकेगा ; और

(ख) योजना काल के शेष दो वर्षों में कितना लक्ष्य पूरा करना रह गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) मशीनों और संयंत्रों के लिये दिये गये आयात लाइसेन्सों से सम्बन्धित योजनाओं के आधार पर उत्पादन के लिये स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान वार्षिक संस्थापित क्षमता, जो कि इस समय ७०.५ लाख टन है, के बढ़ कर १९५९ में ९१.३ लाख और १९६०–६१ में ९९.४ लाख टन हो जाने की आशा है।

योजना की प्रगति की समीक्षिकाएं

†*३४७. **श्री विमल घोष** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएं और वार्षिक समीक्षिकाएं तैयार की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). जी हां। राज्यों और मंत्रालयों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरान्त १९५७–५८ और १९५८–५९ के लिये वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं। राज्यों और मन्त्रालयों ने योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर अपनी इच्छा से ही १९५६–५७ के लिये वार्षिक योजना तैयार की थी।

इन तीन वर्षों के बारे में जानकारी योजना आयोग के "द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन और सम्भावनाएं" में दी गई हैं।

प्रथम दो वर्षों में योजना की प्रगति और तीसरे वर्ष में प्रत्याशित प्रगति की पुनरीक्षा "द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन और सम्भावनाएं" तथा राज्य विकास योजनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट में दी गई है।

१९५७–५८ के लिये प्रगति प्रतिवेदन आजकल तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौता

†*३४८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री विमल घोष :
श्री प्र० चं० बोस :
श्री अरविन्द घोशाल :
श्री हेम बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ चाय उत्पादक और श्रीलंका के चाय उत्पादकों की एक कान्फ्रेंस कोलम्बो में ८ से १० अक्तूबर तक हुई थी। जिसमें उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते को पुनः लागू करने की वाञ्छनीयता पर सहमति प्रकट की है ;

(ख) भारत में किस प्रकार की चाय उत्पादक निकायों ने इस कान्फ्रेंस में भाग लिया था और अपने प्रतिनिधि भेजे थे ;

(ग) हमारी सरकार को इस कान्फ्रेंस के सम्बन्ध में जानकारी किस सीमा तक मिलती रही ;

(घ) श्रीलंका की ओर से कौनसी चाय उत्पादक निकायों का प्रतिनिधित्व किया गया था ; और

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने इस विषय में टैक्नीकल सहकारी मिशन से सम्पर्क स्थापित किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ङ). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भारत और श्रीलंका के चाय उत्पादकों के प्रतिनिधियों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते को पुनः लागू करने के लिये ८ से १० अक्तूबर तक कोलम्बो में प्राथमिक चर्चा हुई थी। मालूम हुआ है कि कोलम्बो में हुई इस चर्चा में जो प्रस्ताव रखे गये थे उनका अभी दोनों देशों द्वारा परीक्षण करना शेष है ।

(ख) चाय उत्पादक एसोसिएशनों के भारतीय मंत्रणा समिति के प्रतिनिधियों ने इस कान्फ्रेन्स में भाग लिया था। चर्चा में भाग लेने वाले चार सदस्यों में से दो सदस्य इण्डियन टी एसोसिएशन, कलकत्ता से सम्बद्ध थे, एक इण्डियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन, कलकत्ता और एक यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इण्डिया, कुन्नूर से सम्बन्धित थे ।

(ग) सरकार को मालूम था कि इस प्रकार की कान्फ्रेंस होने वाली है ।

(घ) श्रीलंका के प्लांटर्स एसोसिएशन और श्रीलंका के लो कण्ट्री प्राडक्ट्स एसोसिएशन ।

(ङ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर स्वेज नहर संकट का प्रभाव

†*३४९. **श्री मुरारका :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर स्वेज संकट का वित्तीय प्रभाव क्या हुआ है ;

(ख) इस संकट के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(ग) इसके कारण परियोजनाओं के निस्पादन में कितना विलम्ब अन्तर्ग्रस्त है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क)से(ग). स्वेज संकट के परिणामस्वरूप भाड़े की लागत में १५–२० करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है । किन्तु माल की डिलीवरी आदि में विलम्ब जैसे अन्य प्रभाव को निश्चित रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

गैर-सरकारी उपक्रमों के शेअर

†*३५०. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगीकरण को उत्साहित करने के अभिप्राय से गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के शेअरों में राज्य सरकार द्वारा राज्य निधियों से पूंजी विनियोग करने की स्वीकृति देने के लिये योजना आयोग से प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) राज्य सरकारों ने समय समय पर योजना आयोग से प्रार्थना की है कि वह उन्हें गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में पूंजी लगाने की इजाजत दे दे तथा उन्होंने बहुधा इस आशय की प्रार्थना भी की है कि इस प्रकार के पूंजी विनियोजन के लिये एक मुश्त रकम का उपबन्ध किया जाये ।

(ख) एक मुश्त रकम के उपबन्ध की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्घोषित नीति के अनुसार आम तौर से राज्य सरकारों से यह आशा नहीं की जाती है कि वह गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में पूंजी विनियोग करें। किन्तु विशेष मामलों में, अलग-अलग उपक्रमों में पूंजी विनियोग के कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है ।

एशिया-अफ्रीकी विधि मंत्रणा समिति

†*३५१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काहिरा में अक्तूबर, १९५८ में एशिया-अफ्रीकी विधि मंत्रणा समिति के सैशन में कौन-कौन से कानूनी मामले चर्चा के लिये प्रस्तुत हुए थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सैशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के क्या-क्या नाम हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जिन कानूनी विषयों पर चर्चा हुई थी वे ये हैं :

राजनयिक उन्मुक्ति ।

प्रत्यर्पण सिद्धान्त ।

वाणिज्यिक सौदों में राज्यों के लिये उन्मुक्ति दोहरी नागरिकता ।

विदेशियों की प्रास्थिति[1] ।

विवाह सम्बन्धी मामलों में विदेशी डिग्रियों को मान्यता और निशुःल्क कानूनी सहायता ।

समिति के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय लॉ कमीशन के नवें और दसवें सैशनों की रिपोर्टें भी थीं ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य निम्न व्यक्ति थे :

१. श्री एम० सी० सीतलवाड ।

२. श्री सचीन चौधरी ।

३. श्री वी० एस० देशपाण्डे ।

४. श्री आई० पी० सिंह ।

फैक्टरियों के चीफ इंस्पेक्टरों की कान्फ्रेंस

†***३५२. श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैक्टरियों के चीफ इंस्पैक्टरों की कान्फ्रेंस सितम्बर १६५८ में हैदराबाद में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस कान्फ्रेन्स में क्या-क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) इन निर्णयों की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी हां ।

(ख) मुख्य निर्णय इन विषयों के बारे में किये गये थे (१) रक्षा सुरक्षा अधिकारियों और सर्टीफाइंग सर्जनों की नियुक्ति, (२) निर्माताओं द्वारा उपबन्धित सुरक्षा का संकेत करने वाली मशीनों की एक सूची तैयार करना, (३) मुकदमे दायर करने की सीमा अवधि छः महीने तक बढ़ाना, और (४) कीटाणुनाशक पदार्थों के निर्माण और उनका सूत्र तैयार करने में संकट नियंत्रण के लिये नियम बनाना ।

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श से इन निर्णयों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में :

[1]Status.

सरकारी इमारतों का बकाया किराया

†*३५३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री वाजपेयी :
श्री वोडयार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वि० चं० शुक्ल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की इमारतों का बकाया किराया करोड़ों रुपयों तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बकाया रकम का क्या ब्यौरा है; और

(ग) बकाया रकम वसूल करने के लिये किये गये अथवा किये जाने वाले कार्यों का क्या स्वरूप है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). १९५७ के उत्तरवर्ती भाग तक ही आंकड़े उपलब्ध हैं :—

	(लाख रुपये)
(१) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा	१५२ (लगभग)
(२) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा . . .	१०४
(३) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा .	३७
(४) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा .	२३
कुल .	३१६

लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण में ब्यौरा दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४**]

काम के अनुसार मजूरी के भुगतान की प्रणाली

†*३५४. **श्री हाल्दर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी में नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से काम के अनुसार मजूरी के भुगतान की व्यवस्था लागू करने के बारे में कोई चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) क्या जीजीभाई समिति की सिफारिश गोदियों में विभिन्न प्रक्रमों में लागू कर दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). अपनी पुनरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले जीजीभाई समिति ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से चर्चा की थी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

†३५५. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री गोरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय लॉ ऐसोसियेशन ने सितम्बर, १९५८ में न्यूयार्क में हुई अपनी मीटिंग में पाकिस्तान के साथ नहरी पानी विवाद में भारत द्वारा अपनाये गये रुख का पूर्ण समर्थन किया था ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : अन्तर्राष्ट्रीय लॉ ऐसोसियेशन की, जो एक अ-सरकारी संगठन है, सितम्बर, १९५८ में न्यूयार्क में कांफ्रेन्स हुई थी। उन्होंने दो अथवा दो से अधिक राज्य क्षेत्रों में प्रवाहित जल का उपयोग करने वाले सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये थे। उन्होंने किसी विशेष समस्या पर विचार नहीं किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय लॉ ऐसोसियेशन द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५**] इस संकल्प में उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर माननीय सदस्य अपने-अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं।

केरल में चाय बागान

†३५६. { **श्री र० मधुसूदन राव :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री गोरे :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के चाय बागानों में ऋण सम्बन्धी झगड़ों के परिणामस्वरूप बागानों से उत्पन्न होने वाली चाय और विदेशी मुद्रा की आय में अनुमानित हानि कितनी हुई है; और

(ख) इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) ठीक ठीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है पन्नार और पीअर मेड क्षेत्रों में उत्पादकों के अनुसार चाय के उत्पादन में ४८ लाख पौंड की हानि का अनुमान है। इसी अनुमान के अनुसार विदेशी मुद्रा में १ करोड़ रुपये की हानि का विचार किया जाता है।

(ख) समझौता अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सका। इस विवाद के न्याय निर्णयन की मांग की गई है किन्तु उस विषय पर श्रमिक संगठनों में मतभेद है। अतः राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ५ के अधीन एक समझौता बोर्ड की स्थापना का विचार रखती है। इस बोर्ड में चेअरमैन के रूप में एक स्वतन्त्र सदस्य और सम्बन्धित पक्षों के प्रतिनिधि रहेंगे जो विवाद का हल निकालने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि

†*३५७. **श्री वाजपेयी :**
श्री राम कृष्ण :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों के मालिकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि जो नये मिल मालिक बन्द मिलों को फिर से चालू करना चाहते हैं उन्हें कुछ समय तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम से मुक्त रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां। कुछ मिलों से प्रार्थना मिली है।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

उद्योग में अनुशासन संहिता

†*३५८. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आचार :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों में अनुशासन संहिता भंग होने के अनेक मामलों की सरकार के पास रिपोर्ट की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन की कितनी संख्या है ;

(ग) क्या उद्योगों में अनुशासन संहिता के संदर्भ में सरकार देश में होने वाली हड़तालों का अध्ययन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो यह अध्ययन कब किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) ८५ ।

(ग) और (घ) .जी हां । बड़ी बड़ी हड़तालों का अध्ययन यथासमय आवश्यकता होने पर किया जायेगा ।

बम्बई में औद्योगिक बस्तियां

†*३५९. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बम्बई राज्य में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियों की कुल कितनी संख्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये बस्तियां किन किन स्थानों में स्थापित की जायेंगी;

(ग) क्या रत्नगिरि जिले में किसी औद्योगिक बस्ती की स्थापना की योजना है;

(घ) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

बम्बई सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्थानों में से प्रत्येक में एक-एक कर १६ औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार रखती है :—

१. कुरला (बम्बई नगर)
२. कल्याण के निकट अटाले (बम्बई)
३. उधना
४. पूना
५. कोल्हापुर
६. बड़ौदा
७. अहमदाबाद
८. मेहसाना
९. मलेगांव
१०. कराड
११. राजकोट
१२. भावनगर
१३. कांडला
१४. नागपुर
१५. अमरावती
१६. नान्देड़

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) औद्योगिक बस्ती के स्थान का चुनाव करने का मापदण्ड बिजली, पानी, परिवहन, रेलवे के समीपवर्ती होना और उपयुक्त स्थानीय मांग आदि सुविधायें हैं । बम्बई सरकार के अनुसार ये सुविधायें रत्नगिरि जिले में उपलब्ध नहीं हैं और वर्तमान में वह रत्नगिरि जिले में बस्ती की स्थापना का विचार नहीं रखते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम जर्मनी के लिये भारतीय चाय

†*३६०. {**श्री साधन गुप्त :**
श्रीमती मकीदा अहमद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की मीटिंग में जर्मन प्रतिनिधि डा० ए० सीफ्रिज द्वारा १८ अक्तूबर, १९५८ को दिये गये कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि पश्चिम जर्मनी में भारतीय चाय की लोकप्रियता का अपरिमित क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) पश्चिम जर्मनी में आज कल कितनी भारतीय चाय की खपत होती है; और

(घ) जो कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है उस के परिणामस्वरूप खपत में अनुमानित कितनी वृद्धि की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (घ). उस विषय पर एक संक्षिप्त समाचार कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र में २० अक्तूबर, १९५८ को प्रकाशित हुआ था । सरकार इस विषय में उन के और विचार जानने का प्रयत्न कर रही है। आज कल पश्चिम जर्मनी में लगभग ६० लाख पौंड भारतीय चाय का उपभोग किया जाता है ।

उस देश में चाय का उपभोग बढ़ाने के लिये किये गये प्रयत्न इसलिये सफल नहीं हुए कि अन्य प्रकार के पेय वहां पर्याप्त लोकप्रिय हैं और चाय पर काफी शुल्क लिया जाता है ।

रेडियो धर्मिता से वस्तुओं का दूषित होना

†३६१. **श्री नरसिंहन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये गये खाद्य जैसे दूध, दूध का पाउडर आदि विभिन्न वस्तुओं पर रेडियो धर्मिता से उत्पन्न दोष का निर्धारण करने की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये किसी संगठन की स्थापना की गई है; और

(ग) क्या हाल ही के उद्जन परीक्षणों में वृद्धि का कोई प्रभाव आयात की गई उपरोक्त खाद्य वस्तुओं पर परिलक्षित किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). स्वदेशी खाद्य वस्तुओं और आयात किये जाने वाले दुग्ध पाउडर के नमूनों का विश्लेषण रेडियो धर्मी तत्व का पता लगाने के लिये अणुशक्ति आयोग की प्रयोगशालाओं में किया जाता है किन्तु आयात किये जाने वाले सम्पूर्ण खाद्य वस्तुओं का वृहद् स्तर पर अथवा व्यवस्था बद्ध परीक्षण करना सरकार न तो आवश्यक समझती है और न व्यावहारिक ही ।

(ग) आणविक रेडियो धर्मिता के प्रभाव के बारे में संयुक्त राष्ट्र समिति की उपपत्ति के अनुसार, उद्जन शस्त्रों के विस्फोट के कारण वातावरण के रेडियोधर्मी होने के परिणामस्वरूप

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्व के विकिरण स्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही है। खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के फलस्वरूप यहां तथा अन्य देशों में खाद्य पदार्थों में रेडियो धर्मिता का जमाव अभी नगण्य-सा है अथवा खतरे की अवस्था से नीचे है ।

यूक्लिप्टिस आयल[1]

*३६२. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में और विशेष रूप से नीलगिरि में यूक्लिप्टिस आयल के वार्षिक उत्पादन का कोई निर्धारण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम हुआ है ;

(ग) हमारे देश में इस की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) क्या निर्यात सम्भावनाओं की खोज की गई है; और

(ङ) क्या सरकार यूक्लिप्टिस आयल का विपणन सर्वेक्षण करने और उसके लिये एक गवेषणा संस्था की स्थापना का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २,५०,००० से ३,००,००० पौण्ड के बीच ।

(घ) जी हां, किन्तु सब से बड़ी कठिनाई स्वदेशी आयल में सिनीअल[2] तत्व की कमी है ।

(ङ) विभिन्न राष्ट्रीय गवेषणा प्रयोगशालाओं में उड़नशील तेल उद्योग के विकास के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य किया जा रहा है। कृषि तथा विपणन निरीक्षण निदेशालय भी निर्यात के लिये यूक्लिप्टिस आयल की किस्म का मान दण्ड निर्धारित करने की संभावनाएं खोज रहा है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पुनरीक्षण

†*३६३. **श्री कोरटकर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पुनरीक्षण सम्बन्धी मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : इस विषय में ५ सितम्बर, १९५७ को श्री दी० चं० शर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ का उत्तर देने के पश्चात् और कोई नवीन बात नहीं हुई है।

अस्पृश्यता सम्बन्धी फिल्म

†३६४. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री बै० चं० मलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण के लिये एक उपयोगी फिल्म बनाने के प्रस्ताव के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Eucalyptus oil.

[2]Cineol.

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : एक कथानक विचाराधीन है। फिल्म के उत्पादन की शर्तें और दशाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

तेलों और खली का निर्यात

†*३६५. **श्री हेम बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और खली के निर्यात में धीरे धीरे कमी हो रही है जिस से परम्परागत विदेशी व्यापार में हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) बनस्पति तेलों के निर्यात में कमी हुई है परन्तु खली का निर्यात बढ़ा है।

(ख) तेल का निर्यात इसलिये कम हो गया है कि हमारे तेलों के मूल्य अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं। यदि तिलहन की उपज बढ़ जाये तो तेल का निर्यात बढ़ सकता है। तेल और खली के निर्यात को बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाही दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६**]

रावी नदी के रास्ते में परिवर्तन

†३६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में सतलुज और रावी नदियों के रास्ते बदल जाने के कारण कितने एकड़ भूमि पाकिस्तान में चली गई; और

(ख) पीड़ित व्यक्तियों को भारत और पंजाब सरकार ने जो सहायता दी उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में रेशम कीट पालन योजनायें

†*३६७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में रेशम कीट पालन की अनुमोदित योजनाओं के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर राज्य क्षेत्र में जो योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं उन से कितना उत्पादन हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक के लिये ३५०० पौंड वार्षिक कच्चे रेशम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) २,८०० पौंड कच्चा रेशम।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन के अधीन दिखाया गया भारतीय प्रदेश

३६८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** ४ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मानचित्र में चीन की सीमाओं में दिखाये गये कतिपय भारतीय प्रदेशों के बारे में सरकार द्वारा चीनी गणतन्त्र को भेजे गये विरोध-पत्र का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : चीन सरकार ने हाल ही में जो जवाब पीकिंग स्थित हमारे राजदूतावास को दिया है, उस में उन्हों ने लिखा है कि चीन में जो नक्शे हाल में छपे थे, उन में चीन और भारत समेत उस के पड़ौसी देशों के बीच सीमा की रेखा उन नक्शों के आधार पर खींची गई है जो स्वतन्त्रता के पूर्व चीन में छपे थे और चीन सरकार ने अभी तक चीन की सीमाओं का सर्वेक्षण नहीं किया, न उन्हों ने संबद्ध देशों के साथ सलाह-मश्विरा किया और यह कि चीन की सरकार अपनी मर्जी से सीमा में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। जवाब में यह और लिखा है कि समय गुजर जाने, विभिन्न पड़ौसी देशों के साथ सलाह-मश्विरा करने और सीमांत क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद, चीन सरकार का इरादा है कि वह अपने सवक्षण के परिणामों और पड़ौसी सरकारों की सलाह के अनुकूल चीन की सीमा का रेखांकन फिर से करेगी।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कराची कार्यालय पर पाकिस्तानी पुलिस का छापा

†३६९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रे० सुब्रह्मण्यम् :
श्री विमल घोष :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्रीमती मकीदा अहमद :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी पुलिस ने हाल ही में कराची में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो पुलिस कितनी देर तक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय की तलाशी लेती रही;

(ग) उस तलाशी के बाद पुलिस कौन से दस्तावेज और वस्तुएं अपने साथ ले गई;

(घ) क्या पुलिस ने तलाशी लेने का कोई कारण बताया; और

(ङ) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग दो घंटे तक।

(ग) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७**]

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जब उन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय में कुछ मान चित्र लगे हुए थे जिन में काश्मीर को भारत का अंग बताया गया है। यह कराची के मुख्य आयुक्त के आदेशों के प्रतिकूल है।

(ङ) पाकिस्तान सरकार को इस के खिलाफ एक पत्र लिखा गया है।

नाभिकीय परीक्षणों का बन्द किया जाना

†*३७०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाभिकीय तथा ताप नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों को बन्द करने के लिये सरकार ने अन्य देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सभा में आगे क्या प्रयत्न किये हैं ;

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये किन देशों ने भारत का साथ दिया ; और

(ग) उस का क्या परिणाम रहा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सिचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस बात पर सब को सहमत करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। परन्तु शीतयुद्ध वातावरण होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली।

(ख) भारत ने अन्य १३ देशों के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया। इन देशों ने साथ दिया :

अफगानिस्तान,
बर्मा,
कम्बोदिया,
लंका,
इथोपिया,
घाना,
इंडोनेशिया,
इराक,
मराको,
नेपाल,
संयुक्त अरब संघ,
यमन,
युगोस्लाविया।

(ग) मतदान में २७ देश इस के पक्ष में ४१ विपक्ष में थे और १३ ने मत व्यक्त नहीं किया। इसलिये संयुक्त संकल्प स्वीकृत नहीं हुआ।

पंजाब की विद्युत परियोजनायें

†*३७१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विद्युत परियोजनाओं की उच्चतर सीमा बढ़ा दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या १६५८-५६ में पंजाब राज्य में ग्रामों में बिजली लगाने के लिये किसी अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

सर्जरी का सामान

†*३७२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्जरी के सामान तथा औज़ार सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन तैयार हो चुका है ;

(ख) क्या अपने देश में सर्जरी का सामान तथा औज़ार बनाने का कोई सुझाव दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समिति ने सर्जरी का सामान तथा औजार बनाने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

घाना और इराक के लिये भारतीय इंजीनियर

†*३७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक और घाना की सरकारों ने भारतीय इंजीनियरों की सेवायें मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की आवश्यकतायें क्या हैं ; और

(ग) हम ने इस का क्या उत्तर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इराक सरकार ने अपनी बांध तथा सिंचाई परियोजनाओं के बारे में मंत्रणा प्राप्त करने के लिये दो बड़े योग्य सिंचाई इंजीनियरों की सेवायें कुछ सप्ताह के लिये मांगी थीं और भारत सरकार ने इस के उत्तर में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सभापति और भाखड़ा प्रशासन के एक डायरेक्टर को भेज दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घाना सरकार ने भारत सरकार से घाना में नौकरी करने के लिये २५० पदाधिकारी मांगे हैं । अभी तक कृषि, सिंचाई और विद्युत, स्वास्थ्य, उपचार, डाक तथा दूर संचार, लोक निर्माण कार्य, सर्वेक्षण और रेलवे के क्षेत्रों में ५० विशेषज्ञ बुलाये गये हैं । इनमें से कुछ स्थानों के लिये उपयुक्त पदाधिकारियों के नाम घाना सरकार को भेज दिये गये हैं ताकि वह विचार कर ले । घाना रेलवे में काम करने के लिये अभी तक चार भारतीय पदाधिकारी चुने गये हैं और जब वे नियुक्तियों को स्वीकार कर लेंगे तब उन्हें फारिग कर दिया जायेगा ।

फर्श की दरियां और चटाइयां

†*३७४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५८ में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के परिपत्र के प्राप्त होने के बाद फर्श पर बिछाने का कुल कितना सामान खरीदा गया और यदि कुछ नारियल जटा से बना सामान खरीदा गया तो उसका मूल्य क्या था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों ने १-४-१९५८ से ३१-१०-५८ तक लगभग १,७७,००० रुपये के फर्श के सामान की व्यवस्था की । इसमें से नारियल जटा उत्पादों का मूल्य लगभग ५,००० रुपये था ।

मोटर गाड़ियों का निर्यात

†*३७५. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मोटर गाड़ी उद्योग ने निर्यात करना भी शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अपनी कारों का निर्यात किस देश को करता है और यह कब से शुरू हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) कारों का कोई उल्लेखनीय निर्यात नहीं हुआ है ।

कच्चा पटसन

†*३७६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ के प्रथम सप्ताह से पश्चिमी बंगाल की सभी पटसन मंडियों में कच्चे पटसन के मूल्य में अकस्मात बहुत भारी कमी हुई है ;

(ख) इस के क्या कारण हैं और सितम्बर, १९५८ के मूल्यों की तुलना में ये कितने कम हैं ;

(ग) पटसन के मूल्यों में कमी की जिम्मेदारी किस हद तक पटसन में किये गये सट्टे पर है ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अक्तूबर, १६५८ में कुछ मंडियों में कच्चे पटसन के मूल्य में कमी हुई है ।

(ख) शायद मूल्य इसलिये गिरे कि पटसन और मेस्टा की अच्छी फसल होने की आशा थी । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में सितम्बर और अक्तूबर, १६५८ के मूल्य बताये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]**.

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) यह कार्यवाही की गई है

(१) वायदा व्यापार का काम करने वाले ईस्ट इंडिया ज्यूट एण्ड हैसियन ऐक्सचेंज ने, एक निश्चित स्तर से मूल्यों के कम हो जाने की अवस्था में, काफी मात्रा में लाभ निश्चित किया है ।

(२) इंडियन ज्यूट मिल्ज़ ऐसोसियेशन ने फरवरी, १६५८ में 'हैसियन' और 'सैकिंग' के लिये निर्धारित निम्नतम मूल्य पर स्थिर रहने के अपने इरादे की पुष्टि की है और मिलों को यह राय दी है कि तीन महीने तक की आवश्यकता के लिये शीघ्र ही पटसन खरीद लें ।

(३) पाकिस्तान से कच्चे पटसन के आयात में भारी कमी कर दी गई है ।

आगे और उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

वस्तुओं का निर्यात

†*३७७. **श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण मुक्त करने और कोटा विनियम के अधीन आने वाली वस्तुओं की सूची छोटी रह जाने के परिणामस्वरूप पिछले तीन महीनों में जिन २०० वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लिया गया है उन के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग) निर्यात सम्बन्धी नियंत्रण विनियमों में २८ अगस्त, १६५८ को छूट दे दी गई थी और चूंकि अगस्त, १६५८ से बाद के निर्यात व्यापार सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इस कारण छूट सम्बन्धी उपायों के परिणाम का पता लगाना संभव नहीं है । सितम्बर के अस्थायी आंकड़ों से पता लगता है कि कुल निर्यात जिस में पुनर्निर्यात भी शामिल हैं, ये आंकड़े अगस्त के आंकड़ों से ६ करोड़ रुपये अधिक हैं ।

भारतीय इस्पात संघ

†*३७८. **श्री पाणिग्रही :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह समाचार विदित है कि यूनाइटेड स्टील वर्क्स आफ अमेरिका ने एक

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय इस्पात संघ में संगठन कर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये २०,००० डालर का विनियोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निधि का उपयोग कौन सा संघ कर रहा है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती जश्नी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार अभी तक किसी भी भारतीय संघ को यनाइटेड स्टील यूनियन से कोई निधि नहीं प्राप्त हुई है । हम इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिये योजना समिति

*३७९ श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :

क्या योजना मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक अलग योजना समिति स्थापित करने के सुझाव के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : योजना आयोग का विचार है कि किसी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास अच्छी प्रकार तभी हो सकता है यदि उन्हें अन्य क्षेत्रों के साथ ठीक ढंग से सम्बन्धित रखा जाय और राज्य योजना में पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित स्कीमों पर उन क्षेत्रों की विशेष अवस्थाओं के अनुकूल कार्यवाही की जाये । इस दृष्टिकोण से योजना आयोग (कार्यक्रम प्रशासन) के सलाहकार जिन का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश तथा पंजाब से है, इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के कार्यक्रमों की जांच कर रहे हैं ।

हिन्दुस्तान ऐण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†३८०. **श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ऐण्टीबायोटिक्स में स्टेप्टोमाइसीन का बनना किस तारीख से आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ख) प्रतिवर्ष यह दवा कितनी मात्रा में आयात की जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस समय जो कुछ पता लगता है उस के अनुसार पिम्परी में स्टेप्टोमाइसीन का बनना १९६१ के आरम्भ में शुरू होगा ।

(ख) १९५६ में इस का आयात २५,००० किलोग्राम था और १९५७ में ३२,००० किलोग्राम । चालू वर्ष में आयात का अनुमान ३६,००० किलोग्राम लगाया गया है ।

पाकिस्तान के एक हवाई जहाज द्वारा आकाश सीमा का उल्लंघन

†*३८१. **श्री हाल्दर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि एक लाल रंग का पाकिस्तानी हवाई जहाज़ जिस पर ए० एफ० जे० लिखा हुआ था, हिली (भारत) के ऊपर अवैध रूप से १६ अक्तूबर को तीन

---

†मूल अंग्रेजी में

बार उड़ा और मार्शल ला की घोषणा करने वाले पर्चे गिराये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सरकार को पता है कि एक लाल रंग का पाकिस्तानी हवाई जहाज़ जिस पर "ए. पी" लिखा हुआ था दक्षिण से उत्तर की ओर हिली बन्दर पर उड़ा और उसी मार्ग से १६ अक्तूबर, १९५८ को वापस लौटा और जिस ने मार्शल ला की घोषणा करने वाले पर्चे गिराये थे ।

(ख) पाकिस्तान हवाई जहाज़ द्वारा भारत की वायु सीमा का उल्लंघन करने की सूचना पाकिस्तान की सरकार को दे दी गई है और उन से यह भी कह दिया गया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

आयरलैण्ड को चाय मिशन

†*३८२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय मिशन ने अक्तूबर, १९५८ में आयरलैण्ड का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरा करने का क्या प्रयोजन था और उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र))** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल के दौरे का प्रयोजन आयरलैण्ड में चाय के निर्यातकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना, आइरिश चाय बाज़ार की सम्भावनाओं का अध्ययन तथा उस देश में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाना था । सरकारी प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग

†*३८३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की २११ वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ देशों में पुराने व्यक्तियों को न चुने जाने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस पहलू के बारे में क्या निर्णय किया गया ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). आयोग के सदस्यों का चुनाव देशों के प्रतिनिधियों के रूप में न किया जा कर उन का व्यक्तिगत रूप में निर्वाचन किया गया था । भारत के श्री राधा विनोद पाल इस आयोग के सदस्य चुने गये थे और उन्हों ने २११वीं बैठक में भाग लिया था ।

(ग) और (घ) "पुराने व्यक्तियों के न चूने जाने" के विषय पर कुछ सामान्य विचार-विमर्श हुआ था किन्तु कुछ निर्णय नहीं निकला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी विवाचन पंचाट[1]

†*३८४. श्री वि० चं० शुक्ल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विदेशी विवाचन पंचाटों को मान्यता देने और लागू करने सम्बन्धी अभिसमय[2] का अनुसमर्थन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जी हां ।

काश्मीर

†*३८५. श्री बाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपने संयुक्त-राष्ट्र के प्रतिनिधि से यह कहा है कि वह सुरक्षा परिषद् का ध्यान "शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा चलाने" से उत्पन्न काश्मीर की स्थिति की ओर आकर्षित करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत की क्या प्रतिक्रिया हुई थी ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने १० नवम्बर, १९५८ को सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा था जिस में उन्हों ने शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा चलाने के बारे में लिखा था ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि के द्वारा सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को इस का उत्तर भेजा जा रहा है । जिस की एक प्रति यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रोजगार ब्यूरो

†*३८६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रोजगार ब्यूरो चलाने के संबंध में और आगे क्या प्रगति की गई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली खां) : दिल्ली प्रशासन से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

सूती कपड़े

†*३८७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन प्रतिस्थापनों को लाइसेंस देने का निश्चय किया है जो विद्युत से सूती कपड़ा तैयार करते हैं; और

(ख) यदि हां, यह कब से लागू होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Foreign Arbitral Awards.

[2] Convention.

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जी हां । सूती कपड़ा तैयार करना १ मार्च, १९५७ से उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन रख दिया गया है ।

पश्चिमी जर्मनी से व्यापार

†*३८८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उन की पश्चिमी जर्मनी के अर्थ मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री डा० लुडविग एरचर्ड से पश्चिमी जर्मनी को भारत से निर्यात बढ़ाने के बारे में वार्ता हुई थी; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री डा० लुडविग एरचड से उनके हाल में भारत आगमन पर चर्चा की थी । वार्ता सामान्यत: भारत और पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार की कुछ चीजों के बारे में हुई थी जिसमें चाय, कहवा, नारियल जटा से बने पदार्थों आदि के भारत से पश्चिमी जर्मनी को निर्यात बढ़ाने का प्रश्न भी शामिल था । पश्चिमी जमनी के साथ भारत का निर्यात बढ़ाने के विशिष्ट प्रस्तावों का पालन सरकारी ढंग से किया जा रहा है तथा प्रस्ताव यह है कि निर्यात संवर्द्धनात्मक प्रयत्नों को जारी रखने के लिए पश्चिमी जर्मनी में शीघ्र ही भारत सरकार का प्रतिष्ठान स्थापित हो जायेगा ।

तकुए और स्वचालित करघे

†*३८९. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना में अनुमानित २१ लाख तकुओं और १८,००० स्वचालित करघों में से वास्तव में अब तक कितने तकुए और स्वचालित करघे लगाये गये हैं;

(ख) उनको पूरी क्षमता में न लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन लाइसेंसों का उपयोग उचित रूप से न करने वाले पक्षों का नाम क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ३०-९-५८ को ९,८२० लाख तकुए लगाये गये थे । १८,००० स्वचालित करघों के निर्यात की योजना में अनेक कारणोंवश प्रगति नहीं की जा सकी :

(ख) पूर्णरूपेण निर्धारित संख्या में तकुओं और स्वचालित करघों के लगाने में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख कठिनाइयां निम्न कारणों से बताई जाती हैं :—

(१) वस्त्र सम्बन्धी मशीनरी के आयात करने में विदेशी मुद्रा की कमी ;

(२) इमारती सामान, लोहा, इस्पात आदि ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) लाइसेंस प्राप्त मिलों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होना ;

(४) इस योजना के लिए जुर्माने के तौर पर लगाये गये उत्पादन शुल्क सम्बन्धी, कठिनाई और

(५) सामान्य विपणन स्थिति ।

स्वचालित करघों के मामले में कपड़े के निर्यात के लिए अतिरिक्त कठिनाइयां निम्न प्रकार की हैं :—

(१) आवंटित स्वचालित करघों पर तैयार की गई पूरी मात्रा के अलावा १९५३ से १९५५ में किसी भी वर्ष भूतकाल में किये गये निर्यात का ८७॥ प्रतिशत कोटा निर्यात करने में मिल का दायित्व; और

(ख) मिलों के लिए निर्धारित निर्यात कोटे में कमी होने पर जुर्माने के तौर पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के भुगतान का दायित्व । इन शर्तों को ढीला कर दिया गया है ।

(ग) व्यावहारिकतः उपरोक्त कारणों से किसी भी लाइसेंस प्राप्त मिल का उत्पादन इससे अधिक नहीं हुआ है ।

फौजों की नजरल अयूब से भेंट

†*३९०. **श्री पाणिग्रही :**
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसका पता है कि विद्रोही नागा नेता श्री फिजो ने हाल ही में पाकिस्तान के नये राष्ट्रपति, जनरल अयूब से ढाका में भेंट की थी; और

(ख) पाकिस्तान के राष्ट्रपति और विद्रोही नागा नेता की इस प्रकार की भेंट पर भारत सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) इस प्रकार के समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं किन्तु सरकार को कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है ।

(ख) जब तक अधिक निश्चित जानकारी उपलब्ध न हो जाये, सरकार अपनी राय प्रकट नहीं करना चाहेगी ।

दिल्ली में सरकारी बस्तियों के लिये सलाहकार समिति

*३९१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में रहने वाले लोगों को और सुविधायें देने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए जो सलाहकार समिति नियुक्त की गयी थी उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]**

पुराना किला में विस्थापित व्यक्ति

*५५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्या कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराना किला, दिल्ली में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को हटाने में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: पुराना किला में ६८९ विस्थापित परिवारों में से १३७ परिवार वास्तव में अब तक हटाये जा चुके हैं । २३१ परिवारों ने किले से हटने से पहले लाजपतनगर में मकान बनवाने के लिए प्लाट लेना स्वीकार कर लिया है ।

पंजाब में कपड़े की मिलें

†५३४. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब की कुछ एक कपड़ा मिलों को बहुत कम लाभ प्राप्त होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कपड़ा मिलों की संचालन की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सरकार को पता चला है कि पंजाब में दो सूती कपड़े की मिलें अच्छी तरह नहीं चल रही हैं । एक मिल, जिस में ४६४८ तकुए थे, अलाभप्रद होने के कारण ९-६-१९५६ से बन्द कर दी गई है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक समिति दूसरी मिल के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी और उपचार में कुछ उपाय बताये गये थे ।

कपड़ा मिलें

†५३५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५८ को कितनी कपड़ा मिलें बन्द रहीं;

(ख) कितनी में कुछ पारियां बन्द कर दी गई हैं; और

(ग) मिलों के बन्द होने से कुल कितने श्रमिक छंटनी किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १-१०-५८ को ४० कपड़ा मिलें बिल्कुल बन्द हो गई ।

(ख) उसी तिथि को सत्ताइस सूती कपड़ा मिलों के कुछ भाग बन्द रहे ।

(ग) अलग अलग आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं परन्तु ६५,२६३ श्रमिकों पर इसका प्रभाव पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नंगल में उर्वरक कारखाना

†५३६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में नंगल स्थान स्थान पर उर्वरक का कारखाना खोलने के लिए कितने लोगों को उनके घरों और ज़मीनों से हटाया गया;

(ख) उनमें से कितनों ने नंगल के उर्वरक कारखाने में नौकरी हासिल करने की कोशिश की; और

(ग) वास्तव में कितने लोगों को नौकरी दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) किसी भी व्यक्ति को मकान अथवा दुकान खाली करने के लिए नहीं कहा गया है। कृष्य भूमि से बेदखलियां की जा चुकी हैं। इसका २८८३ लोगों पर प्रभाव पड़ा। ७३१ परिवारों और २४० दूकानदारों को मकान और दूकानें खाली करनी पड़ेंगी और उन लोगों को अब भी बेदखल किया हुआ ही समझा जाता है। नंगल उर्वरक कारखाने के लिए ज़मीन उचित प्रतिकर दे कर प्राप्त की गई है। राज्य सरकार ने बेदखल किये गये लोगों को फिर से बसाने की एक योजना बनाई है जिस के लिए १४५ एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है। नंगल कम्पनी इस योजना को कार्यान्वित करने में आर्थिक तथा अन्य सहायता दे रही है।

(ख) जिन लोगों पर कारखाना खोलने का प्रभाव पड़ा उन में से ३५०० लोगों ने इस परियोजना में नौकरी हासिल करने के लिए आवेदन पत्र दिये हैं।

(ग) ३३५.

निर्यात संवर्धन मंत्रणा समिति

†५३७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किन-किन वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन मंत्रणा समितियां नियुक्त की गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : केवल तीन बड़े बन्दरगाहों पर विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं को देखने के लिए और उन सम्भावनाओं को पूरा करने के हेतु सुझाव देने के लिए निर्यात संवर्धन मंत्रणा समितियां नियुक्त की गई हैं। निर्यात संवर्धन परिषद् (कुल ११) निम्नलिखित वस्तुओं के लिए स्थापित किये गये हैं :—

सूती कपड़ा; रेशम और रेयान, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, काजू और काली मिर्च, तम्बाकू, चमड़ा, रासायनिक तथा अन्य उत्पाद, खेल का सामान, अभ्रक और लाख।

गामा सैंधा नमक

†५३८. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में गामा सैंधा नमक का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसका वितरण किन अभिकरणों द्वारा और किन किन राज्यों में किया जाता है;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए कितना अभ्यंश निश्चित किया गया है; और

(घ) उसके उत्पादन का मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क)

१९५६	१७८६० मन
१९५७ . . .	१२३८० मन
१९५८ (अक्तूबर की समाप्ति तक) . . .	६७१० मन

(ख) मंडी (गुमा और द्रांग खानों) से सेंधा नमक पंजाब में गुरदासपुर जिले के व्यापारियों और बंजारसक को स्वयं नमक विभाग द्वारा भेजा जाता है । हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कांगड़ा जिला और जम्मू तथा काश्मीर को संभरण केवल राज्य सरकारों द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों के जरिये किया जाता है ।

(ग) गुमा से प्रत्यक्षतः राज्य सरकारों को नमक का वितरण करने के लिए कोई अभ्यंश निश्चित नहीं किया गया है । १९५६, १९५७ और १९५८ में मंडी के सेंधा नमक (गुमा और द्रांग) का विभिन्न राज्यों को आवंटित किया गया अभ्यंश निम्नलिखित है :—

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	पंजाब	जम्मू तथा काश्मीर
१९५६ .	८०,००० मन	४५,००० मन	२५,००० मन
१९५७ . .	६८,००० मन	३४,४०० मन	२१,००० मन
१९५८ . . .	६९,००० मन	२५,००० मन	२१,००० मन

(घ) गुमा सेंधा नमक का उत्पादन मूल्य अलग से नहीं निकाला जाता है । मंडी के सेंधा नमक का उत्पादन मूल्य तथा बिक्री मूल्य नीचे बताया जाता है :

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
१९५५–५६ .	१—१३—४.९४	१—१२—६ (नमक उपकर से उपकर)
१९५६–५७ . . .	३—१—७.३२	तदेव
१९५७–५८	अभी मालूम नहीं	तदेव

उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार की सहायता

†५३९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८-५९ के लिए उड़ीसा सरकार को दी गई केन्द्रीय सरकार की सहायता में कोई कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक स्थिति क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा के लिए भी पूंजी की लागत वार्षिक योजनाओं को देखते हुए निर्धारित की जाती है । वार्षिक योजना की पूंजी लागत निर्धारित करते समय पांच वर्ष के लिए उपबन्धित राशि का ख्याल रखा

†मूल अंग्रेजी में

जाता है। १९५८-५९ के लिए उड़ीसा की पूंजी लागत में जो कि १.६ करोड़ रुपये थी कोई कमी नहीं हुई है। उसमें केन्द्रीय सहायता १२.५ करोड़ रुपये है। हाल ही में सिंचाई की योजनाओं के लिए ८५ लाख रुपया उपलब्ध किया गया है।

उड़ीसा को इस्पात की आवश्यकता

†५४०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता के लिए उड़ीसा सरकार ने कितने इस्पात की मांग की; और

(ख) उस अवधि में इस्पात का कितना आवंटन किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :**

१९५८		टन
(क)	अप्रैल-जून	९००
	जुलाई-सितम्बर	१,०००
	अक्तूबर-दिसम्बर	१,२००
(ख)	अप्रैल-जून	४५५
	जुलाई-सितम्बर	४५५
	अक्तूबर-दिसम्बर	अभी आवंटन नहीं किया गया।

उड़ीसा में उद्योग

†५४१. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक उड़ीसा में उद्योगों के विकास के लिए आवंटित की गई राशि में से कुछ राशि राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सामान्य आवास सहकारी समितियां

†५४२. **श्री कुम्भार :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितनी सामान्य आवास सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता दे रही है; और

(ख) प्रत्येक समिति में कितने सदस्य अनुसूचित जातियों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). इस मंत्रालय ने जो पांच आवास योजनायें बनाई हैं उन में से केवल उन्हीं सहकारी आवास समितियों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना और अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधीन आती है । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

सिल्दुबी गांव पर नागाओं का आक्रमण

†**५४३. श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि २६ अक्तूबर, १६५८ को जौरहट के दक्षिण में २६ मील दूर सिल्दुबी गांव पर एक नागा दल ने, जिन के पास आग्नेय अस्त्र थे, आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो ग्रामवासियों को कितनी क्षति पहुंची ; और

(ग) क्या कोई अपराधी गिरफ्तार किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सूचना मिली है कि २५ अक्तूबर, १६५८ को सायंकाल के समय एक नागा दल ने, जिन के पास आग्नेय अस्त्र थे, जोरहाट सब ।डवीज़न के एक गांव सिल्डुबी पर आक्रमण किया और वे २६ तारीख को लूट का सामान, जिस का मूल्य लगभग १३२६ रुपये था, ले कर चले गये । कुछ व्यक्तियों को, जिन पर शक था, गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्यवाही हो रही है ।

विदेशी विशेषज्ञ और परामर्शदाता

†**५४४. श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त १६४७ के पश्चात् कितने विदेशी विशेषज्ञ और परामर्शदाता भारत आये :

(१) प्रत्येक मंत्रालय के सम्बन्ध में (मंत्रालयवार) ;

(२) मंत्रालय के कहने पर अस्थायी तौर पर कितने दर्शक-परामर्शदाता आये ; और

(३) पर्यटक विदेशी विशेषज्ञ और परामर्शदाता जो स्वयं भारत आये और उन्होंने सरकार को मंत्रणा तथा सुझाव दिये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (१) से (३). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कुटीर उद्योग

†**५४५. श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८-५६ में अब तक बम्बई सरकार को बम्बई में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : बम्बई राज्य सरकार को १९५८-५९ में अब तक कुटीर उद्योगों के विकास के लिये निम्नलिखित राशियां दी गईं :—

उद्योग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)
१. हथकरघा .	१४.८४
२. दस्तकारी	१.८४
३. ग्राम उद्योग	१८.०९

इस के अतिरिक्त खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने बम्बई और सौराष्ट्र राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्डों को निम्नलिखित राशियां दी हैं : —

१. खादी (अम्बर समेत)	१२.३६
२. ग्राम उद्योग . . .	१७.८६

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने टस्सर रेशम उद्योग के लिये एक योजना तैयार की जिस पर ३७,३५५ रुपये की लागत होने का अनुमान था और इन उद्योगों का विकास विदर्भ के चन्दा और भंडारा जिलों में किया जाना था परन्तु अभी इसे स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार से कुछ ब्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अम्बर चरखे

†५४६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक बम्बई में अम्बर चरखा केन्द्रों में कितने चरखे बांटे गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १६-११-१९५८ तक मिली सूचनाओं के अनुसार १९५७-५८ तक ८,०८० अम्बर चरखे और १९५८-५९ में २,२५० अम्बर चरखे बांटे गये हैं ।

औद्योगिक बस्तियां

५४७. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में विभिन्न राज्यों को औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये कितनी-कितनी राशियां दी गयीं ;

(ख) अनुदानों और ऋणों के रूप में कितनी-कितनी धनराशियां दी गयीं ; और

(ग) किन-किन कम्पनियों को ये राशियां दी गयीं हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७**]

(ग) संलग्न विवरण में वर्णित राज्य सरकारों के लिये स्वीकृत धन राशियों के अलावा भारत सरकार ने १९५७-५८ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्रा०) लि० को ओखला (दिल्ली) तथा नैनी (इलाहाबाद) की औद्योगिक बस्ती योजनाओं के लिये निम्न ऋण देने की भी मंजूरी दी थी :—

औद्योगिक बस्ती—ओखला	२५ लाख रु०
औद्योगिक बस्ती—नैनी . . .	१७ लाख रु०

†मूल अंग्रेजी में

न्यास क्षेत्रों में नाभिकीय परीक्षण

†५४९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन के न्यास परिषद् ने न्यास क्षेत्रों में नाभिकीय परीक्षणों को रोकने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन का प्रतिवेदन किस प्रकार का था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) न्यास परिषद् के २२वें सत्र (अक्तूबर १९५८) में न्यास क्षेत्र में अथवा इस के निकट नाभिकीय अथवा ताप-नाभिकीय परीक्षण करने के विषय पर विचार किया गया था । परिषद् के सामने दो प्रारूप संकल्प रखे गये थे ।

पहले संकल्प में, जो रूस के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अमरीकी सरकार से यह सिफारिश की गई थी कि वह प्रशान्त द्वीपों के न्यास क्षेत्र में नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण बन्द कर दे । इस में यह भी सुझाव दिया जायेगा कि अमरीकी प्राधिकारियों ने न्यास क्षेत्र के निवासियों के जो अधिकार छीने थे उन्हें बहाल कर दिया जाये और नाभिकीय परीक्षण करने से वहां के निवासियों के लिये जो खतरा पैदा हो गया है उसे दूर किया जाये और उन्हें जो भौतिक हानि पहुंची है उस की क्षतिपूर्ति की जाये ।

दूसरे प्रारूप संकल्प में, जो भारत के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया, न्यास क्षेत्र के प्राधिकारियों से यह निवेदन किया जायेगा कि किसी न्यास क्षेत्र में अथवा इस के निकट कोई नाभिकीय अथवा ताप-नाभिकीय परीक्षण न किये जायें ।

प्रशान्त द्वीपों के न्यास क्षेत्र की अवस्था का निरीक्षण करते समय परिषद् ने इन दोनों प्रारूप संकल्पों पर विचार किया था । रूस के प्रतिनिधि ने अपना प्रारूप संकल्प वापस ले लिया । भारत के संकल्प पर मतदान किया गया और वह अस्वीकृत हुआ क्योंकि उसे पर्याप्त मत प्राप्त नहीं हुए । चार मत इस संकल्प के पक्ष में थे (बर्मा, भारत, रूस और संयुक्त अरब गणराज्य) और सात विपक्ष में (आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, "चीन", फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और अमरीका) और दो ने मत व्यक्त नहीं किया (ग्वेटमाला और हैती) न्यजीलैण्ड के प्रतिनिधि ने मतदान में भाग नहीं लिया क्योंकि उसे अपनी सरकार से हिदायतें नहीं मिली थीं ।

(ख) न्यास क्षेत्रों में नाभिकीय परीक्षणों के बारे में न्यास परिषद ने कोई विशेष प्रतिवेदन नहीं दिया था । न्यास परिषद् ने प्रशान्त द्वीपों के न्यास क्षेत्र के बारे में सुरक्षा परिषद को भेजे प्रतिवेदन में वही तथ्य बता दिये जो ऊपर (क) में बताये गये हैं ।

पंजाब में मुसलमानों के पुण्य स्थान

†५५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मुसलमानों के ऐसे कितने पुण्य स्थान हैं जिन के बारे में १९५६, १९५७ और १९५८ (३० नवम्बर, १९५८ तक) में भारत सरकार को ये शिकायतें मिलीं कि उन की पवित्रता भ्रष्ट की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २७ शिकायतें मिलीं—१९५६ में ११ ; १९५७ में १० और १९५८ में ६ ।

(ख) ये शिकायतें पंजाब सरकार को भेज दी गईं ताकि स्थानीय प्राधिकारी उस पर कार्यवाही कर सकें । इन में से १२ शिकायतों का अन्तिम रूप से निबटारा किया जा चुका है ।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल

†**५५१. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल ने सुरक्षा परिषद् को अपने चौथे प्रतिवेदन में यह प्रार्थना की कि प्रेक्षकों की संख्या तुरन्त बढ़ा दी जाये ताकि काम अच्छी तरह किया जा सके ;

(ख) क्या सुरक्षा परिषद् ने इस प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल ने १८ सितम्बर, १९५८ को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा गया था ; इसके कारणों की व्याख्या उनके चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई थी ।

(ख) और (ग). सुरक्षा परिषद् ने प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया, परन्तु दल की सिफारिश पर कार्यवाही करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दल में प्रेक्षक भेजने वाले देशों से प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने की प्रार्थना की और सभी देशों ने उसे स्वीकार कर लिया । भारत से ५० पदाधिकारी और भेजे गये ।

प्रेक्षक दल ने अपने आखरी प्रतिवेदन में महासचिव से यह सिफारिश की कि इस दल का काम बन्द कर दिया जाये और हमारे कुछ सेना पदाधिकारी वहां से रवाना हो चुके हैं ।

औद्योगिक सम्पर्क

†**५५२. श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औद्योगिक सम्पर्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण संविधियों का योजनाबद्ध रूप से अध्ययन आरम्भ करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी संविधियों का अध्ययन और छानबीन की जा रही है और वे किस प्रकार की हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय परिपालन तथा मूल्यांकन समिति ने २० सितम्बर, १९५८ को हुई अपनी पहली बैठक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम आदि कुछ श्रम सम्बन्धी विधानों के संचालन का अध्ययन करने के विचार का अनुमोदन किया । इस अध्ययन को आरम्भ करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

†५५३. **श्री संगण्णा :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर-प्रदेश के विकास के लिये कोई योजना तैयार की गई तथा मंजूर की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत हो रही है ।

अलजीरिया की नई सरकार

†५५४. **श्री संगण्णा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोडियान :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री जाधव :
श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री आचार :
श्री पाणिग्रही :
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीरिया की नई सरकार ने भारत सरकार से औपचारिक रूप में उसे मान्यता देने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत के दूतावास, काहिरा के द्वारा ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सरकार ने इस अवस्था में औपचारिक रूप से मान्यता देना ठीक नहीं समझा। सभी जानते हैं कि भारत सरकार इस पक्ष में है कि अल्जीरिया के लोगों को स्वतन्त्रता और स्वयं निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संगठन, सरकारी वक्तव्यों और राजनयिक पत्र-व्यवहार में कई बार ये विचार व्यक्त किये गये हैं। फिर भी सरकार यह महसूस करती है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनके द्वारा औपचारिक रूप में मान्यता देना ठीक नहीं रहेगा।

ओखला में टैक्नीकल प्रशिक्षण संस्था

†५५५. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडो-जर्मन प्रोटोटाइप वर्कशाप और ट्रेनिंग सैंटर, ओखला (नई दिल्ली) की इमारतों और कर्मशालाओं पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** इमारतों के जो नक्शे हाल ही में तैयार किये गये हैं उनके आधार पर लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। जमीन और इमारतों पर लगभग ३० लाख रुपये खर्च होंगे।

अम्बर चर्खे का उत्पादन

५५६. **श्री पद्म देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों में अम्बर चर्खे के निर्माण और उसके प्रशिक्षण के लिये कितने केन्द्र खोले गये ; और

(ख) क्या अम्बर चर्खे पर ऊन कातने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) (क) दिल्ली के केन्द्र-शासित प्रदेश में अम्बर चर्खे बनाने के तीन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उनमें से एक केन्द्र में अम्बर चर्खे बनाने के अलावा बढ़इयों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(ख) ऊन धुनने के लिये कोई तरकीब निकालने संबंधी प्रारंभिक समस्या की जांच-पड़ताल खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित गवेषणाशाला ने की थी। अम्बर चर्खे से ऊन कातने का प्रश्न अभी हल करना बाकी है। लेकिन इस बात की गवेषणा हो रही है कि इस काम के लिये मौजूदा अम्बर चर्खे में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना कहां तक संभव है।

विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियां

५५७. **श्री पदम् देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में किन किन स्थानों पर स्थायी भारतीय प्रदर्शनियां हैं ;

(ख) सरकार उन पर कितना व्यय करती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १६५८ में अब तक स्थायी प्रदर्शनियों के अतिरिक्त कितनी और प्रदर्शनियां लगायी गयीं ; और

(घ) ये प्रदर्शनियां किन किन स्थानों पर लगाई गयीं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक विवरण साथ में नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]** जिस में बताया गया है कि प्रमुख ट्रेडसैंटरों आदि पर १-४-५८ से ३०-६-५८ तक वास्तव में कितना खर्च हुआ तथा वर्ष के उत्तरार्ध में कितना खर्च होने की संभावना है। अन्य केन्द्रों का कोई खास खर्च नहीं है और उसे संबंधित दूतावासों के खर्च में ही डाल दिया जाता है।

(ग) १६ ।

(घ) एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]**

काम दिलाऊ दफ्तर

†५५८. **श्री राम कृष्ण**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवा में सुधार करने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस अवस्था में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क) और (ख) जी हां । सुधार कार्यक्रम की चार मुख्य बातें हैं ; अर्थात

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में १३५ काम दिलाऊ दफ्तर थे और द्वितीय योजना की समाप्ति तक उनकी संख्या २८० कर दी गई ताकि जनता के लिये इन दफ्तरों में पहुंचना सम्भव हो और यथासमय प्रत्येक जिले में एक काम दिलाऊ दफ्तर हो जाये जैसे कि शिवा राव समिति ने सिफारिश की थी ।

(२) रोजगार की सम्भावनाओं सम्बन्धी जानकारी एकत्र करना जिस से कि योजना बनाने से सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्ति कर्मचारियों की आवश्यकता का हिसाब लगा सकें और किसी हद तक यह हिसाब भी लगा सकें कि पंचवर्षीय योजनाओं का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है । सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों और विशेष क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जायेगी । अधिकतर प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा चुके हैं और जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(३) व्यवसायिक मार्ग दर्शन का विकास । इस योजना का आशय यह है कि नव-युवकों को ऐसे व्यवसायों का चुनाव करने में सहायता दी जाये जिनकी मांग अधिक है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के शिक्षा प्राधिकारियों के परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है । ५३ में से ८ यूनिट खोल दिये गये हैं और इस कार्य के लिये कुछ पदाधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं । सभी सैकंडरी स्कूलों में ऐसी पुस्तिकायें

†मूल अंग्रेजी में

बांटी गई हैं जिन में व्यवसायों की व्याख्या की गई है । काम दिलाऊ दफ्तरों में भी ये पुस्तिकायें तथा व्यवसायों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है । कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा है ।

(४) व्यवसायिक गवेषणा तथा विश्लेषण व्यवसायों की उपयुक्त परिभाषा करने की बड़ी आवश्यकता समझी गई है । इसकी आवश्यकता केवल सांख्यकी एकत्र करने के लिये ही नहीं बल्कि व्यवसायिक मंत्रणा देने वालों को भी होती है । एक राष्ट्रीय व्यवसायों सम्बन्धी कोष भी तैयार किया जा रहा है । इस दस्तावेज का प्रारूप विभिन्न सांख्यकी तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा पूरा किया जा चुका है । तीन हजार संक्षिप्त परिभाषायें निश्चित की जा रही हैं जिन में से एक हजार बना कर छाप दी गई हैं । विस्तृत कार्य विश्लेषण और परिभाषाओं का कार्य हो रहा है और कार्यक्रम योजना के अनुसार पूरा किया जा रहा है ।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

†५५९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दामानी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उसके पश्चात निर्यातकों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने के सुझावों का परीक्षण किया है जिस से कि संसार में उन भारतीय वस्तुओं की मांग कम न होने पाये जिन का भारत से निर्यात कई वर्षों से किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रोत्साहनों का परीक्षण किया गया है ; और

(ग) उनके अनुसरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार के प्रोत्साहनों का परीक्षण किया गया और क्या कार्यवाही की गई, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]**

बाट तथा माप की दशमिक प्रणाली

†५६०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दशमिक प्रणाली को विशेषतः गांवों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस के सम्बन्ध में सर्वसाधारण की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : : (क) एक प्रलेख चित्र जिसकी व्याख्या अंग्रेजी तथा सभी प्रादेशिक भाषाओं में की गई थी तथा एक सिनेमा स्लाइड भारत के सभी सिनेमाघरों में दिखाई गई थी । प्रलेख चित्र की प्रतिलिपियां राज्य सरकारों

---

†मूल अंग्रेजी में

को स्कूलों, सूचना केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास खंडों में दिखाने के लिये दी गई हैं। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में तत्सम्बन्धी वार्ता प्रसारित की गई है अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों तथा सामयिक पत्रों में बहुत से विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं। सभी भाषाओं में इस सम्बन्ध में विशेष लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं। बहुत से प्रमुख समाचार पत्रों ने १ अक्तूबर, १६५८ को दशमिक प्रणाली लागू करने वाले दिन की स्मृति के उपलक्ष में अपने परिशिष्ट प्रकाशित किये। राज्य सरकारों को सामुदायिक विकास खंडों में प्रदर्शनार्थ बांट दिये गये हैं। ग्राम सेवकों के उपयोग के लिये तत्सम्बन्धी सामग्री दे दी गई है। पोस्टर तथा विवरण सम्बन्धी पत्रों का बड़ी संख्या में वितरण किया गया है। दशमिक प्रणाली पर अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसी विषय पर एक पत्रिका प्रति दूसरे महीने अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है। दशमिक बाट तथा माप, तोलने की मशीनें 'भारत–१६५८' प्रदर्शनी दिल्ली के एक स्टाल में रखी गई हैं।

(ख) अल्पाधिक रूप से जनता इसके पक्ष में है।

औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय आय

†५६१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में आज तक पहिली पंचवर्षीय योजना की तुलना में औद्योगिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : औद्योगिक उत्पादन का देशनांक (वर्ष १६५१ को आधार मान कर १६५५ में १२२.१ था। १६५६ में यह १३२.६ और १६५७ में यह १३७.३ हो गया। इस प्रकार १६५५ की अपेक्षा १६५६ और १६५७ में ६.६ और १२.४% की वृद्धि हुई।

उड़ीसा की खानों में श्रमिक

†५६२. **श्री दामानी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उड़ीसा में १६५४–५५, १६५६–५७ और १६५७–५८ में उड़ीसा की लोह-अयस्क, मेंगनीज अयस्क और क्लोमाइट की खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या दिखाई गई हो ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : खानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या पत्री वर्ष के अनुसार रखी जाती है। वर्ष १६५४ से १६५७ तक की जानकारी देने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

प्रतिदिन काम में लगे हुए व्यक्तियों की औसत संख्या

वर्ष	लोह-अयस्क खानें	मेंगनीज की खानें	क्लोमाइट की खानें
१६५४	१२००६	१५०६७	४६६
१६५५	१४१६७	१७८७५	१२११
१६५६	१३६६०	१७७०१	१६७१
१६५७	१५६८४	१६१६०	१७०३

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई

†५६३. **श्री पाणिग्रही** : : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में गंदी बस्तियों की सफाई की कितनी योजनायें मंजूर हुई हैं ; और

(ख) उड़ीसा में इन योजनाओं के अन्तर्गत कितना कार्य हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ३० मकानों के निर्माण से सम्बन्धित गंदी बस्तियों की सफाई की एक परियोजना, जिस पर ९९,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है फरवरी १९५८ में मंजूर हुई है ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अक्तूबर १९५८ में यह सलाह दी है कि सफाई से सम्बन्धित वस्तुओं को लगाने के अलावा वे मकान लगभग तैयार हो चुक हैं और बहुत शीघ्र दे दिये जायेंगे ।

चाय का निर्यात

†५६४. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात के लिये पर्याप्त क्षेत्र है ;

(ख) यदि हां, तो चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या किया गया है ;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी चाय का निर्यात किया गया ; और

(घ) चाय की खपत करने वाले मुख्य देश कौन कौन से हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने के लिये सामान्य प्रचार विदेशी नुमायशों में भाग लेने के अलावा सरकार ने हाल में ही चाय के उत्पादन तथा निर्यात शुल्क में भी रियायत कर दी है ।

(ग) अनुमान है कि अप्रैल से अक्तूबर १९५८ तक २६८ पौंड चाय का निर्यात किया गया है ।

(घ) ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस, नीदरलैंड, टर्की, ईरान, मिश्र, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और सूडान ।

कॉफी का निर्यात

†५६५. **श्री राम कृष्ण** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कॉफी निर्यात के उपयुक्त वस्तु है और उसकी बड़ी मांग है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कितनी कॉफी का निर्यात किया गया है ; और

(घ) निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) हमारा कॉफी का कुल निर्यात विश्व निर्यात का एक छोटा अंश है । इसलिये भारतीय कॉफी उद्योग को देश के स्थायी बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है । इसलिये नीति यह है कि प्रत्येक मौसम की कॉफी की फसल से देश की खपत को निकाल कर जो अतिरिक्त भाग बचता है वही निर्यात के लिये रखा जाता है । सामान्यतः इस अतिरिक्त फसल का अगले वर्ष की फसल आने के पूर्व निर्यात कर दिया जाता है । हम अधिक कॉफी निर्यात करने के प्रश्न पर गौर कर रहे हैं । और इस वर्ष यथासंभव अधिक कॉफी का निर्यात किया जायेगा ।

(ग) अगस्त १६५८ तक ७७०० टन । इसके बाद की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कॉफी निर्यात करने वाले प्रमुख देश निम्नलिखित हैं :

अंगोला, ब्राजील, बेल्जियम-कांगो, कोस्टा रीका कोलम्बिया, इक्वेटर, एल साल्वाडोर, गुआटमाला, हैटी, इंडोनेशिया, केनिया, मेक्सिको, टैंगानीका यूगांडा, डोमीनिकन रिपब्लिक, निकारागुआ, वेनेज्युला, मुडागास्कर, इथोपिया, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख उत्पादन और निर्यात करने वाला देश ब्राजील है ।

खानों में सुरक्षा के उपाय

†५६६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ सितम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खानों में सुरक्षा के उपायों पर चर्चा सम्बन्धी सम्मेलन ने कुछ अन्तिम निर्णय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार के हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला खान मजदूरों के लिये गृह-निर्माण योजना

†५६७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मजदूरों के लिये गृह-निर्माण योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) किसी विशेष वर्ष के लिये कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अब्दुल अली

†**५६८. श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एडिनबरा के शेरिफ ने 'अब्दुल अली कथा और इतिहास' के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि श्री अब्दुल अली, जिसका मुकदमा उसके न्यायालय में चला था, की राष्ट्रीयता "लगभग निश्चित रूप से भारतीय है" और इसलिये उसे भारत लौटने का आदेश दिया गया है ; और

(ख) भारतीय उच्चायुक्त ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवहारलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं। श्री अब्दुल अली की राष्ट्रीयता अभी निश्चित की जानी है । ब्रिटेन वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम के अनुसार न्यायालय ने उसे स्टीमशिप 'ब्लेयरकोवा' के मास्टर की संरक्षण के अधीन कलकत्ता पहुंचाने का आदेश दिया है जहां से वह जहाज में छिपा था ।

(ख) श्री अब्दुल अली के राष्ट्रीयता के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

†**५६९. श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों और नियोजकों के सेवा शर्तों सम्बन्धी अखिल भारतीय प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिये राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह न्यायाधिकरण कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, की धारा १०(१क) में यह उपबन्ध है कि राष्ट्रीय महत्व के, अथवा ऐसे प्रश्न पर जिनमें एक से अधिक राज्यों में स्थापित औद्योगिक संस्थापन दिलचस्पी रखते हों, या प्रभावित हों विवादों के न्याय निर्णयन के लिये एक राष्ट्रीय अधिकरण बनाया जायेगा। किसी स्थायी राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना नहीं की गई है तथापि आवश्यक होने पर तदर्थ न्यायाधिकरणों की स्थापना कर दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम का संशोधन

†५७०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झूठे संघों के निर्माण पर रोक लगाने के लिये भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन किस प्रकार के हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). मई १६५८ में हुए भारतीय श्रमिक सम्मेलन ने भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम १६२६ में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है :—

(१) यदि पंजीयन के लिये आवेदन पत्र के निलम्बित रहने की अवधि में हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से कोई व्यक्ति नौकरी से हटा दिया जाय, यदि पंजीयन के समय हस्ताक्षरकर्त्ता आवेदन करने के अधिकारी थे तो केवल इस आधार पर पंजीयित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अब वे श्रमिक नहीं रहे हैं ;

(२) कार्मिक संघ के नियमों में कम से कम चार आने सदस्यता शुल्क अवश्य रहना चाहिये ; और

(३) पंजीयक या उसके नाम निर्देशित व्यक्ति को कार्मिक संघ के लेखे जोखे की जांच करने का अधिकार होना चाहिये ।

जल शीतक

†५७१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में जल शीतकों का निर्माण नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में जल शीतकों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) इस वर्ष अब तक कितने जल शीतक का निर्यात किया गया; और

(घ) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी नहीं । जल शीतकों का निर्माण भारत में किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) कोई नहीं । क्योंकि पूरी जल शीतक मशीन के निर्यात में प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों को सहायता

†५७२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने सिक्किम, नेपाल, तिब्बत और बर्मा को किस प्रकार की सहायता देने का वचन दिया है ; और

(ख) उस सहायता की शर्तें व राशि क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). बर्मा और चीन गणराज्य की सरकार को तिब्बत में विकास कार्यों के लिये कोई सहायता देने का वचन नहीं दिया गया है । सिक्किम और नेपाल के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दी जा रही है :—

सिक्किम :

(१) सिक्किम की सात वर्षीय योजना जो १९५६ से प्रारम्भ हुई है के व्यय की पूरी रकम देने के लिये ३०७ लाख पये की सहायता दी जायेगी ।

(२) हवाई झूला बनाने के लिये २२ लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा जो १५ बराबर की किस्तों में चुकाया जायेगा । ४% वार्षिक की दर से सूद लिया जायेगा । और पहिली किश्त काम के समाप्त होने के एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगी ।

नेपाल :

३१—३—१९६१ को समाप्त होने वाले ५ वर्षों में नकद अनुदान के रूप में १० करोड़ रुपये दिये जायेंगे तथा विकास योजनाओं की लागत का अंशदान भी दिया जायेगा ।

वारंगल में औद्योगिक बस्ती

†५७३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारंगल में १० लाख रुपये की लागत से एक मध्यम औद्योगिक बस्ती[1] बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वारंगल में १० लाख रुपये की लागत से एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) बस्ती १० एकड़ में बनाई जायेगी । भूमि तथा विकास सम्बन्धी व्यय ७०,००० रुपये होगा । कारखाने की इमारतों पर ६ लाख, प्रशासनिक खंड, जलपान गृह तथा अन्य सेवाओं पर २,३०,००० रुपया व्यय किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Medium Industrial Estate.

अम्बर चर्खा योजना

†५७४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चर्खा योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये कितने केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ग) काते गये सूत के उपयोग के लिये कितने बुनकर केन्द्र खोले गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अपेक्षित जनकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ख) योजना को विभिन्न एजेन्सियों अर्थात् खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रामाणित संस्थायें, सहकारी समितियां, राज्य सरकार, विकास आयुक्त तथा राज्य बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ग) परम्परागत खादी के उत्पादन के लिये खोले गये बहुसंख्यक केन्द्रों के अलावा, अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अधीन २१३५ उत्पादन केन्द्रों में भी अम्बर सूत काता जाता है । इसकी योजना के अधीन बहुसंख्यक केन्द्रों में कताई व बुनाई दोनों काम होते हैं । इसलिये यह कहना कठिन है कि अम्बर सूत की केवल बुनाई का कार्य कितने केन्द्रों में होता है ।

त्रिवेणी नहर, बिहार

†५७५. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने त्रिवेणी नहर, बिहार का गहन सर्वेक्षण, उससे मिलने वाले लाभों को निर्धारण करने की दृष्टि से करना प्रारम्भ किया है; और

(ख) क्या पटल पर प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि रखी जायगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इशा० नं० मिश्र)** : (क) जी हां । योजना आयोग ने गवेषणा कार्यक्रम समिति के द्वारा त्रिवेणी नहर से मिलने वाले सिंचाई के लाभों की गवेषणा की व्यवस्था की है ।

(ख) प्रतिवेदन होने पर इस बात पर विचार किया जायेगा ।

समाचार चित्र

†५७६. **श्री वोडयार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के समाचार चित्रों का कितनी भाषाओं में निर्माण किया जा रहा है ; और

(ख) कन्नड़ में समाचार चित्र निर्मित न करने का क्या कारण है । यद्यपि प्रलेख चित्र कन्नड़ भाषा में भी बनाये जा रहे हैं !

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) पांच भाषाओं यथा हिन्दी, अंग्रेजी, तामिल, तेलगू और बंगाली में ।

(ख) अन्य प्रादेशिक भाषाओं, जिनमें कन्नड़ भी शामिल है में समाचार चित्र इसलिये नहीं बनाये जा रहे हैं कि कच्ची फिल्मों तत्सम्बन्धी वस्तुओं तथा सामग्री की खरीद में बहुत विदेशी मुद्रा व्यय होती है ।

यह कार्य बाद में प्रारम्भ किया जायेगा ।

कारखानों द्वारा रुई की खपत

†५७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में भारत के कारखानों द्वारा रूई की खपत में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५७–५८ में रूई (भारतीय और विदेशी दोनों) की कुल खपत ४९·९९ लाख गांठें हुईं जब कि १९५६–५७ में ५२·३३ लाख गांठों की खपत हुई थी । इस प्रकार कुल खपत में २·३४ लाख गांठों की कमी हुई है ।

(ग) खपत में कमी इस कारण हुई कि १९५७–५८ में मोटे और मध्यम प्रकार के कपड़े का उत्पादन पहिले वर्ष से कम हुआ । क्योंकि निकासी की कमी के कारण इस प्रकार का कपड़ा बहुत अधिक जमा हो गया था ।

कास्टिक सोडा

†५७८. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष देश में कितने कास्टिक सोडे का निर्माण किया जाता है ;

(ख) प्रतिवर्ष कितने कास्टिक सोडे का आयात किया जाता है ; और

(ग) सरकार ने इसकी बिक्री के लिये क्या कीमत निश्चित की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :

(क)	१९५७	४२६५३ टन
	१९५८ (जनवरी—सितम्बर) . .	४१४८० टन
(ख)	१९५७ . .	६६०४२ टन
	१९५८ (जनवरी—अगस्त) . . .	३४०४० टन

†मूल अंग्रेजी में

(ग) देश में उत्पन्न होने वाले कास्टिक सोडे के मूल्य में कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने वाले कास्टिक सोडा का मूल्य बिक्री कर तथा अन्य करों को छोड़ कर बन्दरगाहों में रेलभाड़ा सहित ७२० रुपये प्रति टन निश्चित किया गया है।

कराड (बम्बई) में उर्वरक कारखाना

†५७९. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराड (बम्बई) में एक उर्वरक कारखाना खोला जायेगा; और

(ख) उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अम्बर चर्खा

†५८०. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चर्खे में पूरे समय काम करने वाले श्रमिक की औसत मासिक आय क्या है; और

(ख) अम्बर चर्खा योजना से कितने व्यक्तियों को काम मिलेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) पूरे समय कताई करने वाले व्यक्ति की औसत मासिक आय १९ रु० माहवार है; अर्थात् यदि वह महीने में २५ दिन ८ घंटे प्रतिदिन काम करे।

(ख) अम्बर चर्खा योजना के अधीन सितम्बर १९५८ तक २,१५,००० व्यक्तियों को पूरे समय या आधे समय काम दिया गया। भविष्य में इस योजना से कितने व्यक्तियों को काम मिलेगा, यह बात समय-समय पर स्वीकृत योजनाओं पर निर्भर करती है।

आकाशवाणी का पूना केन्द्र

†५८१. **श्री आसर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूना के आकाशवाणी केन्द्र को किसी दूसरे स्थान में ले जाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी हाँ। वर्तमान स्टूडियो को अधिक बड़ी इमारत में ले जाने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पूना केन्द्र की शक्ति को १ किलोवाट से बढ़ाकर ५ किलोवाट करने और वहाँ की कार्यवाही को बढ़ाने के कारण अतिरिक्त टेक्नीकल सुविधायें देना आवश्यक हो गया है। वर्तमान इमारत में स्थान की इतनी कमी है कि कर्मचारियों को ठसाठस भरे कमरों में बैठना होता है और अभ्यागतों तथा कलाकारों के लिये तो स्थान उपलब्ध ही नहीं होता है। कुछ समय के लिये कर्मचारियों के बैठने का स्थान उपलब्ध करने के लिये दो तम्बू किराये पर लिये गये हैं। बम्बई की सरकार वर्तमान इमारत में अधिक स्थान देने को तैयार नहीं थी।

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†५८३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा पुनर्वास विभाग ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों को कटक के निकट एक पृथक बस्ती में बसाने सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्ति कटक म बनाई बस्तियों में रह रहे हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो कटक नगर के अन्दर कितने विस्थापित परिवार रहते हैं ;

(घ) क्या संघ सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस योजना का विवरण क्या है और राज्य सरकार ने योजना क्रियान्वित करने के लिये कितनी सहायता मांगी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) १०७ परिवार ।

(घ) और (ङ). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रख कर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

चमड़े के जूतों का निर्यात

†५८४. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ की तुलना में १९५८ में चमड़े के जूतों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) वर्ष १९५८-५९ में किन-किन देशों ने नये आर्डर भेजे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जनवरी से अगस्त, १९५८ तक के निर्यात आंकड़े उपलब्ध हैं। उनसे प्रगट होता है कि १९५७ की तुलना में उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) रुस और जर्मन गणराज्य ने राज्य व्यापार निगम के पास जूतों के नये आर्डर भेजे हैं। जूते निर्यात करने वाली अन्य संस्थायों को दिये गये आर्डरों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रबड़ उद्योग

†५८५. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक रबड़ उद्योग के लिये कुल कितनी कीमत की आवश्यक दवाइयां बाहिर से आयात की गयी थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :

	रुपये (लाखों में)
१९५७–५८	लगभग ४५०
१९५८–५९ (अप्रैल––अगस्त)	लगभग १६३

सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†५८६. **श्री प्र० चं० बोस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकलस (प्राइवेट) लिमिटेड में इस समय कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर एलाट किये गये हैं; और

(ग) क्या और अधिक क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) ६७७९ (जिनमें दैनिक मजूरी पर काम करने वाले और नैमित्तिक मजदूर भी सम्मिलित हैं)

(ख) ४७५१ ।

(ग) इस वर्ष तथा आगामी वर्ष में १०८२ और अधिक क्वार्टर बनाने का काम इस समय चालू है ।

नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी समिति

†५८७. **श्री ईश्वर अय्यर :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग की जांच के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) समिति ने केरल में नारियल जटा विकास उद्योग के सम्बन्ध में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । आशा है कि अन्तिम प्रतिवेदन भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा ।

(ख) अन्तिम प्रतिवेदन सभा–पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार को वित्तीय सहायता

†५८८. **श्री झूजन सिंह :** क्या **योजना** मंत्री २४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सूखे की स्थिति के सम्बंध में रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किये गये दल द्वारा कितनी राशि की सिफारिश की गयी थी और उसमें से कितनी राशि वास्तव में बिहार राज्य सरकार को दी गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** दल द्वारा की गयी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए १९५७–५८ में केन्द्र द्वारा बिहार को दी जाने वाली सहायता की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। मंजूर की गयी सहायता में निम्न लिखित सम्मिलित है:—

(१) २९ करोड़ रुपयों के योजना व्यय के खाते में १६.६ करोड़ रूपये। ३३ करोड़ रुपयों के योजना परिव्यय के लिये १४ करोड़ रुपये देना स्वीकार किया गया है।

(२) दल द्वारा जिन अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं की सिफारिश की गयी है उनके लिये ८६.४२ लाख रुपये जो कि उपरोक्त १६.६ करोड़ रुपयों में ही सम्मिलित है।

(३) वित्त आयोग पंचाट के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले खर्च को हटा कर, सहायता व्यय के लिये २.५ करोड़ रुपयों का तकावी ऋण और ४० लाख रुपयों का अनुदान।

संयुक्तराष्ट्र प्रेक्षक

†५८९. **श्री कोरटकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर राज्य में इस समय युद्ध विराम सेवा पर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कितने प्रेक्षक नियुक्त हैं ; और

(ख) १९५७–५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ के इन प्रेक्षकों पर कुल कितना खर्च आया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) :** (क) जम्मू और काश्मीर राज्य में युद्ध विराम रेखा पर नियुक्त संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या निश्चित नहीं है। उन की संख्या समय समय पर बढ़ती-घटती रहती है। १ नवम्बर, १९५८ को उनकी संख्या २८ थी।

(ख) इन प्रेक्षकों पर आने वाला खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वहन किया जाता है। हां, भारत सरकार उन्हें कुछ एक सुविधायें प्रदान करती है जैसे कि आवास स्थान 'फार्वर्ड' क्षेत्रों में राशन, यात्रिक परिवहन, निशुल्क चिकित्सा, आदि। इन सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता।

विदेशों में प्रचार

†५९०. **श्री कोरटकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५७–५८ में पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के विरुद्ध किये जा रहे झूठे प्रचार के प्रभाव को समाप्त करने के लिय विदेशों में अपनी ओर से प्रचार करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) (१) १९५७-५८ में पाकिस्तान के झूठे प्रचार के प्रभाव को समाप्त करने के लिये विदेशों में स्थित अपने विभिन्न सूचना केन्द्रों को कई नोट भेजे गये हैं, जिनमें समस्या की पृष्ठ भूमि तथा सभी आवश्यक आंकड़े दिये गये हैं ।

विदेशों में हमारे मिशनों ने भी काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में अपने अपने क्षेत्रों की भाषाओं में कई पुस्तिकायें आदि प्रकाशित की थीं । इस से उन क्षेत्रों में काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले झूठे प्रचार के प्रभाव को पर्याप्त सीमा तक समाप्त किया जा सका है । इसके अतिरिक्त हमारे मिशनों ने विदेशी समाचार पत्रों में काश्मीर तथा भारतीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाले झूठे समाचारों को शुद्ध करने का काम भी किया है ।

(२) दैनिक पारेषण द्वारा विदेशों में स्थित मिशनों को काश्मीर स्थिति के सम्बन्ध में आवश्यक समाचार तथा तथ्य निरन्तर भेजे गये ।

(३) वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रचार विभाग द्वारा काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में कई पुस्तिकायें प्रकाशित की गयीं और भारत स्थित पत्रकारों और संवाददाताओं को दी गयीं और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेजी गयी ताकि उन्हें बांट दिया जाये । इस प्रकार की पुस्तिकाओं की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(४) भारत में स्थित तथा भारत का दौरा करने वाले सभी विदेशी पत्रकारों को काश्मीर के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है । उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न पुस्तिकायें और प्रसिद्ध भारतीय तथा विदेशी लेखकों द्वारा इस विषय पर लिखी गयी पुस्तकें नियमित रूप से दी गयीं ।

(५) प्रैस प्रतिनिधि-मण्डलों तथा प्रतिष्ठित विदेशी पत्रकारों को, उस देश तथा काश्मीर का भ्रमण करने के सम्बन्ध में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गयी, ताकि वे स्वयं इस समस्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकें ।

(६) छायाचित्रों, प्रदर्शनियों तथा प्रलेखीय चलचित्रों के माध्यम से विदेशों को यह बताया जा रहा है कि काश्मीर राज्य कितनी और किस प्रकार की उन्नति और विकास कर रहा है ।

(ख) पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के सम्बन्ध में किये जा रहे झूठे प्रचार के प्रभाव को समाप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा की गयी विभिन्न कार्यवाहियों पर किये गये खर्च के ब्योरे नहीं बताये जा सकते, क्योंकि इस खर्च को अलग रूप से नहीं रखा जाता ।

रेशम के कीड़ों के लिये पौधे[1]

†५९१. { **श्री हेम बरूआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आसाम में रेशम के कीड़ों को पालने के लिये आवश्यक पौधे उगाने के लिये राजकीय सहायता देना बन्द कर दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Food Plants for Silk Worms.

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय करने के क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आसाम में रेशम के कीड़ों के लिये पौधे उगाने के लिये कोई भी राजकीय सहायता बन्द नहीं की गयी है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिय कोई राजकीय सहायता देना मंजूर ही नहीं किया था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आवास सम्बन्धी समस्या

†५९२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने मजूरों की आवास सम्बन्धी समस्या के बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में बतायी गयी मख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). कई राज्यों में अभी तक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

खिलौनों के कारखानें

†५९३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक खिलौनों के कितने कारखाने स्थापित किये गये हैं ;

(ख) वहां पर किस-किस प्रकार के खिलौने तैयार किये जाते हैं ; और

(ग) क्या वे विदेशों की मांग के अनुसार हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). देश में अभी तक स्थापित खिलौनों के कारखानों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। देश में मुख्य रूप से निम्नलिखित खिलौने तैयार किये जाते हैं ; धातुओं के खिलौने, रबड़ के खिलोने, चीनी मिट्टी तथा साधारण मिट्टी के खिलौने और यांत्रिक खिलौने आदि।

(ग) अधिकतर खिलौने तो देश के लिये ही होते हैं, परन्तु विदेशों में भी इन खिलोनों के लिये पर्याप्त मांग है।

आगरा की औद्योगिक बस्ती

†५९४. **सेठ अचल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में औद्योगिक बस्ती बनाने के कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

आगरा की औद्योगिक बस्ती में ७४ प्लाट हैं । उनका ब्योरा निम्नलिखित है :—

(क) एक एकड़ के प्लॉट	१०
(ख) आधा एकड़ के प्लॉट	३०
(ग) ६०० वर्ग गज के प्लॉट	३४

½ एकड़ के १७ प्लाटों और ६०० वर्ग गज के १४ प्लाटों के निर्माण-कार्य को आगरा के सुधार न्यास ने प्रारम्भ कर दिया है । उनके निर्माण कार्य की स्थिति यह है :—

(क) जो दरवाजों तक तैयार हो चुके हैं	२
(ख) जो छतों तक तैयार हो चुके हैं	१०
(ग) जिन में छत डाल दी गई है	१९
	३१

भूमि की खरीद तथा इमारतों के निर्माण कार्य पर आगरे के सुधार न्यास द्वारा अभी तक १०,४५,५३५ रुपये खर्च किये जा चुके हैं । आशा है कि औद्योगिक बस्ती का सम्पूर्ण कार्य द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल के समाप्त होने से पहले ही पूरा हो जायेगा ।

लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य

†**श्री वि० चं० शुक्ल (बलोदा बाजार)** : अभी हाल में लुनेज में खोजे गये तेल के कुऐं में गम्भीर आग लग गई थी । मैं माननीय खान तथा तेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे सभा को इस संबंध में नवीनतम स्थिति से अवगत करवायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कहीं ऐसी गंभीर दुर्घटनायें हों तो सम्बद्ध मंत्रियों को किसी सदस्य की जिज्ञासा की अपेक्षा किये बिना ही इस संबंध में सभा में वक्तव्य देना चाहिये ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मेरे विचार से दुर्घटना इतनी गंभीर नहीं है जितनी कुछ क्षेत्रों में बताई गई है । चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है । आग कुए के निकट तेल व गैस जमा होने से लगी, जिसका दबाव कभी कभी अत्याधिक बढ़ जाता है । बताया गया है कि सीमेंट में कुछ दरारें हो गई हैं और तेल व गैस बहुत अधिक दबाव के साथ वहां से निकलते हैं । कल हमने सूराख करके कुऐं को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया था । वस्तुतः जैसी की मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली, वहीं पास में बिजली द्वारा झाल लगाने का कार्य किया जा रहा था । एक चिनगारी उड़ती हुई गैस के झपेटे में आगई जिस से आग लग गई । करीब ३०० पीपे तेल जो एक खुले गढ्ढे में

---

†मूल अंग्रेजी में

जमा हो गया था जल गया और नष्ट हो गया। अब हम फिर १२.३० बजे पुनः सूराख करने वाले हैं। हमें आशा है कि हम उस में सफल होंगे। यदि कोई मामूली सी रुकावट हो भी गई तो भी हम उसके लिये पहिले से तैयार हैं। मेरे विचार से कल परसों तक स्थिति सामान्य हो जायेगी।

†अध्यक्ष महोदय : किसी मामले के सम्बन्ध में यह निर्णय करना कि वह गम्भीर है या नहीं और उसके सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य दिया जाना उचित है या नहीं मंत्री महोदय पर निर्भर करेगा, लेकिन यदि सदस्य किसी मामले को गम्भीर सोचें तो वह इस संबंध में निवेदन कर सकते हैं।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किसी मामले की गम्भीरता का निर्णय करते समय मंत्री महोदय यह भी देख लें कि अन्य सदस्य किन मामलों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं और उसके बारे में एक वक्तव्य दें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ बोर्ड कर्मचारी आचरण नियम

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं रबड़ अधिनियम १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०८३ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड कर्मचारी आचरण नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०८३/५८]

काफी नियमों में संशोधन

†श्री सतीश चन्द्र : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) जी० एस० आर० संख्या ८४६, दिनांक २७ सितम्बर, १९५८।

(२) जी० एस० आर० संख्या १०७१, दिनांक ८ नवम्बर, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० १०५५/५८]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)।

(२) सरकारी संकल्प संख्या ३६(३)–टी० आर० /५८ दिनांक १८ नवम्बर, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०५६/५८]

(३) अल्यूमीनियम उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)।

(४) सरकारी संकल्प संख्या ३ (५)–टी० आर०/५८ दिनांक २० नवम्बर, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० १०५७/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल के प्रतिवेदन

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अप्रेल-मई, १९५८ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४१वें (मेरीटाइम) अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल का प्रतिवेदन ।

(२) जून, १९५८ में जनेवा में हुए अन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४२वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १०५८/५८]

बाट तथा माप प्रमापीकरण अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†सतीश चन्द्र : मैं बाट तथा माप प्रमापीकरण विधेयक पर वाद-विवाद के समय ८ दिसम्बर, १९५६ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में बाट तथा माप प्रमापीकरण अधिनियम १९५६ की धारा १२ के अन्तर्गत निकाली जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० १०५९/५८]

अविलम्बनीय लोक महत्व के बिषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजन संबंधी समझौते की कार्यान्विति

†श्रीमती मफीदा अहमद (जोरहाट) : नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"सीमा समायोजन के बारे में हाल में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में जो समझौता हुआ है उसे कार्यान्वित करने के संबंध में अब तक हुई प्रगति ।"

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : ९ से ११ सितम्बर, १९५८ के बीच भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बैठकों में हुये समझौते की कार्यान्विति के बारे में माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न पूछे हैं । एक माननीय सदस्य ने नियम १९७ के अधीन इस संबंध में एक वक्तव्य के लिए भी सूचना दी है । माननीय सदस्यों में इतनी रुचि को देखते हुये मैं वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करूंगी ।

दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच जो समझौता हुआ वह निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में था और प्रत्येक मामले को हल करने के लिए इन तरीकों को अपनाया जाना था :

(एक) रेडक्लिफ और बागे पंचाटों द्वारा निर्धारित सीमाओं की व्याख्या पर भारत और पाकिस्तान के मतभेद के कारण या सीमा-निर्धारण के आधार पर मत-भेद होने के कारण रुका हुआ सीमा-निर्धारण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच कुछ क्षेत्रों में रेडक्लिफ और बागे पंचाटों के अनुसरण में किये गये सीमा निर्धारण के परिणामस्वरूप कुछ राज्य-क्षेत्रों का आदान-प्रदान ।

(तीन) पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों (पुराने कूच बिहार राज्य की बस्तियों) तथा भारत में पाकिस्तान की बस्तियों के होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयां ।

पहले प्रकार की समस्याओं के, जिनके कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में सीमा निर्धारण का काम रुका हुआ था, संबंध में समझौता हुआ :

(१) दिल्ली;

(२) बेरूवारी यूनियन संख्या १२;

(३) रेडक्लिफ लाइन के निकट पुराने कूच बिहार राज्य में भूमि के दो टुकड़े;

(४) पश्चिमी बंगाल का २४ परगना जिला और पूर्वी पाकिस्तान के खुलना व जेस्सारे जिले;

(५) आसाम में भोला गंज ; और

(६) त्रिपुरा राज्य में भागलपुर गांव ।

इन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पर सीमा निर्धारित करनी होगी और सीमा-खम्भे बनाने होंगे । मैदानों में सीमा निर्धारित करने का मौसम नवम्बर में आरम्भ होता है। इन व्यवस्थाओं के अनुसार सीमा-निर्धारण हेतु राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं । निर्धारण कार्यक्रम तैयार करने के लिए दोनों पक्षों के भूमि-अभिलेख निदेशकों के बीच बैठकें हो चुकी हैं ।

सूरमा नदी व पियाइन नदी के किनारे की आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के संबंध में सीमा-निर्धारण के आधार के बारे में जो विवाद थे उसके संबंध में भी ऊपर की बातें लागू होती हैं ।

सीमा निर्धारण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अनधिकृत रूप से कब्जे में किये गये क्षेत्रों के, यदि कोई होंगे, विनिमय की तिथि राज्य सरकारों के परामर्श से बाद में निर्धारित की जायेगी ।

रेडक्लिफ तथा बागे पंचाट की व्याख्या संबंधी मतभेद के संबंध में आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा के दो क्षेत्रों के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका और रेडक्लिफ पंचाट की व्याख्या संबंधी मत भेद के संबंध में पंजाब––पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के चार क्षेत्रों के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त कच्छ-सिन्ध क्षेत्र में भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के निर्धारण के आधार के बारे में भी मत भेद था। इन विवादों को तय करने के संबंध में दोनों प्रधान मंत्री समहमत थे कि अन्य उपायों पर विचार किया जायेगा। दोनों प्रधान मंत्रियों ने स्पष्ट निदेश दिये कि हुसेनी वाला तथा सुलेमानकी हेडवर्क्स के निकटवर्ती क्षेत्रों संबंधी विवादों के बारे में पाकिस्तान सरकार के विदेश सचिव तथा भारत सरकार के राष्ट्र मंडली सचिव अपने इंजीनियरों के परामर्श से प्रधान मंत्रियों के पास आवश्यक प्रस्थापनायें प्रस्तुत करें। दोनों सरकारों के इन सचिवों की बैठक के लिए अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

ऊपर वर्णित दूसरी समस्या के बारे में भी समझौता हो गया था और पूर्वी पाकिस्तान-पश्चिमी बंगाल सीमा के कुछ क्षेत्रों में, जहां रेडक्लिफ तथा बागे पंचाट के अनुसरण में सीमा-निर्धारण पूर्ण हो चुका है, राज्य क्षेत्रों के विनिमय की तिथि १५–१–५९ रखी गयी थी। पश्चिमी बंगाल की

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

सरकार को निर्धारित तिथि पर उपरोक्त क्षेत्रों के विनिमय के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का परामर्श दे दिया गया है । पश्चिमी बंगाल सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

अन्त में, वस्तियों का भी प्रश्न था। ऐसी १२३ भारतीय बस्तियां हैं जो पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र से पूरी तरह से घिरी हुई हैं और इसी प्रकार ७४ पाकिस्तानी बस्तियां भारतीय राज्य क्षेत्रों से पूरी तरह से घिरी हुई हैं। स्थानीय सरकारों को इन राज्य क्षेत्रों में सीधे आने-जाने का मार्ग उपलब्ध नहीं है। चूंकि इन बस्तियों के प्रशासन में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो रही थीं, अतः बस्तियों के विनिमय द्वारा इस समस्या को हल करने का निश्चय किया गया। चूंकि इस करार में राज्य क्षेत्रों के विनिमय का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है अतः इसके लिए विधान बनाने की आवश्यकता है । भारत सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। इन बस्तियों के विनिमय के लिए कोई तिथि तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक कि कोई विधान नहीं बना लिया जाता और विनिमय करने के लिए राज्य सरकारें आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही नहीं कर लेतीं।

चर्चा के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा तुकेग्राम पर अनधिकृत कब्जे को हटाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि पथरिया पहाड़ी वन क्षेत्र में भारतीय प्राधिकारियों ने भी ऐसा ही अनधिकृत कब्जा कर रखा है अतः इन दोनों समस्याओं का हल साथ साथ होगा। अन्त में यह तय हुआ कि दोनों वनों के कन्जरवेटर तथा आसाम व पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव मिलें और तय करें कि पथरिया पहाड़ी बन के क्षेत्रों में दोनों दलों के क्षेत्र अलग अलग कर दिये जायें। इस प्रकार अस्थायी सीमा निर्धारण हो जायेगी और अधिकृत दलों को कब्जा मिल जायेगा। प्रधान मंत्रियों की इस बैठक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि करार के इस भाग को कार्यान्वित किया जाये। पथरिया पहाड़ी वन क्षेत्र की कठिनाइयों को हल करने के लिए पदाधिकारियों की बैठक के संबंध में आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान की सरकार के बीच पत्र व्यवहार भी हो चुका है। पाकिस्तान प्राधिकारियों ने अभी बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : माननीय उपमत्री ने अभी बताया कि पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा-निर्धारित हो चुकी है। क्या इसका नक्शा या इसकी विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ताकि हम जान सकें कि हमारी सीमा कहां समाप्त होती है और उनकी रेखा कहां आरभ होती है।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने अभी बताया है कि कुछ क्षेत्रों में अभी नवम्बर में सीमा-निर्धारण का काम आरभ नहीं हुआ है । कुछ क्षेत्रों में अन्तिम रूप से सीमा निर्धारण हो गया है ।

सभा का कार्य

†संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि १ दिसम्बर, १९५८ को आरंभ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(१) संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, आगे विचार और उसे पारित करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना :

१. हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन और कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८ ;

२. आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ ;

३. संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८ ;

४. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ ; और

५. दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(३) गाड़ियों के देर से चलने के बारे में पंडित द्वारिका नाथ तिवारी द्वारा मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८ को २-३० म० प० बजे उठाई जाने वाली चर्चा।

(४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८ को ३ म० प० बजे एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति और वस्त्र उद्योग, जो कि मुख्य रूप से उस व्यापार में योग देता है, की स्थिति पर चर्चा। ये चर्चा ४ दिसम्बर, १९५८ को भी जारी रहेगी।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा २८ नवम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

> " कि भारत के जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वित्त मंत्री द्वारा लोक-सभा में २५ अगस्त, १९५८ को दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये। "

श्री अजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जीवन बीमा निगम को पूंजी लगाई जानी चाहिये। मैंने यह भी निवेदन किया था कि मकानों की समस्या देश की एक ऐसी समस्या है जिस की तरफ सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है । और यदि बीमा निगम की पूंजी को हम बड़े पैमाने पर देश में गृह निर्माण की समस्या को हल करने के लिये इस्तेमाल कर सकें तो अच्छा होगा। मैं सुझाव देना चाहूगा कि निगम एक तरह का हाउसिंग बोर्ड बनाये, चाहे सरकार से सहायता लेकर बनाये, उस की सलाह ले कर बनाये या खुद बनाये, जो कि विभिन्न राज्यों में इस समस्या को हल करने और गृह निर्माण करने के लिये काम करे और उस में अधिक से अधिक रुपया लगाये। मैं समझता हूं कि इससे न सिर्फ निगम का फ़ायदा ही होगा बल्कि हमारी योजना का जो उद्देश्य है मकानों की कमी को पूरा करने का वह भी काफी हद तक पूरा हो सकेगा।

योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि जो छोटे गृह उद्योग धंधे हैं उन को बढ़ावा मिले, उन की उन्नति हो, विकास हो, उत्थान हो। खास तौर से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के देहातों की जनता जो है वह शहरों की तरफ बढ़ रही है। शहरों की आबादी बढ़ रही है। उस के लिये अच्छा यह होगा

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि हम देहातों म ही कुछ इस तरह के उद्योग धंधे खोलें जिस से देहातों की जनता शहरों की तरफ न बढ़े। इस के लिये छोटे उद्योग धंधों का जितना विकास होना चाहिये, उन्हें जितनी सहायता मिलनी चाहिये, उतनी सहायता, हर सम्भव कोशिशों के बावजूद, सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि बीमा निगम का जो रुपया है वह गांवों में छोटे गृह उद्योग धंधों को खोलने में लगे जिस से इन कामों को मदद मिले, खास तौर से उन लोगों को गांवों में मदद दी जाये जिन के पास पैसा नहीं है और अपने कामों के विशेषज्ञ हैं, और गांवों में उन कामों को करना चाहते हैं, लेकिन वह पूंजी न होने की बजह से उन को नहीं कर सकते। उन के लिये निगम की तरफ से कर्ज की व्यवस्था हो, न सिर्फ उन लोगों के लिये जो कि पालिसी होल्डर हैं बल्कि उन लोगों के लिये भी जो पालिसी होल्डर तो नहीं हैं लेकिन गारेन्टी दे सकते हैं और कर्ज को वापिस देने के लिये अपनी दूसरी जायदाद को गिरवीं रख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिये भी निगम की तरफ से कर्ज देने की व्यवस्था होनी चाहिये जिस से हमारे छोटे उद्योग धंधे जो हैं वे पनप सकें। बड़े उद्योग धंधों से राष्ट्र की पूरी समस्या कभी हल नहीं हो सकती। हमारे देश में जो टकनीशियनों की बढ़ती हुई भीड़ है उस को काम में लगाने के लिये बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसे उद्योग धंधे खोलें जिन में आदमियों के हाथ से ज्यादा काम हो सके, बजाय इस के कि मशीनों से ज्यादा काम हो। इस के लिये जरूरी है कि हम छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दें, और उन को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब देश के पास जो बुद्धि है, जो विशेषज्ञ हैं, जो कामों को जानते हैं उन के लिये हम पूंजी की व्यवस्था करें। बढ़ईगिरी का काम है, दूसरे काम हैं, जो गांवों में चल सकते हैं, लेकिन उन के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि उनको वे चला सकें। उन के लिये पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिये, हां धन की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखा जाये जो कि उन की जायदाद को गिरवीं रख कर हो सकता है। मैं समझता हू कि इस से उद्योग धंधे भी पनपेंगे और लोगों को काम भी मिलेगा और इस तरह से हम योजना के एक बड़े उद्देश्य को भी पूरा कर सकते हैं।

इसी तरह से कल एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जिला बोर्ड, नगरपालिकायें और दूसरी जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, जिनमें कि धन की कमी होती है, उनको भी कर्ज दे कर निगम की तरफ से, अगर उनकी योजनाओं को हम पूरा करा सकें तो यह एक सुन्दर चीज होगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जिला बोर्ड, जिला पंचायतें या नगरपालिकायें और इसी तरह की दूसरी संस्थाएं हैं जिनको हम ले सकते हैं। वह जितना काम करना चाहती हैं, और जितना उनके पास अधिकार क्षेत्र है, उससे पूरा करने के लिये उनके पास धन नहीं होता है। करों आदि से जो आमदनी होती है उसमें से अधिकतर केन्द्र या राज्यों को चली जाती है। करों का क्षेत्र भी उनके पास इतना नहीं रहता है जिससे वह ज्यादा रुपया पैदा कर सकें, और इसलिये उनकी जो आवश्यक योजनायें होती हैं वे भी टल जाती हैं धन की कमी की वजह से। चूंकि यह अर्ध सरकारी संस्थायें हैं इसलिये उनको जो कर्ज दिया जायेगा उसमें रुपया मारे जाने का खतरा नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन संस्थाओं की जो योजनायें देश के हित में हों, उनको पूरा करने के लिये निगम की तरफ से रुपया दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक और माननीय सदस्य की तरफ से सुझाव दिया गया कि सारे देश के लिये जो निगम को एक ही इकाई है उसे तोड़ कर पांच, छः इकाइयां कर दी जायें, पांच, छः जीवन बीमा निगम कर दिये जाएं विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि राज्यों में बीमा निगम कायम हों तो इस तरह से उनके क्षेत्र का भी विकेन्द्रीकरण हो जायेगा और निगम का कार्य भी अच्छी

तरह हो सकेगा। जहां मैं यह चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण हो कर निगम के कार्य में सुव्यवस्था पैदा हो, उसका अच्छा इन्तजाम हो और जो गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं वह न हों, वहां मैं इस सुझाव का विरोध करूंगा कि किसी तरह से निगम को फिर तोड़ने की कोशिश की जाए। मैं जानता हूं कि २४० बीमा कम्पनियों को इकट्ठा करने में कितनी दिक्कत हुई और जब वे आज इकट्ठी हो गई हैं तो उनको फिर तोड़ कर राज्य स्तर पर ले जाना या क्षेत्रीय स्तर पर निगम का बटवारा करना देश के हित में नहीं है और बीमे के कार्य के लिये भी अच्छा नहीं होगा। इससे हम फिर कुछ दूसरी तरह की प्र ृत्तियों की तरफ जा सकते हैं जिनसे देश को नुकसान हो सकता है। मैं चाहूंगा कि निगम के कार्य में जो गलतियां हैं, कमियां हैं उनको दूर किया जाए। इसलिये यह कोशिश की जाए कि जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, जो घबरा रहे हैं कि हम शहर के लोगों के लिये ही कुछ करते हैं, उनकी इन भावनाओं को दूर किया जाए। वह सोचते हैं कि बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर के लोगों के फायदे के लिये निगम जनता का पैसा खर्च करता है। आज अगर लोगों के अन्दर यह दुर्भावनाएं हैं, लोगों के दिमाग के अन्दर गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करने के लिये निगम को पिछड़े क्षेत्रों की दशा को सुधारने के लिये ज्यादा से ज्यादा धन देना चाहिये। उसको उनमें अपनी पूंजी लगानी चाहिये लेकिन निगम का बटवारा करके, या उसे तोड़-फोड़ करके, चार, पांच इकाइयां कायम करके, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर निगम को कायम करके जिस उद्देश्य को माननीय सदस्य पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा, इससे तो उल्टी हानि ही हो सकती है। इस मामले में सरकार को बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करे और जो गलतफहमियां फैल गई हैं और जो इस तरह का विचार बन गया है उसको दूर करने के लिये जो पिछड़े क्षेत्र हैं और जहां पर धन की कमी है, वहां पर निगम अपनी पूंजी लगाये या जो ऐसे कार्य हैं जो जनता के हित में हैं और सम्पत्ति के अभाव में पूरे नहीं किये जा सकते उनकी ओर आम तौर से निगम ध्यान दे और उन में अपना रुपया लगाये। मैं समझता हूं कि जो गलतफहमियां हैं, जिनकी वजह से माननीय सदस्यों को यह सुझाव देना पड़ता है कि निगम को तोड़ कर उसकी इकाइयां राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जायें, वह इस तरह से दूर हो जायेंगी यदि निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी जाए कि निगम का कार्य किसी विशेष क्षेत्र के लिये या किसी विशेष हित के लिये नहीं है। निगम का कार्य सारे देश की जनता के लिये है, उसका धन जो खर्च होता है वह सारे देश की जनता के लिये है। मैं समझता हूं कि स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी जायेगी कि जो काम निगम को तोड़ कर या अलग अलग यूनिटें कायम करके अच्छी तरह किया जा सकता है उस काम को एक निगम द्वारा भी वैसे ही किया जायेगा। इसके बाद किसी भी तरफ से ऐसी मांग नहीं आयेगी कि उसको तोड़ कर राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर यूनिटें बना कर काम किया जाए। इसलिये इस काम को हम आगे बढ़ायें। इस तरह पर काम न करें बीमा कम्पनियां कि लोगों में यह भावना किसी तरह आ जाय कि बीमा निगम जिस तरह से यूनिटें बना कर काम कर रहा है और काम को आगे बढ़ा रहा है, उसमें अति केन्द्रीकरण आ गया है, ओवरसेन्ट्रलाइजेशन की भावना आ गई है। इस सम्बन्ध में एक यूनिट को कायम रखते हुये, इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुये भी विकेन्द्रीकरण को और बढ़ाना चाहिये। मेरा विश्वास है कि यदि सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी और वे समझेंगे कि हमारे पास पालिसीहोल्डर्स का जो रुपया ट्रस्ट के रूप में आता है वह इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो लोगों के रुपये की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुये हम देश के जो उत्थान की योजना है, विकास की योजना है उसको पूरा करने में योग दे सकेंगे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस वक्त यह राष्ट्रीयकरण किया गया था बीमा कम्पनियों का, उसका एक उद्देश्य यह भी था, कम से कम मांग हमेशा से यह की

[श्री ब्रजराज सिंह]

जाती रही है थी, कि बीमे के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह होगा कि उससे हम राष्ट्र के उत्थान में या पंचवर्षीय योजना में योग देने में सफल हो सकेंगे ।

जब किसी तरफ से यह आवाज उठाई जाती है कि इस निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि धन की सुरक्षा ज्यादा रहे और योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उस रुपये को न लगाएं तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि योजना के उद्देश्यों को मुख्य रूप से पूरा करने के लिये जीवन बीमा का रुपया लगाया जाना चाहिये ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर मध्य) : जीवन बीमा निगम की पूंजी को लगाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने नई नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है । मैं इस वक्तव्य की कुछ बातों का स्वागत करता हूं यथा धारा २७क का लागू करना और दूसरे यह कि निगम अब किसी समवाय में ३० प्रतिशत या उससे भी अधिक अंश खरीद सकता है ।

तथापि वक्तव्य में कुछ अन्य बातें भी कही गई हैं जो अनुचित हैं । पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त भी जीवन बीमा निगम का कार्य उन्हीं लोगों के हाथों में दिया गया है जो राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे । वे निहित स्वार्थ वाले लोग हैं यही कारण है कि उनके हाथों में काम सौंपने पर ऐसी ही बातें पैदा होंगी जो कि पिछले वर्ष हुईं थीं । ये लोग कभी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते हैं ।

वस्तुतः हमने जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण ही इस सिद्धान्त पर किया है कि इसकी पूंजी राष्ट्रीय विकास कार्यों में सहायक होगी । अतः यह सोचना गलत है कि राष्ट्रीय विकास के कार्यों में पूंजी लगाना अंशधारियों के हित के विरुद्ध होगा । वस्तुतः जब किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो उस उद्योग की सुरक्षा राज्य की सुरक्षा के साथ चलती है । जब तक राष्ट्र या देश सुरक्षित है समृद्धिशाली है उद्योग को हानि नहीं हो सकती है इसलिये हमें चाहिये कि हम सरकारी क्षेत्र के विकास में अधिकतम रुपये लगायें । हमारी विनियोग नीति का मुख्य सिद्धान्त ही यह होना चाहिये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि 'जेसप' के सारे अंश खरीद लिये जाएं । यह बहुत लाभदायक सौदा है अतः इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाए ।

जीवन बीमा निगम ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है । किन्तु कारपोरेशन के अधीन एक मिल बन्द हो गई है और ३००० व्यक्ति बेकार हो गये हैं । जीवन बीमा निगम को चाहिये कि वह विनियोजन के पश्चात् भी जागरूक रहे और सुप्रबन्ध की ओर यथोचित ध्यान देवे ।

वित्त मंत्रालय को चाहिये कि वह सभा-पटल पर एक विस्तृत विवरण रखे जिससे यह स्पष्ट ज्ञात हो कि यह नीति किस प्रकार क्रियान्वित की जा रही है । विवरण में उन समस्त उपक्रमों के नाम, उनके अंशों का प्रतिशत तथा उनके लाभ की राशि का पृथक विवरण दिया जाएं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण करने की नीति अपनाई जा रही है। यदि ऐसा किया भी जा रहा है तो क्या हानि है। उदाहरणार्थ 'जेसप' को जो भी लाभ हुआ है वह सब सरकारी आर्डरों के बल पर हुआ है। भारत के विकास तथा पंचवर्षीय योजना के उपयोग के लिये जिन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है उसका लाभ यदि सरकार को ही मिले और अन्य पूंजीपतियों को न मिले तो इसमें क्या हानि है। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि सरकार को इस उपक्रम के सब अंश खरीद लेने चाहिये लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सभा के सदस्यों से निर्मित प्राक्कलन समिति ने यह सुझाव दिया है कि तेल शोधनशालायें इत्यादि गैर सरकारी समवायों को दी जा सकती हैं। क्या यह विचार राष्ट्रीयकरण के प्रतिकूल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्राक्कलन समिति का कार्य यह है कि वह सभा द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार प्राक्कलनों की जांच करे और यदि वह उन्हें उचित न समझे तो वैकल्पिक नीति के सम्बन्ध में सुझाव देवे। समिति स्वयं किसी नई नीति का सुझाव नहीं दे सकती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या प्राक्कलन समिति, सभा द्वारा निर्देशित नीति के बिल्कुल प्रतिकूल नीति की भी सिफारिश कर सकती है ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी आपसे निवेदन किया कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं तथापि लोक-सभा सचिवालय ने मुझे उसमें विमति टिप्पण लगाने की अनुमति नहीं दी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डांगे प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में विमति टिप्पण लगाना चाहते थे। मैंने इस सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स के पूर्वादेशों को देखा उसमें कही भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। सदस्य का मत समिति की कार्यवाही के साथ प्रकाशित किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि प्राक्कलन समिति सभा द्वारा निर्देशित नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती है न वह किसी नवीन नीति का ही सुझाव रख सकती है। समिति केवल किसी विशेष नीति से सम्बन्धित प्राक्कलनों की जांच कर सकती है और यदि किसी विशेष नीति के अनुसार काम करने से देश को आर्थिक रूप से हानि हो रही है तो वह इसका उल्लेख कर सकती है। और वैकल्पिक सुझाव रख सकती है। समिति का बुनियादी उद्देश्य प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता बढ़ाना और यह देखना है कि धन का उचित रूप से व्यय हो। यदि समिति किसी विशेष नीति को आर्थिक दृष्टि से देश के हितों के प्रतिकूल समझती है तो वह उसके स्थान पर दूसरी नीति का सुझाव दे सकती है।

जहां तक सभा में समिति के निश्चयों के सम्बन्ध में चर्चा करने का प्रश्न है समिति के प्रतिवेदन का प्रकाशन होने पर, ऐसा किया जा सकता है तथापि सदस्यों को चाहिये कि जिस विषय पर समिति ने सावधानी से विचार करन के पश्चात् निश्चय किया है उसका सभा में सदस्य विरोध न करें। इसलिये हम समिति के निश्चयों पर चर्चा का अवसर नहीं देते हैं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि राष्ट्रीय उद्योग मितव्ययता और कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं यदि इस सम्बन्ध में प्रयत्न नहीं किया गया तो इसका घातक परिणाम हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने लोकतंत्र तथा समाजवादी ढांचे के समाज का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है अतः हम राष्ट्रीयकरण तथा निजी उद्योगों के विवाद के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम केवल इस सम्बन्ध में कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण करने के लिये क्या कदम उठाये जायें। अतः इस सम्बन्ध में, अब अग्रेतर चर्चा समाप्त कर देनी चाहिये। व्यक्तिगत रूप में मेरा यह विचार है कि प्राक्कलन समिति सदैव सही निश्चय करती है इसलिये उसके निश्चयों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : लोग अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में आशंकित हैं वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत उद्योगों को पुनः गैर-सरकारी क्षेत्र में देने का प्रयत्न जारी है। हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये।

अब मैं जीवन बीमा निगम का सट्टा बाजार के साथ सम्बन्ध पर आता हूं। इस सम्बन्ध में नई नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है नीति में कहा गया है कि निगम की नीति यह रहेगी कि घटोतरी के समय खरीद की जाय और चढ़ती के समय बेचा जाय। इससे सट्टा बाजार के मूल्यों के उतार चढ़ाव पर रोक लगेगी जिससे राष्ट्र का वथा हित होगा। मेरे समझ में यह नहीं आता है कि भला सट्टा बाजार से राष्ट्र का हित होता है यह हमारी अर्थ व्यवस्था को कोढ़ है। इसे यथाशीघ्र दूर कर देना चाहिये। वस्तुतः उतार चढ़ाव को रोकने की नीति से ही पिछले वर्ष मामला खड़ा हुआ था।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि निगम को अपने कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था भी करनी चाहिये। उन्हें अपनी पूंजी का कुछ अंश इस कार्य के लिये भी लगाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् जीवन बीमा निगम को भूमि के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिनके विकास के लिये उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग खोला है उन्हें चाहिये कि वे गृह-निर्माण विभाग की भी स्थापना करें।

अतः मेरा निवेदन है कि जीवन बीमा निगम की नीति इस सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुरूप नहीं है और सहे बाजार में पूंजी लगाने की नीति भी घातक है। मैं वित्त मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि वे उन सब समवायों या सम्पत्तियों की सूची सभा-पटल पर रखें जहां निगम ने पूंजी लगाई है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन उपक्रमों के अंश निगम द्वारा खरीदे जाते हैं उनके प्रबन्ध के सम्बन्ध में निगम की क्या नीति है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : हम उन उपक्रमों के प्रबन्ध में तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि पूंजी की सुरक्षा के हित में इसे आवश्यक नहीं समझा जाता है।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: यह वाद-विवाद दो दिनों तक चला है और इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि जीवन बीमा निगम सम्बन्धी विनियोजन नीति का सभा पर्याप्त समर्थन करती है। साम्यवादी दल के नेता की असंतुष्टि की आवाज भी अर्धमनस्क सी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि थोड़े संशोधन कर लिये जायें तो नीति ठीक हो जायेगी। अतः उन्होंने अधिकतर

---

†मूल अंग्रेजी में

अ-राष्ट्रीयकरण की समस्या पर ही कुछेक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि निगम के विनियोजन के फलस्वरूप अ-राष्ट्रीयकरण होता जा रहा है। वे इस बात को सिद्ध नहीं कर सके।

उसके पश्चात् उन्होंने प्राक्कलन समिति का उल्लेख किया। खैर मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह माना कि इस निगम के विनियोजन की नीति के फलस्वरूप अ-राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मेरा तो यही अनुमान है और सभा का अनुमान भी यही है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे इस बात से संतोष है कि सारा वाद-विवाद रचनात्मक रहा है।

माननीय डा० कृष्णास्वामी ने पूछा कि सरकार निगम की गत दो वर्षों की विनियोजित धन राशि का भौगोलिक विवरण सभा को बताये। इसे संकलित करना पड़ेगा और मैं आश्वासन देता हूं कि हम शीघ्रातिशीघ्र जानकारी सभा के समक्ष रख देंगे। उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि निगम के विनियोजनों की छः मासिक जानकारी एक विवरण द्वारा दी जानी चाहिये। इस पर भी विचार किया जायेगा।

दूसरा सुझाव यह था कि स्थानीय परामर्शदात्री निकायों को निगम की सहायतार्थ बनाया जाय और उन पर विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व किया जाये। इसी तरह दूसरा सुझाव यह था कि वर्तमान विनियोजन समिति को और भी व्यापक बनाया जाये। क्योंकि, कहा गया, कि वर्तमान समितियों में सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्हें देश की पूंजी स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है। इन सुझावों पर भी विचार किया जायेगा।

दूसरी बात थी जीवन बीमा निगम के विनियोजनों की विभिन्नता की समस्या। नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी यह कहा गया है कि कोई भी कार्य करने का तरीका संकीर्ण नहीं होना चाहिये। अब तो केवल इसे क्रियान्वित करने का ही तो प्रश्न है। आज भी निगम का विनियोजन अनेक समवायों में है। सभी महत्वपूर्ण उद्योगों में पूंजी का विनियोजन किया जाता है। इस बात पर विचार करना है कि विनियोजन किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। निगम के विभिन्न वर्ग हैं और एक बात यह कही गई कि एक वर्ग से जितना धन इकट्ठा हो वह वहीं लगा दिया जाये। यह तरीका तो इतना वांछनीय नहीं है किन्तु यह बात ठीक है कि धन का विनियोजन सभी क्षेत्रों में हो। निगम को तो ठोस आधार पर ही विनियोजन करना पड़ता है। अतः किसी भी वर्ग में धन विनियोजन के लिए पहली शर्त यह है कि विनियोजन ठोस चीज पर हो और वह धारा २७-क के उपबन्धों के अनुसार हो। यह स्वीकृत प्रत्याभूतियां हैं तो विभिन्नता के प्रश्न पर निश्चित रूप से ही विचार किया जा सकता है।

इसके पश्चात् श्री अशोक मेहता ने विभिन्न वर्गों में विनियोजन की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभूतियों में विनियोजन गिर गया है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में है बढ़गया है। सरकारी क्षेत्र में विनियोजन दिखाने वाला एक विवरण मेरे पास है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व हमारे हां कुछ विदेशी समवाय थे और उनके कतिपय विनियोजन भी विदेशों में ही थे। आज सरकारी क्षेत्र में भारत में (३०-९-१९५८) विनियोजन २७३.१८ करोड़ हैं अर्थात् ७०.१ प्रतिशत जो कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व भारत में विनियोजित राशि से ५१ प्रतिशत अधिक है। विदेशों में विनियोजन की राशि कम हो गई हैं क्योंकि बहुत सी विदेशी कम्पनियां अब विद्यमान ही नहीं हैं। वह १२.०९ करोड़ से कम हो कर ७.०३ करोड़ तक हो गई है। इससे सरकारी क्षेत्र में कुल प्रतिशत कम हुआ है। इससे वास्तविक

[श्री ब० रा० भगत]

बात की जानकारी नहीं होती । जहां तक भारत का सम्बन्ध है वहां तो सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की वृद्धि ही हुई है ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार यह ५० प्रतिशत होना चाहिये । क्या यह कभी भी ७० प्रतिशत से कम न होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं भविष्य के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता । मैं तो इस गलत धारणा को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था । सार्जनिक क्षेत्र में कोई कमी नहीं हुई है । यह बड़ी सरल सी बात थी ।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि निगम को मकानों इत्यादि में धन का विनियोजन करना चाहिये । श्री अशोक मेहता ने कहा कि अन्य देशों में ऐसे निगम मकानों पर पूंजी लगाते हैं । पहले समवायों को यह दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हुआ था और उन्हें मुकदमेबाजी में फंसना पड़ा । अब भी ३४३५ गिरवी ऋण हैं जिनकी राशि १३$^{1}/_{2}$ करोड़ हैं और इस सम्बन्ध में अब तक ४०० मुकदमे चल चुके हैं । हो सकता है वसूली के लिये २०० और दायर करने पड़ें । यह बात तो नहीं कि निगम सैद्धान्तिक रूप से इनके विरुद्ध है । किन्तु मकानों की तंगी को देखते हुए हम निगम को कहेंगे कि वह इस पहलू पर भी विचार करे ।

†**श्री विमल घोष** : अस्थायी प्रबन्धक निदेशक का यह पत्र आया है कि ये रहन अब नीति के आधार पर ही बन्द कर दिये गये हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : केवल वर्तमान के लिये । हम निगम को इस बात पर भी पुनर्विचार करने के लिये कहेंगे ।

श्री बिमल घोष, रामेश्वर टांटिया इत्यादि ने निगम के सभांशों के धारण के प्रतिशत को १० से ३० प्रतिशत करने के औचित्य के बारे में कहा है । उन्होंने अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण की आशंका भी प्रकट की है । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस पर उत्तर देते समय प्रकाश डालेंगे । प्रधान मंत्री तो कह ही चुके हैं कि वे अप्रत्यक्ष उपायों के विरुद्ध हैं । वर्तमान सरकार अप्रत्यक्ष बातों में तो विश्वास ही नहीं रखती । यदि राष्ट्रीयकरण करना होगा तो सभा के समक्ष ही सारी बातें रखी जायेंगी । किन्तु वह दूसरा तथ्य तो है ही कि धारा २७ क में तनिक परिवर्तन अथवा रूपभेद किया गया । पहले तो यह वृद्धि जीवन बीमा निगम के उत्तराधिकार के कारण की गई । २४० से अधिक समवायों के साथ निगम के पास अचानक ही उससे अधिक वृद्धि हो गई । दूसरे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में निधियों का प्रवाह कम किया जाये । समवायों के राष्ट्रीयकरण के समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उतनी राशि तो मिलती ही रहेगी जितनी कि अब प्राप्त है । यदि यह प्रतिशत १० ही रखा जाये अथवा ३० से कम रखा जाये तो निगम के धारण अनेक समवायों में कम हो जायें और फिर विनियोजन के लिए कम पूंजी उपलब्ध हो । अतः यह वृद्धि उचित समझी गयी ।

इन शब्दों के साथ मैं सदस्यों को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री महंती (ढेंकानल) : जीवन बीमा निगम को पूंजी के विनियोजन के बारे में नीति न होने से देश में मंत्री स्तर की दुर्घटना हुई । वास्तव में यह निगम २४० प्राइवेट समवायों को वित्त-पोषित करती है । अतः विनियोजन की नीति अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

मैं माननीय मंत्री की स्थिति उस जादूगर की सी समझता हूं जो कि लैम्प रगड़ कर जिन्न बुलाना चाहता हो परन्तु जिन्न आता ही न हो ।

कहा जाता है कि १९३८ के अधिनियम की धारा २७-क परीक्षा में सफल रही है । यह कैसे कहा जाय एक तो मंत्री इसने लिया और इतनी बदनामी भी हुई । इस से स्पष्ट होता है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के सफल संचालन में पूर्णतया असमर्थ है ।

आज से कुछ समय पूर्व भी यहां कहा गया था कि निगम अधिनियम में धारा २७-क को लगा देना चाहिये किन्तु कुछ न हुआ । बड़ी भारी देर लग गई है । प्रधान मंत्री ने भी इस सम्बध में आश्वासन दिया और तब भी यहां अधिसूचना को सभा-पटल पर रखे जाने के लिये पूरे १० महीने लगे ।

अब ५० प्रतिशत राशि तो सरकारी काम में लगाई जायेगी, ३५ प्रतिशत मान्य कार्यों में तथा १५ प्रतिशत अन्य विनियोजनों में । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि "अन्य विनियोजनों" से उनका क्या अभिप्राय है । अगर देखा जाये तो १५ प्रतिशत की राशि थोड़ी नहीं होती ।

इस अधिनियम के अंतर्गत एक लेखापाल अतिरेक को देखेगा और संभवतया वह अतिरेक ५ प्रतिशत तक हुआ करेगा किन्तु यहां इस बात का तनिक भी उल्लेख नहीं है ।

पहली समवायें इस प्रकार की कार्यकारी पूंजी को आसानी से वसूल होने वाले कार्यों पर लगा देती थीं । इस कारण मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह जीवन बीमा निगम भी कार्यकारी पूंजी को कभी विनियोजित करेगा या नहीं । अतिरेक तथा कार्यकारी पूंजी के बारे में यहां कुछ भी नहीं बताया गया है । अधिनियम में यह त्रुटि है । सरकार को यह सारी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट करनी चाहिये । यह भी नहीं पता कि सरकार इस १५ प्रतिशत राशि का प्रयोग किस नीति से करेगी ?

†श्री मुरारका (झुंझनू) : धारा २८ का विनियोजन निधि से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मुझे माननीय सदस्य की बातों पर ही बड़ी हैरानी हो रही है । ५ प्रतिशत अंशधारियों में बंट जाया करेगा । इसका विनियोजन से क्या सम्बन्ध है ।

†श्री महन्ती : विनियोजन योग्य प्रतिशत तो ८५ है । शेष १५ प्रतिशत का क्या होगा ? सरकार ५ प्रतिशत नहीं ले सकती वह राशि तो लगानी पड़ेगी । यदि माननीय सदस्य धारा २८ को पढ़ें तो विदित हो जायेगा कि यह सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के सिद्धान्तों का निर्धारण करे कि किस प्रकार राशि का विनियोजन हो ।

यह ठीक है कि निगम को अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहनी चाहिये किंतु यह विचार-धारा ही व्यर्थ है ।

निगम को अपनी नीतियों का निर्धारण इस नीति से करना चाहिये जो कि पूर्ण देशहित की भावना से हो । सरकार को उन सब त्रुटियों को भी दूर कर देना चाहिये जो स विधेयक में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नथवानी** (सोरठ): यद्यपि मैं इस नीति का समर्थन करूंगा किन्तु मैं यह नहीं मानता कि यह नवीन नीति है। यह नीति वही है जो कि भूत-पूर्व वित्त मंत्री ने उस समय बताई थी जब कि बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि विनियोजन के प्रश्न पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। एक तो परम्परागत पद्धति से और दूसरे समाजवादी ढंग से। उन्होंने यह भी कहा कि हमें समाजवादी दृष्टिकोण से ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

श्री डांगे ने कहा कि स्टाक एक्सचेंजों की कार्यवाही ही समाप्त करने के लिये विनियोजन का निर्देशन होना चाहिये। खैर यद्यपि उन्होंने यह प्रत्यक्ष न कहा हो किन्तु उनका कथन था कि विनियोजन बाजार के स्थायित्व के लिये इस निगम को करना ही नहीं चाहिये।

यहां हमें पहले तो इस बात को ही स्मरण रखना चाहिये कि यदि हम समाजवादी ढंग से चलें तो अंशधारियों को लाभ नहीं होगा और लोग बीमा कराना बंद कर देंगे। अंशधारियों को यदि लाभ प्राप्त न होगा तब प्रेरणा कहां से मिलेगी।

मैं तो समझता हूं कि हम परम्परागत तथा समाजवादी दोनों तरीकों का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इन दोनों बातों में कोई विरोधी तत्वों का अस्तित्व नहीं है।

हमारे वित्त मंत्री ने राष्ट्रीयकरण के समय कहा था कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह है कि देश में बचत अधिक होने लगे और निधियों का उचित उपयोग किया जा सके। अतः हमें अब यही देखना है कि इस समवाय का विनियोजन देश हित के लिये ही हो। बीमे का लाभ औद्योगिक तथा कृषि मजूरों को भी तो मिलना चाहिये। यह राष्ट्रीयकरण ही द्वितीय योजना की आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था।

विनियोजन के तरीके से कार्य विस्तार तथा मूल्याधिक्य की भी पर्याप्त गुंजाइश है।

जहां तक ३० प्रतिशत की सीमा का प्रश्न है मैं तो उसे भी अधिक ही समझता हूँ। आप एक तिहाई भाग में रुचि रखकर अलग कैसे रह सकते हैं। अब निगम इससे कितने ही ऋणपत्र खरीद सकेगी इस लिये निगम सरकार को बताये बिना ही अधिक रुचि हस्तगत कर सकती है। यदि यह बात नहीं है तो सरकार को इसको स्पष्टतया कहना चाहिये।

श्री अशोक मेहता ने यह भी कहा कि छोटी बचतों के विरुद्ध भी सरकार मतभेद कर रही है। वास्तव में बीमा में डाकखाने की बचतों के वास्तविक स्वरूप में ही मौखिक अन्तर है। बीमा लोग अलग कारण से ही कराते हैं। भविष्यनिधियों के आधार ही अलग होते हैं। अतः इन दोनों चीजों की तुलना ही नहीं हो सकती।

यह बात मैं ठीक समझता हूं कि निगम को क्षेत्रवार विनियोजन अवश्य ही करना चाहिये। आवंटन न्यायोचित होना चाहिये क्योंकि विकास सारे ही क्षेत्रों का होना आवश्यक है।

यद्यपि जोखिम तो विनियोजन में रहता है किन्तु प्रबन्धकों को विनियमों का प्रवर्तन भी ठीक ढंग से ही करना चाहिये ताकि यथासंभव ढंग से कार्य ठीक चले।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को समिति में भी ऐसे व्यक्ति लाने चाहिये जिनका अनुभव अधिक हो। वही लोग ठीक कार्य कर सकते हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें बताया जाय कि इस निगम की निधि से द्वितीय योजना को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा रहा है।

यदि सामान्य अंशों में १० प्रतिशत विनियोजन की मात्रा बढ़ाई जानी है तो सरकार को नामनिर्देशकों द्वारा के मतदान के लिये नियम भी बनाने चाहिये।

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना): श्रीमान् जीवन बीमा निगम की विनियोग नीति के बारे में इस सभा की सामान्य मूल भूत सहमति है। इस नीति के दो आधार हैं। एक बीमा पत्र–धारियों के हितों की सुरक्षा तथा दूसरे देश का सामूहिक कल्याण। कुछ लोगों ने यह आशंका प्रकट की है कि अगर इन दोनों उद्देश्य में कहीं विरोध उठ खड़ा हुआ तो निगम किस नीति का अनुसरण करेगा। मैं समझता हूं यह आशंका सर्वथा निर्मूल हैं। राष्ट्रीय–करण के पश्चात् अब बीमा पत्र-धारियों का धन बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। कवल यह प्रश्न रह जाता है कि इस का कैसे उचित उपयोग किया जाय। मैं समझता हूं सामूहिक कल्याण और समाजवादी ढंग का समाज बनाने की नीति के अनुकूल ही इस धनराशि का उपयोग होना चाहिये।

एक सुझाव यह रखा गया है कि इस निगम को खंडीय निगमों में बांट देना चाहिये और प्रत्येक निगम अपने अपने खंड में विनियोजन करे। इस संबंध में मैं यह और कहना चाहता हूं कि निगम का संचालन चाहे किसी भी आधार पर क्यों न हो उसे पिछड़े क्षेत्रों व उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था का शीघ्रता से विकास हो सके।

निगम को भारी उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों दोनों का साथ-साथ ध्यान रखना चाहिये इसी प्रकार इसे विनियोग करते समय उद्योगों और कृषि दोनों का समान ध्यान रखना चाहिये। निगम को परम तथा अनुमोदित प्रति भूतियों के साथ साथ ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों में भी रुपया लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये। हमें भूमि बंधक बैंकों में रुपया लगाना चाहिये। उनमें लगाया गया रुपया भी उतना ही सुरक्षित है जितना की किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में। गांवों और शहरों के लोगों की आय में विशाल अन्तर को दूर करने के लिये निगम को गांवों में प्रत्यय पर रुपया देने वाली संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये जिसकी निगम आज तक अपेक्षा करता आया है। गांवों में रुपये की कमी के कारण बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। उस ओर रुपया लगाने से हम देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गांवों के लोगों की आय बढ़ने से अधिकाधिक लोग बीमा कराने के लिये आगे बढ़ेंगे इससे निगम का कारोबार गांवों में भी बहुत बढ़ सकता है। इसी प्रकार गांवों की अनेक समस्याएं सुलझाने के लिये निगम को सामुदायिक खंडों में भी कुछ रुपया लगाना चाहिये। इस प्रकार के ऋणों के लिये वह राज्य सरकार से आवश्यक प्रतिभूति मांग सकती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सुझावों पर सम्यक विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, जिस नीति पत्र को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो नीति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

पत्र रखा गया है उस से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई विशेष संशोधन किये गये हैं, हां कुछ छोटे छोटे संशोधन अवश्य किये गये हैं। परन्तु उस सारे को आद्योपांत अगर ध्यान में रखा जाय तो पता चलेगा कि लाइफ इंनश्योरेंस कारपोरेशन की पूंजी लगाने की जो नीति है वह नीति काफी रक्षा पा जाती है, ऐसा मेरा ख्याल है।

मैं दो चार बातें उस सम्बध में इस सदन के सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय उन पर ध्यान दें। मैं यह भी चाहूंगा कि जो विचार यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये हैं उन के बारे में भी माननीय मंत्री जी अपने विचार बतायें और जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करें ताकि मुझे यह संतोष हो कि जो नीतिपत्र सामने आया है वह पहले के मुकाबले में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और पहले के मुकाबले में और अधिक देशवासियों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

एक चीज जो मैं देख रहा हूं यह है कि हमें कुछ ऐसा संतोष होता जा रहा है कि जब से हमने बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया है तब से हम हर चीज को जो इस से संबंधित, है अच्छी तरह से निभा रहे हैं। परन्तु हमारे सामने कुछ इस तरह के आंकड़ें या इस तरह का मामला नहीं आता है जिस से हम यह अंदाजा कर सकें कि पहले के मुकाबले में हम कितना आगे बढ़े हैं या कि पीछे हटे हैं। यह कह देना कि पिछले वर्षों के मुकाबले में हमने ज्यादा बिजिनेस किया है या २४० के करीब कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके हम ने उस विधान की धारा का पालन किया है जिस में यह कहा गया था कि अगर यह देखा जायगा कि बहुत सारी कम्पनियां उस के मुताबिक काम नहीं करती हैं या उनमें बहुत सी खराबियां पैदा हो गई हैं और उन में जो लोगों का रुपया लगा है उसका सदुपयोग नहीं होता है तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है काफी नहीं है। आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो रुपया उन सब कम्पनियों का उस वक्त मौजूद था, जिस तरह से वह लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने लगाया था और जिस तरह से हमने लगाया है, आज उस सब की क्या अवस्था है, आया वह अच्छी है या नहीं है, यह हमें पता चलना चाहिये। आज हमें कोई आंकड़े नजर नहीं आते हैं कि उस इनवैस्टमेंट पालिसी में जो खराबियां थीं और जिन को दूर करने के लिये हमने राष्ट्रीयकरण किया है, उसके बाद से हमने जो रुपया लगाया है उस में हमें क्या तरक्की दिखाई देती है क्या उन्नति दिखाई देती है, क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सदन को समय समय पर आंकड़ों द्वारा बताया जाना चाहिये, इतला दी जानी चाहिये कि जिस से यह जाहिर हो सके कि जो कम्पनियां पूंजी को ठीक ढंग से नहीं लगाती थीं या गलत तरीके से लगाती थी और उन में बहुत सारे नुकसानात होते थे जिन के कारण राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद से उन कम्पनियों के तमाम रुपये का क्या हाल है, टोटल पूंजी का क्या हाल है। अगर यह इत्तिला हम को दी जाती रहे तो हमें पता चलता रह सकता है कि राष्ट्रीकरण के बाद से हम कहां तक आगे बढ़े हैं।

यहां पर कहा गया है कि हमारे पास जो रुपया आता है उसका हम इंडिबिजुअल मार्टगेजिस के अन्दर इस्तेमाल करें। इस में जो खराबियां हैं या जो तकलीफें हैं, उनकी तरफ हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने हमारा ध्यान खींचा है और जो कुछ इस बारे में उन्होंने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक व्यक्तिगत मार्टगेजिस का ताल्लुक है हमारे मुल्क में वह बहुत कामयाब नहीं हो सकता है। उसका नतीजा यह होता है कि बहुत सारा लिटिगेशन बढ़ जाता है और जो आमदनी की आशा होती है वह आमदनी नहीं होती है और नुकसानात हो जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह

इरादा बेहतर होगा कि इस तजबीज को अमल में लाया जाए कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर एल० आई० सी० का जो रुपया है उस रुपये को कुछ हाउसिंग बोर्डस क्रिएट करके जो कि आटोनोमस यह स्टेचुटरी हाउसिंग बोर्ड हो सकते हैं, एक परसेंटेज बेसिस पर उनके हाथ में रख दिया जाए और वे सारे काम को करें और लिटिगेशन इत्यादि से वे ही निपटें और हमारा केवल इसी बात से ताल्लुक रहे कि हमें उस रुपये पर ब्याज या रिटर्न ही मिले, वह सुरक्षित रहे तो शायद यह ज्यादा कारगर हो सकता है, ज्यादा मुफीद हो सकता है, ज्यादा लाभदायक हो सकता है । यह चीज़ हो या न हो लेकिन मैं इस बात का जरूर समर्थन करता हूं कि एल० आई० सी० का जो इनवैस्टमेंट है उसका कुछ भाग इस काम की तरफ भी लगना चाहिये क्योंकि पहले जो कम्पनियां थी वे भी इस तरफ ध्यान दिया करती थीं और उस से बहुत कुछ राहत भी मिल जाती थी आम लोगों को अर्बन एरियाज़ में हमने इसको किया था और शायद रूरल एरियाज़ में अभी तक हमने इसको नहीं किया है । उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए और रूलर एरियाज़ वाली बात भी देखने वाली है ।

यहां पर यह भी कहा गया है कि हमारी नीति के अन्दर इस बात का खयाल रखा जाता है कि जो रुपया आता है उसे हम रिजनल बेसिस पर खर्च करें, उसका डाइवरसिफिकेशन हो । मैं समझता हूं कि अगर एक कमेटी आपकी केन्द्र में रहती है और वह सारे हिन्दुस्तान की इनवैस्टमेंट से ताल्लुक रखती है तो उस कमेटी का ध्यान सभी रिजंस की तरफ उतना नहीं रहता है जितना कि रहना चाहिये । अगर हम कोई ऐसा तरीका अखत्यार करें कि इस कमेटी के मातहत हर जोंस के पीछे हम एक इनवैस्टमेंट कमेटी बना दें और उस कमेटी का काम हो कि जो इस किस्म के इदारे हैं या जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं कि जिन के ज़रिये हम रुपये की रक्षा करते हुए कुछ उसकी इनवैस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, उसकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, या प्राफिटस को बढ़ा सकते हैं, तो उन्हें बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिये । ये जो डिफ्रेंट इनवैस्टमेंट कमेटीज़ हैं उनको हम कुछ परसेंटेज तक के लिए पूरे अखत्यारात दे सकते हैं और बाकी परसेंटेज के लिए हम कह सकते हैं कि जो सैंट्रल कमेटी है, वह उसको करे । यह भी हो सकता है कि वे कमेटीज जो भी करें वे सब काम सबजैक्ट टू दी एप्रूवल आफ रिजनल कमेटीज या सैंट्रल कमेटी हों । मैं समझता हूं कि इस बात की सख्त जरूरत है कि जो रुपया जिस जिस इलाके से आता है, उस इलाके के लोगों की हालत को सुधारने के लिये या सोशल एडवांसमेंट के लिए उस रुपये को हम खर्च करें । इस में शक नहीं है कि खर्च करते समय हमको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा रुपया रक्षित रहे और जो बचत हो वह ऐसी हो जिसे कि हम प्राफिटेबल कह सकें, एनकरेजिंग कह सकें ।

आज कल गवर्नमेंट लोंस और डिबेंचर्स इत्यादि में रुपया लगाने की भी पालिसी चालू है । मैं समझता हूं कि इस बारे में अभी तक किसी यूनिफार्म नीति पर नहीं चला जा रहा है । चूंकि कमेटी कलकत्ता बम्बई इत्यादि के अन्दर रहती है इसलिये वहां पर जो लोंस फ्लोट किये जाते हैं उन्हीं में अधिकतर रुपया लग जाता है । यह इस लिये भी हो सकता है कि वहां पर कमेटी का ज्यादा असर होता है । लेकिन जहां तक दूसरी गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है, वहां पर ऐसा नहीं होता है । आज जबकि हम सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस चीज को फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट भी इससे फायदा उठाये तो मैं समझता हूं कि अगर इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाए और उन गवर्नमेंटों के लोंस में भी रुपया लगाया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं होगी । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंटों के लोंस में सबस्क्राइब करने की हमारी एक यूनिफार्म पालिसी हो । साथ-साथ जिस इलाके में जितना

[श्री राधा रमण]

काम होता है उस इलाके की गवर्नमेंट को भी सहायता पहुंचाने का मौका हमें मिलता रहना चाहिये ।

यहां पर बार बार यह बात कही गई है कि सोशल एडवांसमेंट में हमको ज्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहिये और यह बताया गया है कि ३० परसेंट इक्विटी शेयर्स में न हो, कम हो । मैं समझता हूं कि इक्विटी शेयर्स में ३० परसेंट हो जाने में कोई हर्ज की बात नहीं है । हमारा उसूल यह है कि जिस इनवैस्टमैंट को हम समझते हैं कि उसमें हमारा रुपया सुरक्षित है, उसमें हमें ज्यादा बचत होती है, उसी में हम रुपया लगाते हैं तो इस कसौटी पर खरे उतरने वाले कामों के अन्दर रुपया लगाने में हर्ज नहीं है । अगर आज मुल्क के अन्दर ऐसे बहुत से इदारे हैं, कारखाने हैं या काम चलते हैं कि जिन में हम थोड़ा सा रुपया इनवैस्ट करें तो, हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं तो हमें जरूर उनको बढ़ावा देना चाहिये । हमें इससे भी नहीं डरना चाहिये कि अगर ३० परसेंट हम दे देंगे या जो इस कम्पनी में हम इनवैस्ट करेंगे उससे उसका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा तो हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि हम तो उस कम्पनी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें यह करना चाहिये । लेकिन हम उन्हीं कम्पनीज में इनवैस्ट करें जिन का इंतिजाम अच्छा है, मुनासिब है और जिन के अन्दर डायरेक्टरशिप्स में किसी किस्म के नुकसान होने का अंदेशा नहीं है । अगर इस बात को सामने रख कर हम चले तो यह बहुत ही मुनासिब बात होगी । आज हम मिक्स्ड इकानोमी को फालो कर रहे हैं और हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों सैक्टरों को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं और वहां पर अगर हम ३० परसेंट तक रखें जिन में बहुत सारी ऐसी कम्पनियां भी आ जाती हैं जो सैमी-गवर्नमेंट हैं, निरी गवर्नमेंट हैं या ज्वांयट स्टाक कम्पनीज हैं तो कोई हर्ज की बात मैं नहीं समझता हूं । इस नीति पत्र में भी ३० परसेंट की बात कही गई है । मैं समझता हूं कि इससे हमको फायदा होगा ।

चूंकि वक्त नहीं है इस वास्ते मैं बहुत से प्वाइंट्स को छोड़े देता हूं । जो नीति-पत्र हमारे सामने आया है उसका हमें स्वागत करना चाहिये और हमें इस बात का इंतिजार करना चाहिये कि अब तक जो हमारी इनवैस्टमेंट पालिसी में खामियां रही हैं वे आइंदा दूर होंगी, आइंदा ज्यादा जांच पड़ताल हुआ करेगी, ज्यादा विजिलेंस होगी और उसकी नीति के तौर पर हम एल० आई० सी० जो कि सब से बड़ी पूंजी वाली संस्था है और जिस के हाथ में इतना रुपया रहता है कि वह उस रुपये से बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दे सकती है उसको और आगे बढ़ा सकेंगे ।

उस रुपये कों हम ज्यादा सुरक्षित पूंजी में या सुरक्षित कामों में लगायें जिस से न सिर्फ डिविडेंड या सेविंग का बढ़ावा मिले बल्कि पालिसीहोल्डर, जो कि रुपया देता है, उस का भी यह अन्दाजा हो कि मुझे इस सारी पूंजी से इतना मुनाफा मिल रहा है, यह आउट टर्न हो रहा ह, बोनस की शक्ल में, और वह इसे और भी ज्यादा पसन्द करे । यह लोगों के अन्दर और ज्यादा मकबूल हो सके । यह हमेशा ध्यान रक्खा जाये और मुझे इस बात की आशा है कि जो पालिसी देश में रक्खी गई है उस से हमें यह नतीजे निकलते नजर आ सकेंगे ।

†श्री मोरारजी देसाई : मैं अपने उन मित्रों का आभारी हूं जन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लेकर निगम की विनियोग नीति के बारे में अपने अमूल्य सुझाव देने की कृपा की है ।

एक दो अपवादों को छोड़कर सभी सदस्यों ने विनियोग नीति का अनुमोदन ही किया है । इस बारे में सदस्यों ने कोई नये सुझाव नहीं दिये हैं । इस संबंध म जो एक दो बातें कही गई हैं उनमें भी कोई विशेष मतभेद नहीं प्रकट किया गया है । एक सदस्य ने यह कहा है कि हमें इस नीति को अधिक उत्साहवर्धक तथा सक्रिय बनाना चाहिये परन्तु उन्होंने भी इसको ऐसा बनाने के लिये कोई ठोस सुझाव नही रखा है ।

मैं यह दावा नहीं करता कि यह नीति सर्वश्रेष्ठ है तथा इसमें कोई त्रुटि नहीं है या हो सकती है । यह नीति कोई नई नीति नहीं है। हमने पिछले वर्षों में कुछ अनुभव प्राप्त किये हैं उन्हीं के आधार पर हमने स्पष्ट रूप से यह बताने का प्रयत्न किया है कि जीवन बीमा निगम इस समय किस ढंग से अपनी निधियों का विनियोग कर रहा है ।

यह बड़े हर्ष की बात है कि विनियोग नीति के उद्देश्यों के बारे में भी सभा की सामान्य सहमति है ।

अब मैं कुछ आशंकाओं और सुझावों का विस्तार से उत्तर देना चाहता हूं । एक सुझाव यह रखा गया है कि निगम को पांच पृथक निगमों में बांट देना चाहिए । इस सुझाव को अब कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह सुझाव उस समय रखा जा सकता था जब कि हम निगम की स्थापना कर रहे थे । २४० कंपनियों की सेवाओं को एक स्थान पर मिला कर अब उनको फिर से पृथक्-पृथक् निगमों में मिलाना बड़ा अव्यवहारिक है । हमने जो कुछ पहले मंजूर कर लिया है अब हमें उसी को सफल बनाना है । वर्तमान निगम के पांच खंड हैं और वे सब परस्पर प्रतिस्पर्धा के भाव से काम कर रहे हैं । इसलिये पांच पृथक् तथा स्वतंत्र निगम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । निगम के कार्य का इन्हीं खंडों में विकेन्द्रीकरण हो सकता है । हमें व्यर्थ में यह भय नहीं करना चाहिये कि एक निगम होने के कारण इस में प्रमाद व अदक्षता आ जायेगी । अन्य देशों में इस से भी कहीं बड़ी-बड़ी कंपनियां व निगम हैं । वे सब बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं ।

कुछ लोगों ने यह कहा है कि विनियोग समिति में सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधान नहीं है और इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है वे निगम के कार्यकलाप कुछ स्थानों तक ही सीमित रहते हैं । यह आशंका निर्मूल है । विनियोग समिति में कुछ विशेषज्ञ तथा अनुभवी लोग ही रखे जा सकते हैं । यह कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है । निगम में सभी क्षेत्रों के सदस्य सम्मिलित हैं और अन्ततोगत्वा सभी प्रकार के विनियोजनों के लिये उत्तरदायी हैं और निगम ही इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति करता है । इसलिये यह समिति सभी क्षेत्रों के हितों का उचित ध्यान रखती है और निगम के हाथों में बागडोर होने से इन सब क्षेत्रों के हित भली भांति सुरक्षित हैं ।

निगम को सभी क्षेत्रों में बांट कर विनियोजन करना चाहिये । यह एक ठोस सुझाव है जो सबको स्वीकार्य है । इस पर कोई मत भेद नहीं हो सकता । किन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि निगम पहले से ही अपनी निधियों का सरकारी प्रतिभूतियों, केन्द्रीय व राज्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

सरकारों तथा निगमों एवं अन्य स्थानीय निकायों को ऋण देने में सभी क्षेत्रों में विनियोजन कर रहा है । ७० प्रतिशत निधियां भारत सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की विभिन्न अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगाया गया है । इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निगम अधिकतर राशियों को पंच वर्षीय योजनाओं में लगाने का प्रयास कर रहा है ? श्री अशोक मेहता ने जो यह कहा है कि इन निधियों का सरकार की आर्थिक नीतियों व उस प्रकार के समाज के निर्माण के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये जिसको हम स्वीकार कर चुके हैं । मैं समझता हूं निगम पहले से ही इस दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर चल रहा है । यदि उसके सामने यह आदर्श न हो तो वह कभी भी लघु उद्योगों में रुपया नहीं लगा सकता है ।

एक सदस्य ने यह कहा है कि निगम कृषि के क्षेत्र में कोई विनियोजन नहीं कर रहा है । यह बात भी बिल्कुल सही नहीं है । जब कोई निगम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को ऋण देती है तब यह सरकार की सभी योजनाओं, जिनमें कृषि योजनाएं, बिजली योजनाएं तथा सिंचाई योजनाएं भी सम्मिलित हैं, के लिये विनियोजन करती है । यदि हम इस प्रकार से देखेंगे तो हमें पता चल जायेगा कि यह आशंका भी निर्मूल है ।

यह भी कहा गया है कि निगम की निधियों का मकान निर्माण की योजनाओं में भी विनियोजन किया जाना चाहिये । निगम अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनवाना चाहता है और वह आगामी पांच वर्ष में अपने ५० प्रतिशत कर्मचारियों के लिये मकान तैयार करवा लेगा । यह कार्य शुरू हो चुका है । इस के इलावा निगम ने प्रतिवर्ष मकान निर्माण सहकारी समितियों को राज्य सरकारों के द्वारा ३ करोड़ रुपया देने का निश्चय किया है । इस प्रकार निगम इस दिशा में भी उचित ध्यान दे रहा है ।

मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जहां हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम सुरक्षित स्थानों पर ही रुपया लगायें वहां हमें इस कारक को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिये कि सुरक्षा के भय के कारण निगम कुछ भी कार्य न कर सके और इसका रुपया वैसे का वैसा पड़ा रह जाये । हमें कहीं न कहीं कुछ खतरा भी मोल लेना चाहिये । इसके बिना समाज कल्याण का लक्ष्य पूरा कर सकना बड़ा कठिन है। निगम केवल मात्र लाभ की दृष्टि से ही कार्य नहीं करना चाहता, इस बारे में यह कहा गया है कि जो लोग लघु बचत योजनाओं व भविष्य निधियों में रुपया जमा करना चाहते हैं उनको निगम को लाभ सहित आयोग्य पत्र नहीं देने चाहियें । मैं समझता हूं कुछ लोग इस बात को ठीक रूप से नहीं समझ पाये हैं। सामान्य बीमापत्रधारी को लाभ सहित पालिसी में केवल २ प्रतिशत व्याज पड़ता है जब कि लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधियों में रुपया जमा करने वाले लोगों को ४ प्रतिशत के लगभग व्याज पड़ता है। इसलिये इन लोगों को लाभ मिलने पर भी दूसरी श्रेणी के लोगों से अधिक लाभ नहीं होता। इसलिये यदि कुछ भेदभाव किया गया है तो इस लघु बचत योजनाओं तथा भविष्य निधि में रुपया जमा करने वाले लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी ।

दूसरी बात और है जो लोग लाभ सहित पालिसियां लेते हैं उनको प्रीमियम भी अधिक देना पड़ता है। इस लिये ऐसे लोगों तथा अन्य लोगों में अन्तर करना कोई अनुचित बात नहीं और हम इस अन्तर को नहीं हटा सकते ।

कुछ लोगों ने यह सुझाव किया है कि ऐसी पालिसियों को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। किन्तु मैं समझता हूं लोगों को बीमा की ओर आकर्षित करने के लिये इस प्रकार की पालिसियां बड़ी आवश्यक हैं। ऐसे प्रलोभनों के बिना अधिक लोग बीमा कराने के लिये आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हम विनियोजन के लिये अधिकाधिक निधि इकट्ठी करना चाहते हैं तब हमें यह देखना होगा कि बीमा का काम भी निरन्तर बढ़ता रहे। इसके लिये हमें नई-नई किस्म की पालिसियां जारी करनी पड़ेंगी। इस तरह यह अन्तर बीमा के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है एक पक्ष को अधिक ब्याज मिल जाता है दूसरे पक्ष को लाभ मिल जाता है इसमें कोई असंगति अथवा अनौचित्य नहीं।

इसके बाद यह बात उठाई गई है कि निगम को किसी भी निजी सार्थ में ३० प्रतिशत तक राशि जमा करने की क्यों अनुमति दी गई है। एक सदस्य ने यह कहा है कि यह प्रतिशत घटा कर १० या १५ कर देनी चाहिये। इस संबंध में हमें राष्ट्रीयकरण से पूर्व बीमा कंपनियों का इतिहास देखना होगा। उस समय २४० कंपनियां थीं। कुछ कंपनियां कुल आय इस ओर लगा देती थीं और कुछ कुछ कम। कुल मिलाकर यह ३० प्रतिशत से अधिक बैठती थीं। इस लिये अब निधियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह निश्चित प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। मेरे मित्र डा० कृष्णस्वामी ने कहा है कि भविष्य के लिये इतनी ऊंची प्रतिशत रखना ठीक नहीं है किन्तु मुझे इसमें कोई भय नहीं दिखाई देता। यदि हम सरकारी क्षेत्र में कारखानों अथवा सार्थों में ३० प्रतिशत राशि का विनियोजन कर सकते हैं तब हमें स्कन्धविपणि में स्थिरता लाने के लिये निजी क्षेत्र में इतनी राशि लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह राशि कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर ही लगाई जायेगी सदा नहीं। श्री डांगे ने इस मसले पर सरकार पर काफी कीचड़ उछाला है तथा कई लांछन लगाये हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिये इस राशि से समाजवाद या समाजवादी ढंग के समाज को कैसे खतरा पैदा हो सकता है। श्री डांगे जब स्कन्ध बाजार के बारे में बोलने लगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह क्या कहने जा रहे हैं। वह परस्पर विरोधी बातें कह गये हैं। एक स्थान पर उन्होंने यह स्वीकार किया है कि निगम प्राईवेट कंपनियों के शेयर खरीद सकता है किन्तु दूसरी बार उन्होंने यह कहा है कि इस के लिये उसे स्कन्ध बाजार में नहीं जाना चाहिये। अब इस बाजार में जाये बिना कोई कंपनियों के शेयर कैसे खरीद सकता है? मुझे सन्देह है कि उन्होंने आज तक कभी किसी कंपनी का शेयर भी खरीदा है?

मुझे समझ में नहीं आता कि जब किसी कंपनी के शेयर कम भाव पर बिक रहे हों उस समय उसके शेयर खरीदने में क्या हानि है? यह उनको खरीद कर बाद में उन्हें लाभ पर बेच सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस प्रकार के सौदे उचित परामर्श और सावधानी के बाद किये जायें। इनमें लापरवाही नहीं होनी चाहिये। इसमें सट्टे बाजी का कोई सवाल नहीं उठता। निगम शेयर खरीदने के पश्चात् उनको हमेशा के लिये अपने पास नहीं रखना चाहता। वह उन्हें लाभ पर देने के लिये खरीदना चाहता है। कई बार निगम अपने पुराने शेयरों को बेच कर दूसरे प्रकार के शेयर, जिनको कि यह अधिक लाभ पर सोचेगा, रखना चाहेगा। इस सबके लिये उसे स्टाक मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिये। अतः मार्केट में स्थिरता लाने के लिये व अपनी आय बढ़ाने के लिये निगम को यह कार्य करना जरूरी है। इसे हम सट्टे बाजी नहीं कह सकते।

[श्री मोरारजी देसाई]

वास्तव में बीमा निगम का हित भी इस बात में निहित है कि शेयर-मार्केट स्थिर रहे क्योंकि सबसे अधिक शेयर बीमा निगम के पास ही होते हैं। यदि शेयर मार्केट में कोई भारी परिवर्तन होता है तो बीमा निगम को सबसे अधिक हानि पहुंच सकती है। किन्तु शायद इस में मेरे उन मित्रों को बड़ा आनन्द मिल सकता है जो हमेशा गड़बड़ियों, हड़तालों और हिंसा व मार-काट में विश्वास रखते हैं। शायद वे यह चाहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था में कभी भी स्थिरता न आये ताकि वे अपना उल्लू सीधा कर सकें। मगर सरकार देश में प्रत्येक क्षेत्र में स्थिरता तथा समृद्धि लाना चाहती है। उसकी इस नीति को देश का बच्चा-बच्चा समझता है। हमें चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हम पर चाहे कितने भी लांछन क्यों न लगाये जायें हम देश की आर्थिक समृद्धि के लिये सदा प्रयत्नशील रहेंगे और बीमा निगम की नीतियां भी सरकार की नीतियों के अनुसार समस्त जाति का सामूहिक कल्याण करने की दृष्टि से ही बनाई जायेंगी।

श्री डांगे ने यह कहा है राष्ट्रीयकृत बीमा निगम उन लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है जिनका राष्ट्रीयकरण में कोई विश्वास नहीं/मेरे समझ में नहीं आया कि इनसे उनका तात्पर्य क्या है? हमने निगम का प्रबन्ध किसी को नहीं सौंपा।

†**श्री श्री० अ० डांगे :** पुरानी विनियोजन समिति ऐसी समिति थी।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं इस समय की बात कर रहा हूं पहले समय की नहीं। हमें पुरानी बातों की रट नहीं लगाते रहना चाहिये। अब क्या स्थिति है? गढ़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ!

श्री विमल घोष ने कहा है कि जब कंपनियों में विनियोजन की सीमा ३० प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है तब बैंकिंग कंपनियों की दशा में कोई संशोधन क्यों नहीं किया गया है। शायद उन्होंने उस संशोधित धारा को नहीं देखा है जिसमें बैंकिंग कंपनियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को भी हटा दिया गया है। या वह उस धारा को गलत पढ़ गये हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि निगम को बम्बई और कलकत्ता के क्षेत्रों में ही सीमित नहीं रहना चाहिये। निगम की निधियों का वितरण केवल क्षेत्रों के हिसाब से ही नहीं बल्कि उद्योगों के हिसाब से भी होना चाहिये। यह सब कार्य हो रहा है। जब निगम की अगली रिपोर्ट पेश की जायेगी तब इस संबंध में सभी तथ्य सभा के पटल पर रख दिये जायेंगे।

मेरे मित्र श्री महन्ती ने अधिक निधियों के यापन में कुछ प्रश्न पूछें हैं। अभी तक उनका सही-सही मूल्यांकन नहीं हो सका है। १९३८ के पुराने अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अधिकतम ७½ प्रतिशत लाभ अपने पास रखने की अनुमति थी। किन्तु अब सरकार ने केवल ५ प्रतिशत राशि रखने का निश्चय किया है। ३० कंपनियां ऐसी थीं जिनका दिवाला निकल चुका था। सरकार ने उनके बीमा पत्रधारियों को पूरी राशि देने का निश्चय किया है। यह राशि ७० लाख रुपये के लगभग होगी। यह राशि

†मूल अंग्रेजी में

५ प्रतिशत आधिक्य राशि में से निकाली जायेगी। आधिक्य निधि का हम इस प्रकार से प्रयोग करना चाहते हैं। इस स्तर पर मैं इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता।

मैं समझता हूं मैंने माननीय सदस्यों द्वारा कही गई सभी बातों का उत्तर दे दिया है?

†**श्री विमल घोष** : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। बन्धकों के बारे में माननीय उपमंत्री ने यह कहा है कि इस प्रकार के ऋणों में पिछला अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है, इसलिये हम अब उन पर कोई ऋण नहीं देना चाहते।

†**श्री मोरारजी देसाई** : निगम ऐसे ऋणों को स्थायी रूप से बन्द नहीं करना चाहता जैसे ही हम इन बन्धकों का अनुमान लगा लेंगे हम उन पर ऋण देना शुरू कर देंगे।

†**श्री महन्ती** : "किसी अन्य विनियोजन" शब्दों का क्या तात्पर्य है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इन शब्दों से 'अनुमोदित प्रतिभूतियों' से अतिरिक्त अन्य प्रकार के विनियोजनों का तात्पर्य है। इसके अन्तर्गत ऐसे विनियोजन आते हैं जो सुरक्षित तो होते हैं किन्तु जिनको हम अनुमोदित श्रेणी में नहीं गिनते। यह विनियोजन उन कंपनियों में किये जाते हैं जो थोड़ी बहुत शर्तों को पूरा नहीं करतीं किन्तु जो अन्यथा बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : जैसोप्स और बी० आई० सी० जैसी कंपनियों की क्या स्थिति है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे मित्र शायद उस समय सभा में नहीं थे जब इन की चर्चा चली थी। अब सरकार ने जैसोप्स के लिये एक नया प्रबन्धक बोर्ड नियुक्त कर दिया है और पुराने प्रबन्धक हटा दिये गये हैं। रिचर्ड्स और ग्रुडास के लिये भी नये प्रबन्धक नियुक्त कर दिये गये हैं।

† **श्री श्री० अ० डांगे** : जैसोप्स की आस्तियों की खरीद के बारे में क्या निश्चय किया गया है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : आप यह उपेक्षा क्यों करते हैं कि सरकार को सारा रुपया इन कंपनियों पर व्यय कर देना चाहिये? क्या आप यह चाहते हैं कि सरकार दिवालिया बन जाये?

श्री श्री० अ० डांगे : मैं तो यही चाहता हूं कि सभी लाभ राज्य को जाना चाहिये।

समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

†**सभापति महोदय** : अब सभा समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में श्री राम कृष्ण तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य-संचालन तथा प्रशासन के सम्बन्ध में, ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो ३१ मार्च, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, यह रिपोर्ट जो हाउस के टेबुल पर रक्खी गई है, बहुत अहमियत रखती है क्योंकि यह रिपोर्ट कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के सेक्शन ५६५ के तहत रक्खी गई है। सन् १९५३ में जब मौजूदा ऐक्ट को फ्रेम करने की कोशिश की गई तो उसका सबसे बड़ा मकसद यही था, जैसा कि आबजेक्ट्स एण्ड रीजंस में जाहिर किया गया है, कि विधि में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि समवायों के लेखे इस ढंग से तैयार किये जायें जिससे कि सरकार उनके कार्य संचालन को भली भांति समझ सके और उनके मामलों में उचित रूप से हस्तक्षेप भी कर सके।

अब देखना यह है कि हम इस मकसद में कहां तक कामयाब हुए हैं। जब मैं इस रिपोर्ट को देखता हूं तो मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा कि जिन हालात में और जिस मकसद के लिए यह कम्पनी ऐक्ट फ्रेम किया गया था, उस मकसद में जितना ज्यादा हमें कामयाब होना चाहिये था, हम कामयाब नहीं हुए। इस के बारे में जो यह रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन्सपैक्टरों के पद पर नियुक्त करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सके और समवाय भी इन इन्सपैक्टरों को अपने लेखे ठीक तरह से नहीं दिखाते और न साक्ष्य ही पेश करते हैं।

इस बात का जो यहां पर जिक्र किया गया है उसका मतलब यह है कि इनवैस्टिगेशन जब भी किसी कम्पनी के बारे में शुरू होती है, अव्वल तो इनवैस्टिगेशन (जांच-पड़ताल) बड़ी मुश्किल से शुरू होती है और दूसरे मौजूदा ऐक्ट के तहत अगर इनवैस्टिगेशन शुरू भी हो जाय तो इस ऐक्ट में काफ़ी खामियां हैं जिनके कि कारण वह इनवैस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती। दूसरे जो कागजात और जरूरी रिकार्ड्स वगैरह होते हैं उन इंस्पैक्टर्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि जिसके जरिये उनको वे आसानी से हासिल कर सकें। उन जरूरी रेकार्ड्स और काग़जात को डिस्ट्राय कर दिया जाता है। इसलिये इन तमाम चीजों को देखते हुये मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें इन खामियों को दूर करने के लिये फिर दुबारा विचार करना पड़ेगा ताकि इनवैस्टिगेशन जल्दी हो और जो उसका मतलब है वह उससे पूरा हो सके। इस किस्म की हजारों मिसालें आपको मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरे हलके में टी० आई० टी० के नाम से एक मिल है जिसको कि बिड़ला ब्रादर्स कंट्रोल करते हैं। उस कम्पनी के बारे में कई दफे इस किस्म की शिकायत की गई कि इसके मुताल्लिक इनवैस्टिगेशन शुरू की जाये। मैं काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी यह मालूम नहीं कर सका कि यह मामला किस मरहले पर है हालांकि शिकायत के अन्दर बड़ा सीरियस एलिगेशन है मसलन डबल एकाउंट्स रखना, बैलेंसशीट वगैरह को चेंज करना और इसी किस्म की बहुत सी बातें थीं। इसलिये मैं अपील करूंगा कि हमें इनवैस्टिगेशन को पूरा करने के लिये इस कानून को भी थोड़ा बहुत अगर तबदील करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि जो इनवैस्टिगेशन शुरू होती है अगर वह ठीक ढंग से पूरी नहीं होती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उससे नुक़सान होता है।

तीसरी बात जो इस ऐक्ट के तहत कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन के आरगनाइजेशन के सेट-अप की है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूं।

इस के तहत बहुत से रीजनल आफ़िसर्स मुकर्रर किये गये हैं और इनके तहत रजिस्ट्रार्स मुकर्रर किये गये हैं। मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार्स की तादाद इस काम को पूरा करने के लिये काफ़ी नहीं है।

बम्बई और कलकत्ते के अन्दर कम्पनीज़ काफ़ी ज्यादा हैं और वहां यह काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस लिये मैं इस बात पर जोर दूंगा कि ऐसे बड़े बड़े शहरों के लिये जहां कि कम्पनीज़ की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, उन शहरों के लिये इनवैस्टिगेटर्स की तादाद ज़रूर बढ़ाई जाय ताकि काम ठीक से चल सके और उसके साथ ही रजिस्ट्रार्स की तादाद भी बढ़ाई जाये ताकि वहां पर काम सफ़र न करे और यह काम आसानी से पूरा हो सके।

मिसाल के तौर पर अगर स्टेटवाइज़ तमाम कम्पनियों को देखा जाय तो आप देखेंगे कि जितनी कम्पनियां बंगाल और बम्बई में हैं उतनी दूसरे प्रान्तों में नहीं हैं लेकिन रजिस्ट्रार्स की तादाद सब के लिये यकसां है। इस लिय मैं इस बात पर खास तौर से ज़ोर दूंगा कि जिन स्टेट्स के अन्दर कम्पनीज़ ज्यादा रजिस्टर्ड हो रही हों वहां रजिस्ट्रार्स और इनवैस्टिगेटर्स की तादाद बढ़ाई जाये।

तीसरी बात जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं और जिसको कि मैं हाउस में सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जब से यह ऐक्ट बना है देश के अन्दर यह टेंडेंसी बनी है और यह टेंडेंसी (प्रवृत्ति) बढ़ती जा रही है कि जो पबलिक लिमिटेड कम्पनीज़ हैं उनको प्राइवेट कम्पनीज़ में चेंज कर दिया जाय। इस रिपोर्ट में भी इस बात का ज़िक्र किया गया है और सफ़े १३ पर कहा गया है कि अधिनियम की निरोधात्मक व्यवस्थाओं से बचने के लिये २२७ सार्वजनिक समवायों ने अपने आपको असार्वजनिक समवाय बना लिया है।

इस लिये मैं इस बात के लिये खास तौर पर ज़ोर दूंगा कि हमें इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये। आनरेबुल डिप्टी मिनिस्टर ने भी मेरे एक क्वैश्चन का जवाब देते हुए इस बात की तरफ़ ध्यान दिया और कहा था कि वाक़ई पबलिक कम्पनीज़ जो कि प्राइवेट कम्पनीज़ में चेंज हो रही हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन कम्पनियों को प्राइवेट कम्पनीज़ में चेंज करने का एक ही मक़सद है कि पबलिक लिमिटेड कम्पनीज़ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाये गये हैं, उनसे वे बच जायें। अगर आप ऐसा करने के लिये तैयार नहीं तो इसका दूसरा उपाय यह भी हो सकता है कि वह रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कम्पनीज़ पर भी लगा दिये जायें।

चौथी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं वह यह है कि इस ऐक्ट के तहत पबलिक ट्रस्ट कम्पनीज़ को कुछ एग्ज़म्पशंस् दिये गये हैं। और उनके ऊपर इस ऐक्ट की जो दफात हैं वे लागू नहीं होतीं। जहां तक मैं समझता हूं इसको करने का यही मकसद था कि किसी पबलिक काम के लिये, लोगों की भलाई के लिये कोई ऐसी कम्पनी बनायी जाये जिसका प्राफिट पबलिक काम के लिये यूज़ हो, उस कम्पनी के ऊपर कोई इस किस्म की रेस्ट्रिक्शंन नहीं होना चाहिये। मैं इस ख्याल के खुद हक में हूं लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि उन ट्रस्ट्स की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बहुत सी कम्पनीज़ बराये नाम तो ट्रस्ट के तहत बना दी जाती हैं लेकिन उन का मुनाफा दरअसल जो उनके चलाने वाले हैं उनकी जेबों में जाता है। तो इस लिये मैं यह अपील करूंगा कि अगर किसी कम्पनी को एग्जेम्पशन दी जाये तो उसके लिये पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिये। पूरी जांच पड़ताल के बगैर ऐसी कोई एग्जेम्पशन न दी जाय।

दूसरे मैं यह चाहता हूं कि अगर एग्जेम्पशन दी भी जाये तो उस कम्पनी के इन्तिजाम पर, उसके बोर्ड आव डाइरेक्टर्स पर स्टेट का पूरा कंट्रोल होना चाहिये। आप कहते हैं कि हम उसको एग्जेम्शन

[श्री राम कृष्ण]

इसलिये देना चाहते हैं कि उसका प्राफिट लोगों की भलाई के लिये, पब्लिक परपेजेज़ के लिये इस्तैमाल होगा। तो मैं नहीं समझता कि उस के ऊपर स्टेट का, पब्लिक का भी कंट्रोल क्यों न हो। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि :

१. जो भी एग्जेम्पशन दी जाये वह काफी सोच विचार के बाद दी जाये, और

२. उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिये।

इस के बाद मैं दो तीन बातें कम्पनी ऐक्ट १९५६ के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि इस ऐक्ट के अन्दर बहुत से ऐसे क्लाजेज़ हैं जिनको संशोधित करने की ज़रूरत है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है . . . . . : . . . . अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री राम कृष्ण : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि तीसरी मेरी तजवीज इस सिलसिले में यह है कि यह भी बात आपके नोटिस में आयी होगी कि बहुत सी कम्पनीज़ में शेयर फिक्टीशस नाम से रखे जाते हैं। दरअसल शेयर और किसी के नाम से होते हैं, मालिक दूसरा और कोई होता है। इस तरफ भी ध्यान देने की खास तौर पर जरूरत है, और इसके लिये भी मैं अपील करूंगा कि इस ऐक्ट को इस ढंग से अमेंड किया जाये ताकि इस किस्म की बातें न हो सकें। बल्कि मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि जो इस तरीके से शेयर्स रखे जाते हैं इस ऐक्ट के तहत गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिये ताकि वह उन शेयर्स वगैरह पर भी पूरा कंट्रोल कर सके।

इसके बाद जैसा कि मैं ने आपसे ज़िक्र किया तजुर्बे की बिना पर हमें इस ऐक्ट की कुछ दफात को अमेंड करना पड़ेगा। मैं उन दफात की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आजकल हम सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। इसलिये हमें इस ऐक्ट को भी ऐसे ढंग से चेंज करना पड़ेगा ताकि उस मकसद के लिये हमें इससे मदद मिल सके। मैं यह बात खास तौर पर इसलिये कहता हूं कि अगर आज हम पब्लिक कम्पनीज़ पर पूरे तौर पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर उनकी तरफ से जो ज्यादतियां होती हैं, जो इनकम टैक्स की रकम को इवेड किया जाता है, इन तमाम चीजों पर काबू पा जायें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहुत सी दिक्कतों का हल हो जायेगा। इसलिये मैं इस बात पर खास तौर पर जोर देता हूं।

सबसे पहली मेरी तजवीज़ यह है कि हमें सेक्शन ४३ को इस ढंग से चेंज करना चाहिये जिससे कि प्राइवेट कम्पनी पर भी इस ऐक्ट में जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे एप्लाई हों, या ऐसा कर दिया जाये कि कोई पबलिक लिमिटेड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में चेंज न हो सके।

इसके साथ साथ सेक्शन २११ के तहत बैलैंसशीट्स (संतुलन-पत्र) और एकाउंट्स (लेखे) पेश किये जाते हैं, इस पर भी मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिये। इसके मुताल्लिक इस सेक्शन को इस ढंग से चेंज किया जाये जिससे कि बैलैंसशीट्स और एकाउंट्स के बारे में सही हालात गवर्नमेंट के सामने आ सकें, और जो आडिटर्स वगैरह मुकर्रर किये जायें उनके मुकर्रर करने में भी गवर्नमेंट का हाथ हो। मुझे विश्वास है कि अगर हम उनके बैलैंस शीट्स और एकाउन्ट्स

†मूल अंग्रेजी में

को ठीक ढंग से चैक करने में कामयाब हो जाते हैं तो काफी से ज्यादा हमारा उन कम्पनीज़ पर कंट्रोल हो जायेगा और हम मालूम कर सकेंगे कि उन कम्पनीज के अन्दर कितना मुनाफा होता है।

सेक्शन २३७ के तहत जो इनवैस्टीगेशन की कार्रवाई शुरू की जाती है उसके मुताल्लिक तो मैं काफी कह चुका। सिर्फ मेरी यह तजवीज़ है कि एक लिमिट मुकर्रर की जाये जिसके अन्दर इंस्पेक्टर रिपोर्ट पेश करे। इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनकी इन्क्वायरी एक डेढ़ साल से ज्यादा अर्से से चल रही है लेकिन रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई है। इसके लिये मैं जरूर चाहूंगा कि कोई लिमिट मुकर्रर की जाये।

इस के बाद प्रासीक्यूशन (प्रतियोजन) का सवाल है। इस का मैं ने पहले भी ज़िक्र किया था। सेक्शन २३७ के तहत आप इनवेस्टीगेशन कराते हैं। उसके बाद आप उस आदमी को क्या सजा दे सकते हैं, आपके पास क्या पावर है। सेक्शन २५० को देखने से आपको पता चलेगा कि बहुत से केसेज़ के अन्दर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आप से सवाल करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में इनवेस्टीगेशन का क्या मकसद है। आपने बहुत से ऐसे केसेस की इनवेस्टीगेशन की जिन में पाया गया कि ओनर और कोई था और शेयर किसी और के नाम थे। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप किस सेक्शन के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास कौनसा कानूनी अधिकार है ? इसलिये मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमें इस सेक्शन को भी तबदील करना चाहिये ताकि अगर इनवैस्टीगेशन से शिकायत साबित हो जाये तो उस आदमी को मुनासिब वक्त के अन्दर सजा मिल सके।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन २७५ के अन्दर डाइरेक्टर्स (निदेशक) को बहुत ज्यादा अख्तियार दिये गये हैं। वे दस-दस कम्पनीज़ के डायरेक्टर बन सकते हैं। मैं समझता हूं यह बहुत ज्यादा पावर है। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा।

इसके बाद मेरी यह तजवीज़ है कि सेक्शन ३९७ को भी अमेंड किया जाये। सेक्शन ३९७ के तहत जिस शख्स को कोई शिकायत है या गवर्नमेंट को मैनेजमट से शिकायत है तो वह कार्रवाई कर सकती है। इस सेक्शन में भी बहुत ज्यादा लूपहोल हैं।

ये तमाम बातें मैंने इसलिये कहीं कि इन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाये। हिन्दुस्तान में काफी से ज्यादा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज़ हैं, जिन के पास बहुत सा सरमाया है और उस सरमाये को डायरेक्टर्ज़ वगैरह काफ़ी से ज्यादा मिसयूज़ भी करते हैं। अभी कल इस हाउस में जिक्र आया था कि किस तरीके से कम्पनीज़ के पैसे को अन्डर इनवायस और ओवर इनवायस करके एक्युमुलेट किया जाता है और हिन्दुस्तान में ही नहीं, बाहर के बैंकों में उसको रखने के लिये और इन्वेस्ट करने के लिये कोशिश की जाती है।

इन सब बातों को देखते हुये हमें कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर अख्तियार करना पड़ेगा, जिससे इन कम्पनियों पर हमारा पूरा अधिकार हो। १९३९ से लेकर आज तक जितना पैसा इन कम्पनियों ने कमाया है, अगर उस का सही अन्दाजा लगाया जा सके और सही ढंग से उसका इन्कम टैक्स असेस (निर्धारित) हो जाय, तो सैकंड फाइव यीअर प्लान ही नहीं बल्कि थर्ड फाइव यीअर प्लान के लिये भी आसानी से रास्ता खुल सकता है। इसलिये मैं यह बात खास तौर पर कह रहा हूं।

[श्री राम कृष्ण]

अन्त में मैं दो तीन तजवीजें हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं। हमें इस ऐक्ट के तहत एक ऐसी क्लाज़ रखनी चाहिये, जिससे हम एक ऐसा कमीशन मुकर्रर कर सकें, जो बड़ी बड़ी कम्पनीज़ द्वारा १९३९ से लेकर आज तक कमाये गये पैसे की एन्क्वायरी कर सके और मालूम कर सके कि दर अस्ल मुनाफ़ा क्या था और उन्होंने शो कितना किया।

इन्वेस्टीगेशन एन्क्वायरी कमीशन के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कमीशन एक खास ऐक्ट के तहत एक खास कनसर्न की एन्क्वायरी करने के लिये मुकर्रर किया गया है। इस में काफी समय लगा। यह मुनासिब होगा कि इस ऐक्ट के तहत एक पर्मानेंट बाडी मुकर्रर कर दी जाये, ताकि अगर इस किस्म के केसिज़ आईन्दा हों, तो वह खुद एन्क्वायरी कर सकें। इससे काफी से ज्यादा मदद मिलेगी और इन्वेस्टीगेशन्स की कार्यवाही में देर नहीं लगेगी।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपील करूंगा कि हमें इस ऐक्ट को अमेंड करने के लिये एक कमेटी बनानी चाहिये, जो कि तमाम ऐक्ट पर दोबारा विचार करे और मालूम करे कि हमारा जो मकसद था, हम उस में क्यों कामयाब नहीं हुये, उस में क्या क्या खराबियां रह गई हैं, ताकि उनको दूर करके हम एक नया ऐक्ट तैयार कर सकें, या इस में अमेंडमेंट कर सकें। जिससे पब्लिक कम्पनीज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से हमारा रुपये का मसला और गवर्नमेंट की आमदनी का जो सवाल है, वह हल हो सकता है।

मेरी यह भी राय है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह काम्प्रिहैंसिव नहीं है। इसमें १९५६-५७ के जो केसिज़ एन्क्वायरी के लिये मुकर्रर किये गये हैं, उनकी डीटेल नहीं है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि रिपोर्ट भी कम्प्रिहैंसिव होनी चाहिये, ताकि हाउस को पता लग जाये कि कौन-कौन ऐसी कम्पनियां हैं, किन-किन कम्पनियों के खिलाफ एन्क्वायरी हो रही है, वह एन्क्वायरी किस स्टेज पर है और उसको पूरा करने के लिये आगे क्या करना पड़ेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री विमल घोष** : (बैरकपुर) : इस प्रतिवेदन में काम की काफी जानकारी जुटाई गई है और इससे जाहिर होता है कि १९५६ के मुकाबले अब समवायें विधि प्रशासन का काम कहीं अच्छी तरह से चल रहा है। १९५६ से पहले तो उसका काम जैसे चल ही नहीं रहा था।

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि नये समवायों के पंजीयन का काम कुछ कारणों से शिथिल पड़ गया था और कुछ समय बाद फिर अधिक संख्या में पंजीयन होने लगा। यह क्यों कहा गया है ? मैं तो समझता हूं कि नये समवाय अधिनियम का प्रयोजन ही यह था कि नये समवायों की संख्या में बेशुमार बढ़ती न होने दी जाये। इसलिये पंजीयन का काम शिथिल पड़ता तो अच्छा था। कुछ लोगों की एक शिकायत यह थी कि समवाय अधिनियम इतना सख्त है कि उसके कारण निजी क्षेत्र में और अधिक निजी पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस संबंध में, हमें देखना यह चाहिये कि निजी क्षेत्र को जितनी निजी पूंजी दरकार है वह उसे मिल रही है या नहीं; और यदि नहीं, तो क्यों। पहले की तरह ही नयी पूंजी सुलभ न होने का कारण क्या है ? नये समवाय अधिनियम या अन्य करारोपण संबंधी व्यवस्थायें ?

†मूल अंग्रेजी।

प्रतिवेदन में समवाय प्रशासन की एक और भी त्रुटि यह बताई गई है कि सरकारी समवाय अपने आपको निजी समवायों में बदलते जा रहे हैं और प्रबन्धक अभिकर्त्तागण पूरी तौर पर विक्रय अभिकर्त्ता बनते जा रहेहैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस प्रक्रिया का निरीक्षण किया जा रहा है। इन दस महीनों में इस अध्ययन और जांच पड़ताल का क्या फल निकला है ? क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ?

प्रतिवेदन में अन्तर समवायिक विनियोजन के सम्बंध में भी कुछ गलत प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। क्या सरकार इस सम्बंध में अधिक नियंत्रण करने की सोच रही है ?

सरकार समवायों के मामलों की जांच करने के दौरान में पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या करने की सोच रही है ?

हमने समवाय अधिनियम तो १९५६ में ही पारित कर दिया था, लेकिन अभी तक समवायों के प्रबन्ध में या अपने अधिकारों के प्रति शेयरधारियों की जागरूकता में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। शेयरधारी तो अपने समवायों के मामलों में अधिक दिलचस्पी ही नहीं लेते। प्रतिवेदन में भी इसकी ओर इशारा किया गया है।

इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि यदि किसी मामले में किसी समवाय को दो या पांच प्रतिशत निदेशकों को भी कोई आपत्ति हो, तो उसके लिये शेयरधारियों की सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव रखने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि शेयरधारियों को उनके दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक कैसे बनाया जाये। एक तरीका तो यह है कि शेयरधारियों की संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये। शेयरधारी भी इसमें पूरी सहायता देंगे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि सरकार को हर समवाय पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिये, जो शेयरधारियों की सहायता कर सके। यह इसलिये कि अभी तो अधिकांश शेयरधारियों को अपने अधिकारों की ही जानकारी नहीं है। और ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का काफी अधिक प्रचार करना चाहिये।

यह बहुत जरूरी है कि समवायों के प्रबन्ध की लगातार देखभाल होती रहे, लेकिन समवाय विधि प्रशासन यह नहीं करता, वह बाद में लेखे की परीक्षा करता है और उससे कोई लाभ नहीं। इसके लिये हमारे पास पर्याप्त अधिकारी होने चाहियें।

समवाय विधेयक पर चर्चा के समय एक प्रस्ताव यह भी आया था कि समवायों के कार्य-संचालन की देखभाल के लिये एक संविहित संगठन स्थापित किया जाना चाहिये। दूसरा प्रस्ताव यह भी था कि प्रशासन का भार सम्भालने के लिये एक विभाग बना दिया जाना चाहिये। वित्त मंत्री ने उस समय इस दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और यह भी आश्वासन दिया था कि वही विभाग समवायों के प्रबन्ध और उससे संबंधित मामलों के बारे में भी कार्यवाही करता रहेगा। सब से बड़ी आवश्यकता तो यही है कि समवायों से संबंधित सभी अभिकरणों को एक ही नियंत्रण में रखा जाये। लेकिन जब से यह समवाय विधि विभाग स्थापित किया गया है, तब से अब तक उसके नियंत्रण से श्रेष्ठिचत्वरों, वित्तीय निगमों और पूंजीनिर्गम नियंत्रण इत्यादि को अलग कर लिया गया है। पता नहीं यह क्यों किया गया, क्योंकि हम यह सिद्धांत स्वीकार कर चुके थे कि ऐसे सभी अभिकरणों को एक ही विभाग के नियंत्रण में रखना वांछनीय है।

[श्री विमल घोष]

आज इसका महत्व और भी इसलिये बढ़ गया है कि हम एक निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक नीति पर चल रहे हैं, और ऐसी दशा में किसी केन्द्रीय अभिकरण का नियंत्रण रहना ही चाहिये। समवायिक प्रबन्ध का महत्व भी इसीलिये और अधिक हो गया है कि उसका प्रभाव रोजगार पर पड़ता है।

अभी जो सूती कपड़े की कई मिलें बन्द हुई हैं, उनका कारण शायद प्रबन्ध की त्रुटियां ही हैं। इसलिये यदि कोई केन्द्रीय अभिकरण सभी समवायों की प्रबन्ध व्यवस्था पर नियंत्रण बनाये रखे, तो इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ने की समस्या सामने नहीं आयेगी। आज सर्वाधिक महत्व आर्थिक विकास का ही है। इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है। अभी तो देश में समवायों के संबंध में कई प्रकार के काम करने के लिये कई विभाग मौजूद हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय भी समवायों के संबंध में कुछ जांच पड़ताल करता है। यदि हम अपनी योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो सबसे अधिक आवश्यक यही है कि न सभी के नियंत्रण के लिये एक ही विभाग रखा जाये।

समवाय विधि समिति ने भी ऐसे ही संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया है। मैं पूछता हूं कि क्या सरकार उसे उतना ही आवश्यक मानती है? मैं इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : इस प्रतिवेदन की विषय-वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा को केवल प्रतिवेदन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता।

भारतीय समवाय अधिनियम पारित करते समय पूरी सभा सर्वसम्मति से यही चाहती थी कि १९५६ से पहले की त्रुटियों को दूर किया जाये। उस समय वित्त मंत्री ने बार-बार आश्वासन दिये थे कि विधेयक की व्यवस्थायें उन त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हैं। समवाय अधिनियम द्वारा सरकार को पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था पर, उसके सभी पहलुओं पर नियंत्रण करना था। हमें इन आश्वासनों को दृष्टि में रख कर ही पूरी परिस्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिये।

भारतीय समवाय अधिनियम में संशोधन करने का सबसे बड़ा प्रयोजन यही था कि सभी समवायों को संसद् द्वारा घोषित नीति के दायरे में ही चलना चाहिये। कोई भी सरकार निजी पूंजी को मनमानी नहीं करने दे सकती। योजना के हित में यही है कि निजी पूंजी पर उचित नियंत्रण रखा जाये।

उस संशोधन का दूसरा उद्देश्य यह था कि छोटे मोटे शेयरधारियों के हितों की रक्षा की जाये, और उसके लिये समवायों के निदेशकों की कार्यवाहियों पर नियंत्रण किया जाये।

अब प्रश्न यह है कि सरकार इस बीच में समवाय प्रशासन की त्रुटियों को किस हद तक दूर कर पाई है और समवायों पर कितना नियंत्रण कर पाई है? सच तो यह है कि १९५६ में जो त्रुटियां थी, वे अब भी मौजूद हैं और निजी लिमिटेड समवायों में विनियोजित निजी पूंजी अब भी, पहले जैसी ही मनमानी कर रही है।

विदेशी समवायों के बारे में जब भी कोई सूचना मांगी जाती है, तो मंत्रि परिषद् के सभी मंत्रिगण सिर हिला देते हैं कि उन्हें उनके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियम की व्यवस्थाओं के रहते हुये भी, इन विदेशी समवायों ने लेखा रखने की कोई एकरूप प्रणाली नहीं अपनाई है। सरकार उनके लेखों को समझने में असमर्थ रही है। २० मई को सरकार ने तेल समवायों के साथ एक करार किया था, जिसमें समवाय १० करोड़ रुपये अदा करने को इस शर्त पर तैयार हो गये थे कि सरकार के लेखा परीक्षक उन समवायों के लेखों की परीक्षा करेंगे। इन छः महीनों में वे इन समवायों के लेखों को समझ ही नहीं पाये हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : इस विषय का इस चर्चा से कोई भी सम्बंध नहीं है।

†**सभापति महोदय** : नये समवाय अधिनियम का प्रयोजन यही था कि इन समवायों पर अधिक नियंत्रण किया जाये। माननीय सदस्य उसी के संबंध में शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि समवाय अधिनियम विदेशी समवायों पर नियंत्रण करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अधिनियम में ऐसी व्यवस्थायें नहीं हैं। वह अधिनियम के कार्यकरण की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन यदि अधिनियम में ऐसी व्यवस्थायें ही नहीं हैं, तो फिर समवाय प्रशासन के प्रतिवेदन की आलोचना से क्या लाभ? अभी तो हम प्रतिवेदन पर ही चर्चा कर रहे हैं।

इस चर्चा में कई माननीय सदस्य ऐसे सुझाव दे रहे हैं कि समवाय अधिनियम त्रुटिपूर्ण है और उसे संशोधित किया जाना चाहिये। लेकिन संशोधन के लिये तो अलग से एक प्रस्ताव आना चाहिये। अभी तो हम समवाय अधिनियम के १९५६ से अब तक के प्रशासन पर ही चर्चा कर रहे हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : विश्वनाथ शास्त्री समिति ने प्रशासन के संबंध में ऐसे सुझाव दिये हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : हम अभी उस समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में जो बातें उल्लिखित की थीं, उनमें यह नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुप्त** (बारसाट) : सूचना में सभी बातों की पूरी सूची देना सम्भव नहीं होता। मैंने यही कहा था कि मैं इन बातों के साथ ही कुछ अन्य बातों पर चर्चा करूंगा।

†**सभापति महोदय** : इस प्रतिवेदन की चर्चा से इन बातों का कोई दूर का भी संबंध नहीं है। यदि चर्चा को इस प्रकार भटकने दिया जाये, तो उस पर नियंत्रण रखना कठिन होगा। अन्य सदस्य उनका उत्तर देने के लिये पहले से तैयार भी नहीं होंगे।

इस तरह वार्षिक प्रतिवेदन की चर्चा को पूरी समवाय विधि की चर्चा तो नहीं बनाया जा सकता। इसीलिये मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : इस प्रतिवेदन के ४९ वें पृष्ठ पर कहा गया है कि वित्त मंत्री ने मई १९५७ में एक अनौपचारिक समिति स्थापित करने का निर्णय किया था। समिति को समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य संचालन की व्यावहारिक कठिनाइयों, उसकी अस्पष्टताओं, उसके प्रयोजनों की पूर्ति और उसे अधिक सरल बनाने के उपायों पर विचार करना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन्]

इसलिये यदि अधिनियम के कार्य-संचालन में कुछ त्रुटियां हमारे सामने आती हैं, तो हमें उन्हें दूर करना ही पड़ेगा। इसलिये अधिनियम के संशोधनों के सुझाव भी इस प्रतिवेदन की चर्चा के क्षेत्र में ही आते हैं। माननीय मंत्री को इसका उत्तर देने के लिये तैयार रहना चाहिये था। इसीलिे मैं अप्रत्यक्ष रूप से इन मामलों का उल्लेख कर रहा हूं।

मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय समवाय अधिनियम की व्यवस्थायें विदेशी समवायों का नियंत्रण करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। यह इसलिये कि इन विदेशी समवायों ने अपने लेखे ऐसे रूप में नहीं रखे हैं, जिनसे सरकार, संसद और देश को संतोष हो सके। यदि हम विदेशी समवायों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारा अधिनियम असफल है। समवाय अधिनियम में व्यवस्था है कि भारतीय और विदेशी दोनों ही प्रकार के समवायों को अपने आय-व्यय के सन्तुलन-पत्र पंजीयन अधिकारी के सामने पेश करने चाहियें। लेकिन विदेशी समवाय अपने मुनाफे तथा व्यय का यहां तक कि विदेशी मुद्रा के व्यय का भी, लेखा पेश नहीं करते। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये और इस व्यवस्था को अधिक चौकस बनाना चाहिये, जिससे कि उसे हर विदेशी समवाय की वास्तविक स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान हो सके। तभी उन पर कोई नियंत्रण रखा जा सकता है।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली और एकाधिकारी गुट पर नियंत्रण करने के संबंध में कई धारायें सम्मिलित करने के बाद भी, शेयरधारियों को भारतीय एकाधिकारी गुट की मनमानी से नहीं बचाया जा सका है। हो यह रहा है कि ये भारतीय समवाय भी अपने लाभ हानि के सही लेखे पंजीयन अधिकारी को नहीं देते। उदाहरण तो ऐसे भी हैं कि कुछ निदेशक, जो दस-बीस समवायों के निदेशक हैं, अमरीका जाते हैं। उन्हें सरकार विदेशी मुद्रा के रूप में २५० रुपये ही बाहर ले जाने देती है, फिर भी अमरीका के बड़े बड़े होटलों में दो-तीन महीने गुजार कर आते हैं, ढाई सौ रुपये की विदेशी मुद्रा पर ही। कौन इस पर विश्वास करेगा? यह इतना सारा धन कहां से आता है? सच तो यह है कि इन समवायों के सन्तुलन-पत्र सही स्थिति नहीं बताते। भारतीय व्यवसायी अमरीका और यूरोप में विदेशी मुद्रा संचित कर रहे हैं। यह इसलिये कि सरकार उनके लेखों की परीक्षा ठीक से नहीं कराती और न उन पर कोई नियंत्रण ही रखती है। ये समवाय बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक मूल्य बीजक में नहीं दिखाते। बीजक में मूल्य अधिक दिखाया जाता है और दोनों के अन्तर की राशि बाहर के देशों के बैंकों में जमा कर दी जाती है, जिसका पता रक्षित बैंक या सरकार को नहीं रहता।

निर्यात करने वाली फर्में भी इसी प्रकार गलत बीजक दिखाकर अपना रुपया बाहय के देशों में जमा करती है।

यह सब इसीलिये होता है कि समवाय विधि में इसके लिये पर्याप्त व्यवस्थायें नहीं हैं। इस प्रकार सरकार को समवायों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता। सरकार को इसके लिये उपाय करने चाहियें।

सरकार आश्वासन कितने ही दे, पर छोटे-मोटे शेयरधारी इस अधिनियम से कोई भी लाभ नहीं उठा पाते। सारा काम चन्द निदेशक ही करते हैं, शेयरधारी तो सिर्फ दर्शक बने रहते हैं। इसका निराकरण केवल अधिनियम को संशोधित करके ही किया जा सकता है।

अभी अभी सरकार को एक ऐसे उद्योगपति के मामले का पता चला है, जो विदेशों के कई बैंकों में गुप्त रूप से अपना हिसाब रखता है। इस प्रकार, एक ऐसी भी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि एक ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रभाव के बल पर कई समवायों का निदेशक बन जाये और सारे निर्यात व्यापार पर हावी हो जाये।

सरकार दावा करती है कि एकाधिकार को खत्म कर दिया गया है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति अभी भी एक ओर तो बड़े-बड़े बैंकों पर हावी हैं और विदेशी मुद्रा के बड़े-बड़े सौदे कर सकते हैं, दूसरी ओर वे आयात निर्यात तथा घरेलू व्यापार के समवायों को भी अपने हाथों में ही लिये हैं।

यह तभी मिटाया जा सकता है, जबकि उद्योगपतियों पर अधिक सख्त नियंत्रण किया जाये। उद्योगपतियों को विदेशों के बैंकों में चोरी से धन संचय न करने दिया जाये। सरकार को एक उद्योगपति के इस मामले से ही चेत जाना चाहिये।

यह सब तभी दूर किया जा सकेगा जब समवाय अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं का संशोधन किया जाये।

वार्षिक प्रतिवेदन में एक विचित्र प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है। समवायों के निदेशक अपने शेयरधारियों से पूछे बिना ही कुछ पूर्त संस्थाओं को ऋण दे देते हैं, और बाद में उसकी अदायगी नहीं होती, बल्कि उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। केरल में सूती कपड़े की एक बड़ी मिल में कई वर्ष से लगातार यही हो रहा है। उस मिल का प्रबन्ध 'अलागप्पा टेक्सटाइल्स' द्वारा होता है। प्रबन्धकों की ओर से हर वर्ष लाखों रुपया एक पूर्त संस्था को ऋण के रूप में दिया जाता है। उस ऋण को कभी भी शेयरधारियों से अनुमोदित नहीं कराया गया था। एक बार कुछ शेयरधारियों के आपत्ति करने पर निदेशकों ने कह दिया कि ऋण वसूल नहीं हो सकेगा, इसलिये उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाये। ऐसा ही किया भी गया था। और पिछले जब उस मिल के श्रमिकों ने बोनस की मांग उठाई तो उन्हें लेखा बता दिया गया था कि उसमें गुंजाइश ही नहीं।

समवाय विधि प्रशासन को इस मामले की जांच करनी चाहिये। देश में ऐसे कई समवाय हैं। यदि यही हाल बना रहा तो देश को औद्योगिक संकट का सामना करना पड़ेगा। निजी क्षेत्र सरकार या संसद् द्वारा निर्धारित नीति की कोई परवाह ही नहीं करता। इस अव्यवस्था को मिटाने का एक ही रास्ता है कि निजी क्षेत्र पर अर्ध कारगर नियंत्रण किया जाये। उसे सरकार की घोषित नीति के अनुसार ही चलाया जाये।

समवाय विधि प्रशासन को निजी पूंजी पर नियंत्रण रखना चाहिये, तभी हमारी योजना सफल हो सकेगी। निजी क्षेत्र को देश की समाजवादी अर्थ व्यवस्था के हितों के अनुरूप ही चलना चाहिये। संसद द्वारा निजी क्षेत्र को पूरी तौर से खत्म करने तक, समवाय विधि प्रशासन को ही उस पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : यद्यपि इस अधिनियम के कार्य-संचालन को केवल एक ही वर्ष हुआ है और इतने थोड़े से काल में ही इसके संबंध में कोई राय कायम करना ठीक नहीं, परन्तु जो कुछ प्रतिवेदन में बताया गया है उससे कुछ सन्देह अवश्य पैदा होते हैं। हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य तो गैर-सरकारी क्षेत्र को बिलकुल समाप्त कर देना चाहते हैं। इन सब बातों के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

बावजूद हमारी सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये अभी कुछ गुंजाइश नजर आती है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि जहां पंजीकृत समवायों की कमी हो रही है, वहां विनियोजित पूंजी भी कम हो रही है। सारणी १ में इस संबंध में आंकड़े दिये गये हैं। नया अधिनियम प्रथम अप्रैल १९५६ को लागु हुआ था ; १९५६–५७ में पंजीबद्ध होने वाले सरकारी समवायों की संख्या ८४ और असार्वजनिक समवायों की संख्या ७६४ थी ; यानी कुल संख्या ८४८ थी; और १९५५–५६ में सरकारी समवायों की संख्या १८६ और असार्वजनिक समवायों की संख्या १२०३ थी, यानी कुल संख्या १४४८ थी। इस प्रकार पंजीबद्ध होने वाले समवायों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। हमारे साम्यवादी भाई तो शायद इससे प्रसन्न होंगे परन्तु हमारे जैसे लोग अब भी हैं जिनका यह विचार है गैर सरकारी क्षेत्र भी देश के लिये लाभप्रद हो सकता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सरकार तो दोनों के ही पक्ष में है। बड़े बड़े समवायों की पूंजी को निकाल देने से गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजित पूंजी कुछ भी नहीं रहती। इस बात को प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ पर स्वीकार किया गया है। लेकिन एक बात जरूर है और वह यह कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्साह की कमी होती जा रही है। प्रतिवेदन से आभास मिलता है कि शायद सरकार का यह विचार है कि लोग इस मद से, कि नया कानून आ रहा है, अपने समवायों को पंजीबद्ध करवाने में संकोच करते रहे हों। और यह भी हो सकता है कि उन्हें विधि के उपबन्धों का पूरा ज्ञान न हो। परन्तु मेरा विनम्र निवेदन है कि यह व्यापारी और उद्योगपति जो लाखों रुपयों का काम काज करते हैं, इतने अन्धेरे में नहीं होते और बहुत सी बातों के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। रजिस्टर्ड समवायों में विनियोजन के अभाव का यह अनुमानित कारण बिलकुल गलत है। इस दिशा में कठिनाइयां अवश्य हैं और हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्यों लोग अब गैर-सरकारी समवायों में पूंजी नहीं लगा रहे, और पूर्ववत समवाय रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे?

प्रतिवेदन की मैं यह बात नहीं मानता कि ये व्यापारी बड़े अबोध हैं और इन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं। हम पूंजी चाहते हैं, और यहां तक कि हम विदेशी पूंजी को भी खींचने के पक्षपाती हैं। परन्तु हमारे कानून इसके रास्ते में रूकावट बन रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें एक दम बदल दिया जाय, परन्तु उस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में, सरकारी और गैर-सरकारी पक्ष दोनों हैं। हमारी सरकार को इन दोनों को समक्ष रख कर बड़ी गम्भीरता से इस बात पर विचार करना चाहिये। इस बात का एक अन्य पहलू भी है। प्रतिवेदन के वर्ष में ३३३ समवायों को परिसमापित किया गया ; ६५४ समवायों का नाम समवाय अधिनियम की धारा ५६० के अन्तर्गत रजिस्टर से काट दिया गया और १४१ को अन्तिम रूप में समाप्त कर दिया गया। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में स्थापित एक समिति ने प्रतिवेदन को भी परिचालित किया गया था और उसे संशोधनों का सुझाव देने की प्रार्थना की गयी थी। परन्तु इसमें मामूली परिवर्तनों के सुझाव दिये गये हैं और नीति के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं यह तो मानता हूं कि इन समवायों में हो रहे गोलमाल सहन नहीं किये जाने चाहिय, परन्तु इसके साथ ही हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी साधनों को समाप्त नहीं कर देना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : इस प्रति ेदन में अच्छी बुरी दोनों ही बातें हैं। अच्छी बात यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के समवायों के नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के गोलमाल की गुंजाइश न रह सके। यद्यपि हम सरकारी क्षेत्र में पांव रख रहे हैं, तथापि हम गैर-सरकारी क्षेत्र को बिलकुल समाप्त नहीं कर सकते। इधर उधर हुई कुछ भलों के लिये सारे क्षेत्र की निन्दा नहीं की जा सकती। नये समवाय अधिनियम का काफी परिश्रम से निर्णय किया गया था, परन्तु एक वर्ष का अनुभव यह बताता है कि इसमें परिवर्तन अपेक्षित हैं और इसका पुनरीक्षण आवश्यक है। सम्बद्ध माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

[पंडित ाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

लगभग २२८० समवाय परिसमापन की अवस्था में हैं। परिसमापक पदाधिकारियों के बावजूद केन्द्रीय सरकार का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं, और सरकार इनके मामले को शीघ्र समाप्त करने के लिए नहीं कह सकती। कुछ दिन हुये मुझे कलकत्ता के एक समवाय जेनक लिमिटड के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में यही बताया गया था कि यह समवाय पुराने विधान के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया था, अतः संसद् इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती, और यह मामला राज्य के अन्तर्गत आता है। इसलिये हमें विधान में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम ऐसी अवस्थाओं के बारे में अपेक्षित व्यवस्था कर सकें। प्रतिवेदन के पृष्ठ ९२ के अनुसार सरकार स्वयं इस दिशा में कुछ करना चाहती है और आशा है कि वह शीघ्र ही ऐसा कर देगी।

इसके आतिरिक्त यह भी देखने में आ रहा है कि सार्वजिनिक समवाय, असार्वजनिक समवायों का रूप धारण कर रहे हैं। यह तो स्वाभाविक ही है, क्यों कि यदि अंशदारों की संख्या ५० से कम हो तो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक समवाय को असार्वजनिक बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिये किया जाता है क्योंकि असार्वजनिक समवायों में कुछ सुविधायें रहती हैं, नियन्त्रण की भी काफी ढील होती है और वह व्यक्तिगत अथवा एक परिवार का समवाय बन जाता है। फिर भी हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि ऐसा होने के आखिर कारण क्या हैं और क्या विधान में परिवर्तन हो जाने पर इस वृत्ति को बदला जा सकेगा? इसे किसी भी अवस्था में बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने के जोश में हम गैर-सरकारी क्षेत्र को पीछे नहीं डाल दें। इसकी कमियों को प्रत्येक अवस्था में ठीक किया जाना चाहिए, परन्तु उसकी ओर सन्देह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा भी तो देश की सेवा होती ही है।

समवाय अधिनियम के एक खंड के अन्तर्गत निर्देशकों को अपने निकट सम्बन्धियों के नाम बतलाने पड़ते ह। सरकारी समवायों म भी यह व्यवस्था होनी चाहिए, कि प्रबन्ध निदेशकों के उन कर्मचारियों का नाम-पता ले लेना चाहिए जो कि उच्च सरकारी पदों पर आरूढ़ अधिकारियों के संबंधी हों। आज मनोवृत्ति यह हो रही है कि विदेशी समवाय भी अधिकारियों के सम्बन्धियों को ही बड़े बड़े पदों पर रख लेते हैं। कई बार भारतीय समवाय भी बड़े बड़े लोगों के सम्बन्धियों को लगा लेती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० रं० पटेल]

मर्जी के अनुसार एकाधिकार की भावना से कार्य करते हैं। अतः सभी समवायों को अपने ऐसे कर्मचारियों की सूची रखनी चाहिये जो सरकारी दफ्तरों में नियुक्त अधिकारियों के संबंधी हों।

इसके अतिरिक्त उद्योगों को अपने कर्मचारियों और श्रमिकों से भी समुचित व्यवहार करना चाहिये। कई बार समवाय पुराने कर्मचारियों को हटा कर संघ कार्य कर्त्ताओं को काम पर लगा देते हैं, जिससे श्रमिकों के प्रति न्याय होने के सभी अवसर समाप्त हो जाते हैं। अगले प्रतिवेदन में इस विषय पर जानकारी भी सम्मिलित की जानी चाहिए। इसके साथ ही यह जानकारी भी एकत्रित की जानी चाहिए कि इन समवायों ने राजनीतिक दलों की कितनी आर्थिक सहायता की है।

†**श्री अ० च० गुह**: समवाय अधिनियम के संचालन का हमें उसी दृष्टि से और उन्हीं लक्ष्यों को सामने रखते हुए पुनरीक्षण करना चाहिए जिसका कि उल्लेख वित्त मंत्री ने अधिनियम के बनाते समय किया था। उन्होंने कहा था कि इससे सामाजिक हितों का गैर-सरकारी क्षेत्र से सन्तुलन किया जायेगा, ताकि अन्तिम रूप में एक निश्चित सामाजिक नीति को प्राप्त किया जा सके। हमें इन लक्ष्यों का ध्यान रख कर इस विषय पर गौर करना चाहिए।

प्रथम लक्ष्य तो यह है कि धन कुछ थोड़े लोगों के हाथों में नहीं रहना चाहिए। द्वितीय योजना का भी यही लक्ष्य है कि धन और अवसरों का एक जैसा वितरण होना चाहिए। परन्तु यहां अवस्था यह है कि बड़े बड़े २८ समवायों में ही कुल पूंजी का ८१ प्रतिशत विनियोजित है। इन २८ में से कुछ सरकारी समवाय जमा हैं। समस्त समवायों की कुल २११ करोड़ रुपये की अंश-पूंजी में से १६१ करोड़ रुपया इन २८ समवायों के पास है। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रयास बिलकुल नहीं किया गया कि धन थोड़े हाथों में न जाय। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मध्यवर्ग के लोग भी औद्योगिक विकास में भाग ले सकें। १०४१ समवायों में से ९८७ का परिसमापन हो गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही भी बड़ी कठोर है। जिन समवायों का परिसमापन हो गया है, उनमें ७·५९ लाख की पूंजी थी। आप बताइये इन सामवायों के गरीब अंशदारों पर क्या गुजरी होगी। और इसके परिणामस्वरूप पता नहीं कि उन्हें क्या वापिस मिलेगा?

अधिनियम में समवायों के कार्य की जांच करने सम्बन्धी उपबन्ध हैं, और प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमें योग्य निरीक्षक उपलब्ध नहीं होते। इसके अतिरिक्त उनके अधिकार भी सीमित होते हैं। यदि समवाय के प्रबन्धक निरीक्षक को कुछ न बतायें तो अधिक से अधिक उनका चालान कर उन्हें अदालत में बुला सकते हैं। उसमें वर्षों लग जाते हैं, और इस बीच उनकी शरारतों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अल्प संख्यक अंशदारों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिवेदन में किसी व्यवस्था का सुझाव नहीं दिया गया। इसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए ताकि बहुसंख्यक अंशदार प्रत्येक समय अपनी मनमानी न कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार के मामले अदालतों में भी जाते हैं, तो इनका बड़ा नर्मी से निर्णय हो जाता है। कुल ५७३ मामलों में २८,९५४ रुपये जुर्माना किया गया, जो कि प्रति मामला ५० रुपये पड़ता है। यदि अदालतों ने इस प्रकार नर्मी का व्यवहार किया तो अधिनियम का उद्देश्य तो समाप्त हो जायेगा। ऐसे उपबन्धों को भंग करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उपबन्धों का संशोधन कर लेना चाहिए। निदेशकों को कर्जा देने के सम्बन्ध में भी उपबन्धों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इससे अच्छी पूर्ववर्तिता स्थापित नहीं होती। कई स्थानों पर बड़ी खतरनाक सुविधाओं की अनुमति दी जाती देखी गयी है। अन्तर्समवाय विनियोग को भी रोका जाना चाहिए। इससे कई बार बहुत से अच्छे उद्योगों के नष्ट हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है और सार्वजनिक धन का नाश होता है। इस प्रकार के मामलों पर उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जानी चाहिए। समवाय विधि प्रशासन का भी इस प्रकार के मामलों पर नियन्त्रण होना चाहिए। प्रतिवेदन में ऐसा कहा गया है कि अलग अलग कार्यवाही करना सम्भव नहीं। परन्तु जिस आधार पर कार्य करने का आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया था, उसको एकाएक बदल दिया गया है। और अन्य व्यवस्था कर दी गयी है।

अब समय है कि सरकार सारे मामले पर विचार करे और समवाय विधि विभाग के कार्यों का पुनरीक्षण किया जाये और उन्हें ठीक प्रकार से बांटा जाये। जब तक इस विभाग का अन्य सम्बद्ध मामलों पर नियन्त्रण नहीं होगा तब तक यह ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस वाद-विवाद का मुख्य उत्तर तो उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र देंगे, मुझे तो केवल दो एक बातें कहनी हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि समवाय विधि प्रशासन ने पिछले समवाय विधान के पारित होने के पश्चात परिवर्तित अवस्था में सामान्यतः ठीक ही काम किया है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में उन्होंने सख्ती से काम नहीं लिया, विशेषकर सन्तुलन वितरणों के लाभ और हानि के लेखों अथवा वार्षिक रिपोर्टों के प्रस्तुत करने के मामलों में वे कुछ नर्म व्यवहार ही करते रहे, क्योंकि समवाय निधि अधिनियम के पारित होने के पश्चात् इन समवायों को कुछ परिवर्तन स्थिति में कार्य करना पड़ा था और असार्वजनिक समवाय ही नहीं बल्कि अन्य समवाय भी कई बार ऐसा करने में असफल रहे हैं। परन्तु कुछ समय व्यतीत होने पर अब समवाय विधि प्रशासन को सख्ती से काम करना ही होगा। स्वभाविक ही है कि अब हम उपरोक्त पत्रों आदि के प्रस्तुत करने के बारे में सख्ती से काम लेंगे।

जहां तक सार्वजनिक समवायों का असार्वजनिक समवायों में परिवर्तित होने का सम्बन्ध है, मैं इस अवसर पर इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता। परन्तु जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है हम उस पर पूरी दृष्टि रख रहे हैं,। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस प्रकार के परिवर्तनों के बारे में की गई किसी चालाकी को सहन नहीं करेंगे। इस दिशा में जो कुछ भी सदन में कहा गया है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। यदि कोई अवसर आयेगा तो समुचित कार्यवाही करेंगे। अन्तर्समवाय विनियोजनों के मामले भी हमारी नज़र में आये हैं, जहां कुछ समवायों द्वारा अनुचित रूप से लाभ उठाने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

का प्रयत्न किया गया है। मेरा मत है कि हमें इन चीज़ों को ठीक करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। समवाय अधिनियम में जो कुछ संशोधन करने जा रहे हैं इसके सम्बन्ध में हम इस मामले पर विचार करेंगे।

अब मैं श्री विमल घोष द्वारा उल्लेखित एक दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री गुह ने भी इस विधान के सामाजिक लक्ष्यों की बात की है। उन्होंने छोटे समवायों का भी उल्लेख किया है। वास्तव में मैं श्री विमल घोष से सहमत हूं कि न तो छोटे छोटे समवायों की संख्या बढ़नी चाहिए और न ही एकाधिकार वाले बड़े समवाय होने चाहिएं। हमें बीच का मार्ग अपनाना होगा। श्री विमल घोष ने जो दो सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए ; विशेष कर अंशदारों में अपने अधिकारों के लिए चेतना पैदा करने वाला सुझाव अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशेष संकल्प पारित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रक्रिया आदि का भी उल्लेख किया है। मैं समय की कमी के कारण अभी इसका सविस्तार उल्लेख नहीं कर सकता। पर मैं यह बात मानता हूं कि हमें उपयुक्त जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करके इस मामले में अंशदारों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करनी चाहिए। इससे अशदारों को अपने आधिकारों का पता चलेगा। इसके अतिरिक्त हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किस प्रकार किया जाये।

यह कहा गया कि वर्तमान समवाय विधि प्रशासन को समवायों सम्बन्धी सभी तरह के मामलों में कार्यवाही करने के बारे में पूरे अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें सत्यता है। कुछ शाखायें वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अन्तर्गत हैं, और कुछ हमारे पास हैं। उदाहरण के लिए, जो मामले उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, वे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के ही एक अलग सैक्शन द्वारा देखे जाते हैं। मैंने इस बारे में विचार किया है परन्तु मैं इस दिशा में कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर सका। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, विशेषकर वे काम जोकि हमारे मंत्रालय के ही एक अलग सेक्शन में हो रहा है इन सब का समन्वय हो जाना चाहिए। हमें यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि इस काम को समवाय विधि प्रशासन ही सम्भाल ले। इस पर मैं विचार कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इस मामले में शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री अ० चं० गुह**: उन मामलों का क्या होगा जोकि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पास हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: इस पर फैसला करना वित्त मंत्रालय का काम है। इतना देखना मेरा कर्त्तव्य है कि जिन मामलों का मेरे मंत्रालय से सम्बन्ध है वे शीघ्रता से निपटा दिये जायें। वित्त मंत्री से बातचीत करने के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। यदि इस सम्बन्ध में कोई आवश्वासन दिया जा चुका है तो मैं उसको देखूंगा। श्री मेनन तथा श्री गह ने परिसमापन कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि हमने समवाय विधि के संशोधनों का प्रारूप तैयार कर लिया

†मूल अंग्रेजी में

है और हम इस सत्र में उसे प्रस्तुत कर देना चाहते हैं। वे संशोधन बड़े महत्वपूर्ण हैं और उन पर विचार करते समय सदन को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। अन्य सम्बद्ध बातें जो आज प्रस्तुत हुई, इन पर भी उस अवसर पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** सभापति महोदय, वाद-विवाद में अनेक महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं और मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये। पर समवाय विधि संशोधन विधेयक पर, यह वादविवाद लगभग एक सामान्य वादविवाद का सा रहा है, जोकि कुछ समय बाद ही प्रस्तुत किया जायेगा जब कि माननीय सदस्य को नये उपबन्धों का सुझाव देने का अवसर मिलेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने योजना के सामाजिक उद्देश्यों का जिक्र किया है। समवाय विधि विभाग सामाजिक उद्देश्यों के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए बहुत आशावादी नहीं है। वह तो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति से सहयोग मात्र कर सकता है और उसका कार्य तो बहुत सीमित है। अनुमानित लागत लेखों तथा अनेक विधियों के प्रवर्तन की सफलता के संबंध में, जो कि समवाय विधि विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, अनेक बातें कहीं गयीं। समवाय विधि को केवल अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है। यही उसका मुख्य कार्य है और वह व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रबन्ध संबंधी अच्छी परिपाटियों के पनपने के लिए समुचित वातावरण भी पैदा करता है।

पुराना अधिनियम १९१३ में पारित हुआ था। तब से देश में उद्योग तथा व्यापार में बहुत उन्नति हो चुकी है। अतः विधि को वर्तमान अवस्था के अनुकूल बनाना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से ३ वर्ष पूर्व एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने भी विचार किया था। इस समिति तथा सभा में उसमें काफी संशोधन भी किया गया था? १९५६ का वर्तमान अधिनियम सभा के परिश्रम का ही परिणाम है। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि समवाय अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन समवाय विधि प्रशासन ने कितनी प्रगति की है, वह इस पर विचार करे। ठीक है, अनेक अच्छे सुझाव दिये गये हैं पर उन पर विचार करने का समुचित समय तब होगा जब नया समवाय विधि (संशोधन) विधेयक सभा के सामने आयेगा।

यह भी कहा गया कि वर्तमान अधिनियम के पारित होने के बाद पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय समवाय अधिनियम १९५६ के पारित होने के बाद तुरन्त ही इस वर्ष में रजिस्टर हुये नये समवायों की संख्या में पुराने वर्ष की तुलना में बहुत कमी हो गयी है। उनकी संख्या १,४४८ से कम हो कर ८४८ हो गयी। बाद के वर्ष में १९५७-५८ में रजिस्टरी की संख्या से कुछ थोड़ी वृद्धि हुई है। इस वर्ष संख्या ९६१ थी। चालू वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर तक यह संख्या ५९२ थी। अतः स्पष्ट है कि अब संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

श्री अ० चं० गुह ने समवायों में विनियोजन की कमी का ज़िक्र किया। मेरा निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि निगमित क्षेत्र की सफलता का मुख्य लक्षण समवायों की संख्या नहीं है बल्कि उसमें लगी पूंजी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सतीश चन्द्र]

वर्ष १६५५-५६ में, अर्थात् अधिनियम लागू होने के पहले वाले वर्ष में सरकारी समवायों में विनियोजित राशि ६·७ करोड़ रुपये थी। गैर-सरकारी समवायों में ५० या ५७ करोड़ के लगभग थी। पर इस अधिनियम के लागू होने के बाद वाले वर्ष में सरकारी समवायों का विनियोजन ६·७ करोड़ से बढ़कर ८·२ करोड़ हो गया। गैर-सरकारी समवायों के विनियोजन में कमी हो गयी। वह ५०·४ करोड़ से बढ़कर ८३ करोड़ हो गया। सरकारी समवायों तथा गैर-सरकारी समवायों के संबंध में ये आंकड़े हैं। सरकारी समवायों में १·५ करोड़ की तथा गैर-सरकारी समवायों में २३ करोड़ की वृद्धि हुई। अतः जो भय व्यक्त किया गया है वह सही नहीं है।

माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी अनेक बातों पर बाद में विचार किया जायेगा। श्री राम कृष्ण ने टी० आई० टी० कम्पनी की कुछ शिकायत की। वर्तमान जानकारी के अनुसार समवाय अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड ऐसी कोई कम्पनी इस समय नहीं है। भिवानी में टी०आई०टी० नाम की एक वस्त्र उद्योग की प्रोद्योगकीय संस्था है। पंजाब सरकार के पास उस संस्था की कुछ शिकायत की गयी थी। समवाय विधि प्रशासन के पास कोई अभ्यावेदन नहीं आया है।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने डा० अलगप्पा चेट्टियार मिल्स के बारे में शिकायत की कि धन किसी न्यास को दे दिया गया है और कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है। जब हमें इस बात की सूचना मिली तो हमने एक जांच बैठा दी है। यदि निदेशकों के बोर्ड तथा अंशधारियों की जानकारी के बिना कम्पनी किसी न्यास को धन दे देती है तो समवाय विधि विभाग तभी कार्यवाही कर सकता है जब उसे इस बात का पता लगे; इस संबंध में जांच हो रही है कि किन परिस्थितियों में समवाय का धन किसी न्यास को दिया गया।

अन्तर्समवाय विनियोजनों की बात मैं संक्षेप में लेना चाहता हूं। यह सच है कि अनेक अन्तर्समवाय विनियोजन हुये हैं। उनमें से कुछ को धोकेबाजी का कहा जा सकता है। किसी संस्था के निदेशकों ने अपने अधीन उपलब्ध धन द्वारा दूसरे समवाय के अंश खरीदे गये हैं। एक समवाय का धन दूसरे समवाय द्वारा खरीदा जाना तथा एक समवाय के अंशों का ऐसा क्रय गंभीर विचार की बातें हैं। समवाय विधि संशोधन समिति ने इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है जिन्हें इस सभा के सामने विचारार्थ रखा जायेगा। यदि माननीय सदस्यों को कोई सुझाव देने हों तो वे भी यथासमय दे सकते हैं।

यह विधेयक या तो इस सत्र के अन्त में या अगले सत्र के आरम्भ में प्रस्तुत किया जा गा। अनेक माननीय सदस्यों ने बताया कि सम्बन्धियों की परिभाषा बहुत गलत है जिससे बहुत कठिनाई होती है। इसमें भी समुचित संशोधन कर दिया जायेगा।

पुराने समवायों के परिसमापन कार्यवाही के कारण भी कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं। विधि के अधीन, १६१३ के अधिनियम के अधीन चालू की गयी परिसमापन कार्यवाही, उच्च न्यायालयों द्वारा नियुक्त किये गये समापन करने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है उन पर समवाय विधि विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता। १६५६ का अधिनियम पारित होने के बाद ही समवाय विधि विभाग को अधिकार मिला कि वह नये

अधिनियम के अधीन समवाय के परिसमापन की देखभाल के लिए सरकारी समापक नियुक्त कर सके। बम्बई में एक सरकारी समापक नियुक्त किया जा चुका है।

कुछ स्थानों पर कुछ अल्प समय काम करने वाले पदाधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं और काम बढ़ने पर उनकी संख्या बढ़ा दी जायेगी। पुराने मामलों को जल्दी से निबटाने के लिए हमने उच्च न्यायालयों से प्रार्थना की है कि वे उन मामलों को सरकारी समापकों के पास हस्तान्तरित कर दें। पर उच्च न्यायालयों ने ऐसा करना पसन्द नहीं किया अतः समवाय विधि विभाग इन मामलों को जल्दी निबटाने में असमर्थ रहा है यद्यपि हम चाहते हैं कि ये मामले जल्दी निबट जायें।

समवाय अधिनियम के अधीन एक धारा ऐसी है जिसके अधीन, पुराने अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये समापक से, हम समय-समय पर जानकारी मांग सकते हैं पर हम मामलों को जल्दी निबटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अतः समवाय विधि प्रशासन को हम विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते।

औद्योगिक उपक्रम के लागत लेखा का काम समवाय विधि प्रशासन का नहीं है। श्री मेनन ने विदेशी तेल समवायों के बारे में कहा कि वे समवाय अधिनियम के अधीन अपेक्षित लेखे विवरण हमारे पास नहीं भेजते। उन्होंने किसी धारा का उल्लेख किया। मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें लेखे-विवरण तथा हानि लाभ के लेखे भेजने पड़ते हैं पर यह केवल उनके भारत के व्यापार का नहीं होता। वे अपने रजिस्ट्रेशन वाले देश के रजिस्ट्रार को अपने संसार भर के व्यापार का एक विवरण भेजते हैं और उसी की एक प्रति नई दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास भी भेजते हैं। समवाय विधि प्रशासन प्रश्न पूछ सकता है या अधिक जानकारी मांग सकता है पर उत्पादन की लागत तथा पहले से किये हुये उसके करारों का विषय समवाय विधि विभाग के विषय-क्षेत्र के भीतर नहीं है।

आज बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव पेश किये गये हैं और हम एक विस्तृत संशोधन विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। यह विधेयक आय-व्ययक सत्र के पूर्व ही आयेगा। तभी हमारे लिए उपयुक्त समय होगा कि हम वर्तमान औद्योगिक प्रगति तथा आवश्यकताओं के अनुसार विधेयक को बनायें।

यह शिकायत ठीक है कि कुछ समवायों के संबंध में की जाने वाली जांच म बहुत विलम्ब हुआ है। समवाय के स्वामियों द्वारा की गयी कुछ कार्यवाहियों जैसे उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा, प्राप्त करने या प्रतिषेध लेख्य प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण इन कार्यों में विलम्ब हुआ है। ऐसी बातों के लिए समवाय विधि प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिनमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसके पास मामला ले जाया गया हो, कोई निदेश दिये हों।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करें। समवाय विधि प्रशासन में सुधार करने के लिए रचनात्मक सुझावों पर सरकार प्रसन्नतापूर्वक विचार करेगी।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, १ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९२९—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
३२८	राज्य व्यापार निगम	९२९—३१
३२९	पाकिस्तान में 'जिहाद' आन्दोलन	९३२—३३
३३०	दर्शन यंत्रों के कांच का कारखाना	९३३—३५
३३१	काफी बोर्ड	९३५—३७
३३२	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	९३७—४०
३३३	द्वितीय योजना की क्रियान्विति	९४०—४४
३३४	कागज का निर्माण	९४४—४५
३३५	फ्रांस में घायल भारतीय	९४६
३३६	पाकिस्तान में क्षेप्यास्त्रों के अड्डे	९४७—४८
३३७	राष्ट्रपति की विदेश यात्रा	९४८—४९
३३८	शिशुओं के लिये दुग्ध खाद्य	९५०
३३९	स्टेनलैस स्टील के बर्त्तन	९५०—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	सिंगापुर में भारतीय	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		९५६—१००६
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४०	सूती वस्त्र औद्योगिक समिति	९५६—५७
३४१	रेशम हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां	९५७
३४२	काश्मीर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	९५७
३४३	सीमेंट फैक्टरियां	९५७—५८
३४४	साइकलों का निर्यात	९५८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
३४५	भारतीय राजाओं के लिये राजनयिक उन्मुक्तियां .	९५८–५९
३४६	सीमेंट का उत्पादन	९५९
३४७	योजना की प्रगति की समीक्षिकाएं	९५९
३४८	अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौता	९६०
३४९	द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर स्वेज नहर संकट का प्रभाव . .	९६१
३५०	गैर-सरकारी उपक्रमों के शेअर	९६१
३५१	एशिया-अफ्रीकी विधि मंत्रणा समिति . . .	९६१–६२
३५२	फैक्टरियों के चीफ इंस्पेक्टरों की कान्फ्रेंस . . .	९६२
३५३	सरकारी इमारतों का बकाया किराया . . .	९६३
३५४	काम के अनुसार मजूरी के भुगतान की प्रणाली . . .	९६३–६४
३५५	भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद . . .	९६४
३५६	केरल में चाय बागान	९६४
३५७	कर्मचारी भविष्य निधि	९६५
३५८	उद्योग में अनुशासन संहिता . . .	९६५
३५९	बम्बई में औद्योगिक बस्तियां	९६५–६६
३६०	पश्चिम जर्मनी के लिये भारतीय चाय . .	९६७
३६१	रेडियो धर्मिता से वस्तुओं का दूषित होना . . .	९६७–६८
३६२	यूक्लिप्टिस आयल	९६८
३६३	संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पुनरीक्षण	९६८
३६४	अस्पृश्यता सम्बन्धी फिल्म	९६८–६९
३६५	तेलों और खली का निर्यात	९६९
३६६	रावी नदी के रास्ते में परिवर्तन	९६९
३६७	मनीपुर में रेशम कीट पालन योजनाएं . . .	९६९
३६८	चीन के अधीन दिखाया गया भारतीय प्रदेश . . .	९७०
३६९	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के करांची कार्यालय पर पाकिस्तानी पुलिस का छापा .	९७०–७१
३७०	नाभिकीय परीक्षणों का बन्द किया जाना	९७१
३७१	पंजाब की विद्युत् परियोजनाएं .	९७१–७२
३७२	सर्जरी का सामान . . .	९७२
३७३	घाना और इराक के लिये भारतीय इंजीनियर	९७२–७३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

३७४	फर्श की दरियां और चटाइयां	९७३
३७५	मोटरगाड़ियों का निर्यात	९७३
३७६	कच्चा पटसन	९७३–७४
३७७	वस्तुओं का निर्यात	९७४
३७८	भारतीय इस्पात संघ	९७४–७५
३७९	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये योजना समिति	९७५
३८०	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	९७५
३८१	पाकिस्तान के एक हवाई जहाज़ द्वारा आकाश सीमा का उल्लंघन	९७५–९७६
३८२	आयरलैण्ड को चाय मिशन	९७६
३८३	अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग	९७६
३८४	विदेशी मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी पंचाट	९७७
३८५	काश्मीर	९७७
३८६	दिल्ली विश्वविद्यालय में रोजगार ब्यूरो	९७७
३८७	सूती कपड़े	९७७–७८
३८८	पश्चिमी जर्मनी से व्यापार	९७८
३८९	तकुए और स्वचालित करघे	९७८–७९
३९०	फीजो की जनरल अयूब से भेंट	९७९
३९१	दिल्ली में सरकारी बस्तियां के लिये सलाहकार समिति	९७९–८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५३३	पुराना किला में विस्थापित व्यक्ति	९८०
५३४	पंजाब में कपड़े की मिलें	९८०
५३५	कपड़ा मिलें	९८०
५३६	नंगल में उर्वरक कारखाना	९८१
५३७	निर्यात संवर्धन मंत्रणा समिति	९८१
५३८	गामा सेंधा नमक	९८१–८२
५३९	उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार की सहायता	९८२–८३
५४०	उड़ीसा की इस्पात की आवश्यकता	९८३
५४१	उड़ीसा में उद्योग	९८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

५४२	सामान्य आवास सहकारी समितियां	९८३-८४
५४३	सिलदुबी गांव पर नागाओं का आक्रमण	९८४
५४४	विदेशी विशेषज्ञ और परामर्शदाता	९८४
५४५	कुटीर उद्योग	९८४-८५
५४६	अम्बर चरखे	९८५
५४७	औद्योगिक बस्तियां	९८५
५४९	न्यास क्षेत्रों में नाभिकीय परीक्षण	९८६
५५०	पंजाब में मुसलमानों के पुण्य स्थान	९८६-८७
५५१	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल	९८७
५५२	औद्योगिक सम्पर्क	९८७
५५३	पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	९८८
५५४	अल्जीरिया की नई सरकार	९८८-८९
५५५	ओखला में टैक्नीकल प्रशिक्षण संस्था	९८९
५५६	अम्बर चरखे का उत्पादन	९८९
५५७	विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियां	९८९-९०
५५८	काम दिलाऊ दफ्तर	९९०-९१
५५९	निर्यातकों को प्रोत्साहन	९९१
५६०	बाट तथा माप की दशमिक प्रणाली	९९१-९२
५६१	औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय आय	९९२
५६२	उड़ीसा की खानों में श्रमिक	९९२
५६३	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई	९९३
५६४	चाय का आयात	९९३
५६५	काफी का निर्यात	९९३-९४
५६६	खानों में सुरक्षा के उपाय	९९४
५६७	कोयला खान मजदूरों के लिये गृह-निर्माण योजना	९९४-९५
५६८	श्री अब्दुल अली	९९५
५६९	राष्ट्रीय न्यायाधिकरण	९९५
५७०	भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम का संशोधन	९९६
५७१	जल शीतक	९९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५७२	विदेशों को सहायता	९९७
५७३	वारंगल में औद्योगिक बस्ती	९९७
५७४	अम्बर चर्खा योजना	९९८
५७५	त्रिवेणी नहर, बिहार	९९८
५७६	समाचार चित्र	९९८–९९
५७७	कारखानों द्वारा रूई की खपत	९९९
५७८	कास्टिक सोडा	९९९–१०००
५७९	कराड (बम्बई) में उर्वरक कारखाना	१०००
५८०	अम्बर चर्खा	१०००
५८१	आकाशवाणी का पूना केन्द्र	१०००–०१
५८३	उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१००१
५८४	चमड़े के जूतों का निर्यात	१००१
५८५	रबड़ उद्योग	२००२
५८६	सिन्दरी फर्टिलाईज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१००२
५८७	नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी समिति	१००२
५८८	बिहार को वित्तीय सहायता	१००३
५८९	संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक	१००३
५९०	विदेशों में प्रचार	१००३–०४
५९१	रेशम के कीड़ों के लिये पौधे	१००४–०५
५९२	आवास सम्बन्धी समस्या	१००५
५९३	खिलौनों के कारखाने	१००५
५९४	आगरा की औद्योगिक बस्ती	१००५–०६
मंत्री द्वारा वक्तव्य		१००६–०७

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने २८ नवम्बर, १९५८ को खम्भात के निकट लुनेज के तेल के कुएं की जगह पर आग लग जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १००७—०८

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) रबड़ अधिनियम १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०८३ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड कर्मचारी आचरण नियमों की एक प्रति।

(२) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ८४६, दिनांक २७ सितम्बर, १९५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या १०७१, दिनांक ८ नवम्बर, १९५८।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) रेशम के कीडे पालने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)

(दो) सरकारी संकल्प संख्या ३६(३)—टी० आर०/५८ दिनांक १८ नवम्बर, १९५८।

(तीन) अल्यूमीनियम उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)।

(चार) सरकारी संकल्प संख्या ३ (५)—टी० आर०/५८ दिनांक २० नवम्बर, १९५८।

(४) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) अप्रैल-मई, १९५८ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४१वें (मेरीटाइम) अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन।

(दो) जून, १९५८ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४२वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन ।

(५) बाट तथा माप के प्रमाणीकरण विधेयक पर वाद-विवाद के समय ८ दिसम्बर, १९५६ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में बाट तथा माप प्रमाणीकरण अधिनियम १९५६ की धारा १२ के अन्तर्गत निकाली जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१००८—११
श्रीमती मफीदा अहमद ने सीमा समायोजन के बारे में हाल ही में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए समझौते को कार्यान्वित करने में अब तक हुई प्रगति की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।	
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	१०११—२९
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।	
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा	१०२९—४७
श्री राम कृष्ण ने समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में चर्चा उठाई। वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।	
सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ के लिए कार्यावलि —	
संसद् (अनहर्ता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर विचार तथा उसे पारित करना।	

P.L.S. 41. XXII. 10. 58.
160

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७६ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।